



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

धारा 281बी के अंतर्गत आयकर विभाग
द्वारा निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2023 का प्रतिवेदन सं. 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

धारा 281बी के अंतर्गत आयकर विभाग
द्वारा निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2023 का प्रतिवेदन सं. 4

_____ को लोकसभा/ राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत

विषय सूची

विषय

	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार और सिफारिशों का सार	iii-xiv
अध्याय 1	परिचय	1-5
अध्याय 2	लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण	7-10
अध्याय 3	अनंतिम कुर्की आदेशों का प्रसंस्करण, निष्पादन और प्रभाव	11-47
अध्याय 4	अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली संपत्ति की पहचान	49-92
अध्याय 5	अनंतिम कुर्की की वैधता, निरसन और निगरानी	93-121
	परिशिष्ट	123-215
	संकेताक्षर	217

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले शामिल हैं, जो वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गई धारा 281बी प्रक्रिया की नवंबर 2020 और मार्च 2021 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा और आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के आगे के सत्यापन, जो जून 2022 तक जारी रहे, के दौरान ध्यान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

कर चोरी करने का प्रयास करने वाले और अनुचित साधनों का उपयोग करके कर मांग के संग्रहण को अवरुद्ध करने वाले निर्धारितियों से कर मांगों की वसूली को सुगम बनाने के लिए एवं कर मांग के बकाया के संचय को रोकने के लिए आयकर विभाग के पास निर्धारण पूरा होने से पूर्व संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन है। आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की का प्रावधान कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 में राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था। यदि आयकर विभाग के निर्धारण अधिकारी (एओ) की निर्धारण कार्यवाही लंबित रहने के दौरान यह राय होती है कि संबंधित निर्धारित कर मांग के अंतिम संग्रह को अवरुद्ध कर सकते हैं, तो वह राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस प्रावधान का उपयोग करते हैं।

पिछले कई वर्षों के दौरान कर मांग के बकाया के संचय में लगातार वृद्धि (वि.व. 2013-14 में ₹ 5,75,340 करोड़ से वि.व. 2017-18 में ₹ 11,14,182 करोड़) हुई है और कुल बकाया कर मांगों पर 'वसूली करने में मुश्किल' (विभाग द्वारा वर्गीकृत) के रूप में वर्णित कर मांग का प्रतिशत वि.व. 2013-14 में 96 प्रतिशत से 2017-18 में 98.2 प्रतिशत तक असामान्य रूप से अधिक रहा। इसलिए, इस विषय को अनंतिम कुर्की के संबंध में आयकर विभाग में प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए चुना गया था।

इस विषय पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) इस दृष्टि से की गई थी कि क्या अधिनियम की धारा 281बी के मौजूदा उपबंधों में कोई नीतिगत या प्रक्रियात्मक कमियाँ हैं और अलग-अलग मामलों में धारा 281बी के उपबंधों के अनुपालन अथवा सुसंगत अनुप्रयोग की जांच की जा सके।

एसएससीए में वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 72 निर्धारण अधिकारियों, जिनके पास आयकर के 18 प्रधान आयुक्तों (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारण प्रभार थे, द्वारा जारी किए गए 350 अनंतिम कुर्की आदेशों को शामिल किया गया था। उपरोक्त 350 मामलों में से, जुलाई

2022 तक 291 मामलों में संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे निवल कर मांग कुल मिलाकर ₹ 12,621.23 करोड़ (कर, ब्याज और शास्ति सहित) उठाई गई थी। इसमें से, 103 मामलों में, ₹ 407.09 करोड़ (3.22 प्रतिशत) की राशि (जुलाई 2022) वसूल की गई थी। ₹ 12,214.14 करोड़ की शेष कर राशि विभिन्न कारणों जैसे मांग पर रोक, अपील आदि से बकाया थी।

हमने कई मामलों का अवलोकन किया, जैसे अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक जानकारी जैसे कि अनुमानित कर देयता, वैधता अवधि और निर्धारितियों को कुर्क संपत्ति के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान नहीं करना आदि अनंतिम कुर्की आदेशों में नहीं थी, जो प्रावधानों/नियमों के अनुरूप नहीं थे। निर्धारण अधिकारी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार/मूल कारणों को पर्याप्त रूप से स्थापित और प्रलेखित नहीं कर रहे थे और प्रलेखन के अभाव में लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या उन मामलों में प्रावधानों की प्रयोज्यता उचित थी। पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेशों की अधिसूचना अपर्याप्त पाई गई, जिसके कारण अंततः कुछ मामलों में ऐसी अधिसूचना के उद्देश्य को विफल कर दिया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें निर्धारितियों के कब्जे में उन सभी संपत्तियों के विवरण का पता लगाया जाना था, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार जा सकता था। अभिलेख उपलब्ध कराए गए अधिकांश मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई गई जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में निर्धारण अधिकारी के प्रयासों को पूरा करने में जांच विंग की भूमिका को सत्यापित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई परिसंपत्तियों की सूची के संबंध में भी कमी पाई गई जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की गलत कुर्की हुई। परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में कमी पाई गई, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो गई। कुछ मामलों में, निर्धारितियों के बचत/चालू बैंक खातों को क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह स्थापित किए बिना अनंतिम रूप से कुर्क किया

गया था, कि उन्हें केवल अंतिम उपाय के रूप में कुर्क किया गया था। अधिकांश मामलों में अनंतिम कुर्की के लिए विचार करने से पहले निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों की संपत्ति का मूल्यांकन उनकी स्वामित्व आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी गैर-देयता स्थिति के लिए स्थापित नहीं किया था। कुर्क की गई संपत्तियों की पर्याप्तता का विश्लेषण केवल कुछ मामलों में किया जा सकता था, क्योंकि धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में अनुमानित कर देयता या कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य या दोनों को दर्शाया नहीं गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत कई आदेशों की वैधता अवधि या तो कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई, जो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन था। हमने आगे देखा कि कुछ मामलों में, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों को धारा 281बी के अंतर्गत पिछले आदेश की समाप्ति की तारीख से दो से 166 दिनों के बीच के समय अंतराल के साथ बढ़ाया गया था; लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि संबंधित निर्धारिती ने कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण उस अवधि में किया था या नहीं जब कोई अनंतिम कुर्की नहीं थी।

हमने यह भी पाया कि धारा 281बी के अंतर्गत निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने की अवधि को छोड़ने या धारा 281बी (जैसा कि 01/10/2014 से पहले उपलब्ध है) के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि की गणना करने के समय निर्धारण के प्रति अदालत की रोक के दौरान या निर्धारिती की अपील के दौरान सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां राजस्व का हित अपील की अवधि और न्यायालयों द्वारा दी गई निषेधाज्ञा/ स्थगन की अवधि के दौरान या निपटान आयोग के समक्ष मामले के लंबन के दौरान असुरक्षित रहता है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत तलाशी की तारीख से प्रारंभिक आदेश की तारीख तक का समय अंतराल 208 दिनों और 1220 दिनों के बीच था। अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जारी करने में असामान्य विलंब के मामले में बीच की अवधि में निर्धारिती द्वारा उस

संपत्ति का निस्तारण करने का अंतर्निहित जोखिम होता है, जिसे कुर्क करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही की तारीख के बाद उचित समय के भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी नहीं किए जाने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी लेकिन अनिश्चित जोखिम हो सकता है, जिसके दुरुपयोग किए जाने की संभावना होती है। लेखापरीक्षा में कुछ ऐसे मामले भी देखे गए जिनमें निर्धारिती संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की अधिसूचना जारी होने के बावजूद कुर्क की गई संपत्ति का निपटान करने में सक्षम था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेशों की अधिसूचना अपर्याप्त था, जिसने अंततः कुछ मामलों में ऐसी अधिसूचना के उद्देश्य को विफल कर दिया।

कुल मिलाकर, निर्धारण पूरा होने पर उठाई गई कर मांग बकाया बनी रही और निर्धारिती की संपत्ति की अनंतिम कुर्की का निर्धारण के पश्चात वास्तविक कर वसूली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

इस प्रकार, राजस्व के हितों की रक्षा करने और कर बकाया के आगे के संचय को रोकने के लिए संपत्तियों की अनंतिम कुर्की का प्राथमिक उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया। अतः धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की से संबंधित उपबंधों/ नियमों पर पुनर्विचार करने और मौजूदा प्रक्रियाओं/ तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि विधान की मंशा विफल न हो।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, हम सिफारिश करते हैं कि:

सिफारिश संख्या 1:

सीबीडीटी धारा 281बी के अंतर्गत आदेश का प्रारूप विहित कर सकता है जिसमें सुसंगतता और विधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए आवश्यक सूचना के सभी तत्वों को शामिल किया जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया नमूना प्रारूप सीबीडीटी द्वारा विचार के लिए संलग्न (परिशिष्ट 9) है।

इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022), “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के प्रावधानों में आदेश का फार्म या प्रारूप निर्धारित

करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए, ऐसा कोई भी प्रोफार्मा एक गैर-वैधानिक प्रोफार्मा ही होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा का सुझाव नोट किया गया है और लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए प्रोफार्मा पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 119(1) के प्रावधानों में उपबंध है कि बोर्ड समय-समय पर इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए अन्य आयकर प्राधिकारियों को, यदि वह उपयुक्त समझे, आदेश, अनुदेश और निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार, सीबीडीटी, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश के उपयुक्त प्रारूप को निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, ताकि मौजूदा प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, मनमानी को कम किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और आदेशों के उचित अनुपालन के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) के साथ-साथ निर्धारिती को सुविधा प्रदान की जा सके। लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा करेगा।

सिफारिश संख्या 2:

सीबीडीटी राय बनाने के लिए विशिष्ट मानदंड तैयार कर सकता है, शायद उदाहरण के साथ, और "असाधारण परिस्थितियों" को स्पष्ट कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रभावी तरीके से अनंतिम कुर्की की कार्यवाही शुरू करने में सुविधा मिल सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार है: "281बी(1) - [या धारा 271एएडी के तहत शास्ति लगाने के लिए जहां उक्त धारा के तहत लगाई जाने वाली शास्ति की राशि या कुल राशि ₹ दो करोड़ से अधिक है]¹" इसलिए, जब भी निर्धारण अधिकारी, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते यह राय रखता है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की की आवश्यकता होती है इस तरह की कुर्की प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से की जाती है। प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक, जैसा भी मामला हो। प्रावधान का विधायी आशय यह है

¹ धारा 281बी की उप-धारा (1) को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था।

कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारितियों को कर मांग के अंतिम संग्रह करने को विफल करने से रोका जाता है। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, इसलिए निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई पर किसी और प्रतिबंध से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की के चरण में सटीक कर देयता का निर्धारण करना संभव नहीं हो सकता और इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 281बी को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था ताकि धारा 271एएडी के तहत शास्ति प्रावधानों के संदर्भ में एक विशिष्ट परिस्थिति को शामिल किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से, अधिनियम ने निर्धारण अधिकारी को परिभाषित परिस्थितियों में से एक में धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने की सुविधा प्रदान की है, जो आंशिक रूप से लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप है। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड के दिनांक 02/09/2004 के अनुदेश संख्या 08 में उल्लिखित शब्द 'असाधारण परिस्थितियां' को उदाहरणों के माध्यम से अभी परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे मौजूदा प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। परिणामस्वरूप, धारा 281बी के प्रावधानों को मानक कारणों जैसे कि निर्धारण अधिकारी द्वारा 'राजस्व के हितों की रक्षा' और 'निर्धारणों के बाद पर्याप्त कर मांगों की संभावना' के आधार पर अधिकांश लेखापरीक्षित मामलों में लागू किया गया था, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप नहीं थे और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं थे कि ऐसी शक्तियों को केवल धारा में उपयोग किए गए वाक्यांशों को दोहराकर और ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारियों की राय दर्ज करके उपयोग नहीं किया जा सकता कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट थे और ऐसा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा का विचार है कि असाधारण परिस्थितियों को व्यापक रूप से स्पष्ट करने या दर्शाने (जैसा कि रिपोर्ट के परिशिष्ट 14 में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है) से निर्धारण अधिकारी को अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए राय बनाने

में सुविधा होगी और यह सुसंगत और कानूनी रूप से प्रभावकारी भी होगा। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 3:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना सहित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए सीबीडीटी संबंधित अधिकारियों को अनंतिम कुर्की के लिए एक व्यापक एसओपी जारी करने पर विचार कर सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने कई अनुदेश जारी किए हैं, जैसे कि अनुदेश संख्या 1884 दिनांक 07/06/1991, अनुदेश संख्या 8 दिनांक 02/09/2004 और एफ. नं.404/22/2004-आईटीसीसी दिनांक 05/11/2004। प्रावधान का विधायी आशय यह है कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारित को कर मांग के अंतिम संग्रहण को विफल करने से प्रतिबंधित किया जा सके। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, एओ की कार्रवाई पर अतिरिक्त प्रतिबंधन से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं है, चूंकि इसमें कभी भी एओ को प्रतिबंधित करने का आशय नहीं था। इसके बजाय एक एसओपी जारी करने से एओ को अनंतिम कुर्की आदेश का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने में सुविधा होगी। जैसा कि लेखापरीक्षित मामलों के 50 प्रतिशत से अधिक में देखा जा सकता है (पैरा 3.4.1 देखें), अधिसूचना संबंधित प्राधिकारियों को या तो उनके अभिलेखों में अनंतिम कुर्की को अभ्युक्ति करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के बिना की गई थी या अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के संबंध में अधिसूचित प्राधिकारियों को अलग-अलग निर्देश दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी निर्देशों को दोहराने और प्रावधानों एवं अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने पर विचार कर सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(ii) सीबीडीटी धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेशों को सीईआरएसएआई सहित संबंधित प्राधिकरणों को अनंतिम कुर्की पर ध्यान देने और उसमें जारी अनुदेशों के निर्धारिती द्वारा अनुपालन की निगरानी करने के लिए प्राधिकारियों को विशिष्ट अनुदेशों के साथ अधिसूचित करना अनिवार्य कर सकता है।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि इस संबंध में डीआईटी (रिकवरी एंड टीडीएस) द्वारा दिनांक 06/09/2017 के एफ.सं. एन.आई.(380)/डीआईटी (आर)/सरफेसी/17-18/669 में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सितंबर 2017 में बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी किया गया था, विशेषतः सीईआरएसएआई को अधिसूचित करने के मामले में, किंतु एओ द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां एओ ने अन्य संबंधित प्राधिकरणों को अधिसूचित किया, उन प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित पूर्ण ब्यौरे और कार्रवाई के संबंध में समय पर सूचित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक एओ ने उत्तर दिया कि उक्त बोर्ड के अनुदेश अनंतिम कुर्की पर लागू नहीं थे। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की के लिए प्रयोज्यता को स्पष्ट करते हुए, सीबीडीटी मौजूदा निदेशों को दोहरा सकता है और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 4:

सीबीडीटी संभावित कर मांग का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त परिसंपत्ति का चयन करने के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार या सुझाव देकर निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच के लिए वर्तमान अनुदेश लागू कर सकता है और इस प्रकार, यथा अपेक्षित राजस्व की इष्टतम सुरक्षा अर्जित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जांच का समुचित रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी बोर्ड के अनुदेशों से आबद्ध हैं।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि एओ बोर्ड के सितम्बर,

2004 के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके अनुसार निर्धारितियों के स्वामित्व वाली उन सभी परिसंपत्तियों के ब्यौरे का पता लगाया जाना चाहिए, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जांच विंग ने उन परिसंपत्तियों के विवरण की भी पहचान नहीं की जो तलाशी के समय करदाता के कब्जे में थीं, जो अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों को पूरक करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी बेहतर अनुपालन के लिए उपयुक्त अनुदेशों को दोहरा सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 5:

सीबीडीटी राजस्व के हित को अधिकतम करने के उद्देश्य से उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति के चयन की सुविधा के लिए निर्धारिती के पास उपलब्ध सभी संपत्ति(यों) के विवरण का पता लगाने और अभिलेख करने में निर्धारण अधिकारी की सुविधा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश ला सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने पहले ही 02/09/2004 का निर्देश संख्या 8 जारी कर दिया है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

सिफारिश संख्या 6:

कुर्क की जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकता है। यदि स्वामित्व/ ऋण- भार-रहितता की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण या अन्य प्राधिकरणों से पूछताछ की जाती है, ऐसे मामलों में जहां कुर्की आदेश जारी होने से कुछ समय पहले संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, तो निर्धारिती के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

सिफारिश संख्या 7:

सीबीडीटी राजस्व के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण करके संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

जवाब में, मंत्रालय ने (जुलाई 2022) कहा कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और बोर्ड के निर्देशों से बंधे हैं।

यद्यपि अधिनियम और बोर्ड के अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन एओ संगत प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं और बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुदेशों को दोहराने और किसी संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम/बोर्ड के अनुदेशों के उपबंधों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 8:

सीबीडीटी कर सकता है:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन को लागू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक कर निर्धारण पर कर मांग पूरी तरह से वसूल नहीं हो जाती, तब तक मामले निरंतर संरक्षित रहें।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बाध्य हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

(ii) निपटान आयोग / न्यायालय के स्थगन अथवा निर्धारण के विरुद्ध निषेधाज्ञा या निर्धारण के विरुद्ध अपील के मामले में लंबित मामलों की अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि को बाहर रखने के उपाय शुरू करने पर विचार करें।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कहा कि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक पूर्वव्यापी उपाय है। चूंकि, यह उपाय करदाताओं के लिए कठोर है, इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता केवल 6 महीने है (अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)। इसलिए, अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता से सुझाव में उल्लिखित अवधियों को बाहर रखने से निर्धारितियों को गंभीर शिकायतें होंगी क्योंकि कर मांग जिसके प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। इसलिए, यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना है जैसा कि बोर्ड के अनुदेश संख्या 1884/1991 दिनांक 07/06/1991 में कहा गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त प्रावधान अक्टूबर 2014 से पहले से ही लागू थे। करदाताओं के लिए कठोर हुए बिना राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को विवेकपूर्ण ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(iii) एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करें जिसके अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जाएं, विशेषकर तलाशी से संबंधित मामलों में।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कुछ मामलों में कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की का सहारा लेने का इरादा है। इसे कर वसूली की सामान्य विधि के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की आवश्यकता है या नहीं, इसका पता अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जाना है। चूंकि, जिस मांग के प्रति किसी संपत्ति को

अनंतिम रूप से कुर्क किया जाना है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, इसलिए इस तरह की कुर्की के लिए समय सीमा निर्धारित करना निर्धारितियों के लिए हानिकारक होगा और इसके परिणामस्वरूप शिकायतें होंगी।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने में समय पर कार्रवाई, विशेष रूप से तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारिती को संपत्ति के निपटान का प्रयास करके मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने से रोकने और राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए थे कि तलाशी की तिथि और प्रारंभिक अनंतिम कुर्की आदेश की तिथि के बीच काफी अंतर होने के कारण, संबंधित निर्धारिती अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि 43.3 प्रतिशत मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण पूरा होने से दो महीने पहले जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा संपत्ति का निपटान करने और कर वसूली प्रक्रिया को रोकने का जोखिम व्याप्त था। इसके अलावा, समय सीमा निर्धारित नहीं करने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम रहता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है।

इसलिए, सीबीडीटी अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार राजस्व के हितों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विवेकपूर्ण रूप से एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 9:

सीबीडीटी इस संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।

सिफारिश संख्या 10:

सीबीडीटी, दंडात्मक दृष्टिकोण से जांच करने, कुर्की आदेश जारी होने के बाद स्वामित्व में बदलाव, पंजीकरण अधिकारियों की किसी भी भूमिका सहित इसके परिणामों से बचने के लिए, पर विचार कर सकता है।

अध्याय

1

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की (पीए) को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 (धारा 73 के तहत) में प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) के सितंबर 1975¹ के परिपत्र के अनुसार, धारा 281बी का उद्देश्य कर बकाया को कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कर बकाया संग्रहित न हो। इसका उद्देश्य उस मामले में किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लागू करने का था, जहां निर्धारण अधिकारी (एओ)² की राय हो कि निर्धारिती निर्दिष्ट परिस्थितियों में मांग के अंतिम संग्रहण को अवरुद्ध कर सकता है, ताकि निर्धारण पूरा होने से पहले निर्धारिती की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके राजस्व के हितों की रक्षा की जा सके। यह अधिनियम की धारा³ 222/226 के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी द्वारा निर्धारण के बाद के चरण में लागू नियमित कुर्की के विपरीत है।

निर्धारिती की संपत्ति की अनंतिम कुर्की आयकर प्राधिकारियों को निर्धारिती को कर भुगतान से बचने के उद्देश्य से अपनी परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने या निपटाने का प्रयास करने से रोकने में सक्षम बनाती है। विभाग द्वारा इन परिसंपत्तियों को निर्धारण के बाद, यदि आवश्यक हो, नियमित कुर्की में परिवर्तित करके इनका निपटान किया जा सकता है और इसकी प्राप्तियों का उपयोग कर की वसूली के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार,

¹ बोर्ड का दिनांक 30 सितंबर, 1975 का परिपत्र सं. 179/1975 - उसमें दिए गए "अधिनियम के उद्देश्य" में आयकर अधिनियम में इस धारा (281बी) को सम्मिलित करने के पीछे विधायी मंशा का वर्णन किया गया है।

² अधिनियम की धारा 2(7ए) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी का अर्थ है सहायक / उप-आयकर आयुक्त या आयकर अधिकारी जो धारा 120 की उप-धारा (1) या (2) या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत जारी निर्देशों या आदेशों के आधार पर प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र में निहित है।

³ जब किसी निर्धारिती से भुगतान करने में चूक होती है या यह माना जाता है कि उससे चूक हुई है, तो कर वसूली अधिकारी ऐसे निर्धारिती से नीचे उल्लिखित एक या अधिक तरीकों से निर्दिष्ट राशि वसूल करेगा-

- (क) निर्धारिती की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;
- (ख) निर्धारिती की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

निर्धारिती का मामला नियमित कुर्की के चरण तक पहुंचने से पहले अनंतिम कुर्की एक महत्वपूर्ण एहतियाती अग्रगामी के रूप में कार्य करती है।


जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय (परिशिष्ट 3 का क्र. सं. 4) में बताया गया है, धारा 281बी प्रबल शक्तियां प्रदान करती है, और ये निर्णय के पहले कुर्की की प्रकृति में हैं। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग अवश्य ही उचित कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधान धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निश्चित कदम निर्धारित करते हैं, जैसे अनंतिम कुर्की की आवश्यकता के लिए राय बनाना, निर्धारित प्राधिकारी⁴ से पूर्व अनुमोदन के साथ उस पर आदेश जारी करना, अनंतिम कुर्की आरंभ करने/बढ़ाने के लिए समय सीमा, अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के बदले निर्धारिती से बैंक गारंटी (बीजी) प्राप्त करना, कुर्क की गई संपत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ देना, कर भुगतान में चूक के लिए बीजी का उपयोग करना, अनंतिम कुर्की को रद्द करना आदि। अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया है कि कुर्की का तरीका अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है।

संपूर्ण अनंतिम कुर्की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने वाला एक प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

⁴ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र. सीसीआईटी), मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्र. सीआईटी), आयकर आयुक्त (सीआईटी), प्रधान महानिदेशक आयकर (प्र. डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्र. डीआईटी), निदेशक (डीआईटी)।

चार्ट 1 - अनंतिम कुर्की के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया



* भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सार परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी को निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी तरीके से इन प्रावधानों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा कई

परिपत्र/अनुदेश जारी किए गए हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 2** में दर्शाया गया है। इन परिपत्रों/अनुदेशों के माध्यम से बोर्ड ने 281बी प्रावधानों की मंशा और कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इन प्रावधानों/परिपत्रों को कई न्यायिक निर्णयों द्वारा भी समर्थित किया गया है जिन्हें **परिशिष्ट 3** में संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है।

1.2 हमने यह विषय क्यों चुना

वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान लंबित कर मांग⁵ के बकाया की प्रवृत्ति नीचे तालिका संख्या 01 में दर्शाई गई है:

तालिका सं. 01: कर मांग बकाया और वसूली करने में मुश्किल मांग का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा							
(₹ करोड़ में)							
वित्त वर्ष	पिछले वर्ष की मांग का बकाया	चालू वर्ष की मांग का बकाया	मांग का कुल बकाया	आयकर विभाग द्वारा वर्गीकृत वसूली करने में मुश्किल मांग	कुल बकाया पर प्रतिशत	मांग के बकाए में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
						राशि	प्रतिशत
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538	96.04	--	--
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032	96.13	1,24,808	21.69
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	97.34	1,24,063	17.72
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57	2,20,477	26.75
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	69,494	6.65

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएँ)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, पिछले कई वर्षों के दौरान कर मांग के बकाया के संचय में लगातार वृद्धि (वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 5,75,340 करोड़ से वित्त वर्ष 2017-18 में ₹ 11,14,182 करोड़) हुई है।

इसके अलावा, कुल बकाया कर मांगों की तुलना में 'वसूली में मुश्किल' (विभाग द्वारा वर्गीकृत) के रूप में वर्णित कर मांग का प्रतिशत वित्त वर्ष 2013-14 में 96 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2017-18 में 98.2 प्रतिशत तक असामान्य रूप से उच्च बना रहा।

⁵ स्रोत: सीएजी का 2019 का प्रतिवेदन सं. 09 (संघ सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर)- अध्याय 1- प्रत्यक्ष कर प्रशासन- पैरा 1.8- मांग का बकाया

अधिनियम की धारा 281बी निर्धारण अधिकारी को संपत्ति की अनंतिम कुर्की को एक साधन/निवारण के रूप में उपयोग करने का अधिकार देती है ताकि निर्धारण/पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उठाए गए कर भुगतान में चूक की संभावना को पहले ही रोका जा सके, इस विषय को 'मांग की वसूली मुश्किल' की श्रेणी के तहत जोड़ने से बचने के लिए भविष्य में उठाई जाने वाली मांग की वसूली को सुगम बनाने के लिए धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने सहित प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए चुना गया था।

अध्याय

2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा नमूने को शामिल करने वाले लेखापरीक्षा दृष्टिकोण नीचे दिए गए हैं:

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) करने के उद्देश्य थे:

- यह जांचना कि क्या किसी निर्धारिती की संपत्ति पर लागू धारा 281बी के मौजूदा प्रावधानों में नीतिगत या प्रक्रियात्मक अंतराल हैं; और
- किसी निर्धारिती की संपत्ति के संबंध में व्यक्तिगत मामलों में अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुपालन या निरंतर लागू करने की सीमा की जांच करना।

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के मानदंड मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और बोर्ड के सहायक परिपत्रों/निर्देशों से लिए गए थे। एसएससीए के लिए निर्धारित दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्षों (वि.व.) 2017-18 से 2019-20 के दौरान निर्धारण/पुनर्निर्धारण कार्यवाही के दौरान शुरू की गई 281बी प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें निर्धारण के बाद की स्थिति भी शामिल थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार जुलाई 2022 तक के विवरणों को अद्यतन किया गया था।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

देश भर में प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण यात्रा और अन्य प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, नमूना चयन प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) [प्र. सीआईटी (केंद्रीय)] के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारण इकाइयों की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के मामलों तक सीमित था, जो नवंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए थे।

केंद्रीय सर्कलों के निर्धारण अधिकारी को उस निर्धारिती के मामले में निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो अधिनियम की धारा 132⁶ के प्रावधानों के अनुसार तलाशी और जब्ती के अधीन है। कुल 354 मामलों की पहचान की गई, जहां वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 14 राज्यों⁷ को शामिल करते हुए 18 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार में 72 केंद्रीय सर्कलों के निर्धारण प्रभार रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित संबंधित निर्धारण इकाइयों द्वारा लागू धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के मामलों का वर्ष-वार प्र.सीआईटी-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 02 में दिया गया है:

तालिका संख्या 02: अनंतिम कुर्की के लिए चयनित मामलों की संख्या का विवरण - केंद्रीय आयुक्तालय-वार।					
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की संख्या	281बी मामलों की संख्या (वित्त वर्ष के अनुसार)			
		2017-18	2018-19	2019-20	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	4	4	2	5	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	4	20	9	1	30
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली	6	4	11	26	41
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाला	2	5	21	0	26
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	3	0	2	5	7
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता	1	0	0	6	6
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई	4	5	2	2	9
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई	5	11	1	0	12
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई	4	5	6	5	16
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई	6	9	13	12	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई	4	3	13	18	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि	2	3	4	0	7
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	13	3	14	30

⁶ धारा 132 के तहत, आयकर विभाग की जांच शाखा का अधिकृत अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन आदि में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और निर्धारित परिस्थितियों में किसी करदाता के बही-खाते, बुलियन आदि जब्त कर सकता है, जहां निर्धारिती संदिग्ध रूप से कर अपवंचन कर रहा हो।

⁷ दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और चंडीगढ़।

तालिका संख्या 02: अनंतिम कुर्की के लिए चयनित मामलों की संख्या का विवरण - केंद्रीय आयुक्तालय-वार।					
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की संख्या	281बी मामलों की संख्या (वित्त वर्ष के अनुसार)			
		2017-18	2018-19	2019-20	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	7	4	3	18	25
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम	2	3	5	0	8
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	5	20	9	4	33
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान	1	0	3	0	3
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	2	4	14	4	22
कुल	72	113	121	120	354

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

(i) मुख्य कार्यालय द्वारा दिसंबर 2020 के दौरान क्षेत्राधिकार में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को समझाया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में लेखापरीक्षा जांचसूची में आंकड़ों का प्रग्रहण करना और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रश्नावली के साथ लेखापरीक्षा मांगों के माध्यम से अपेक्षित जानकारी एकत्र करना शामिल था।

(ii) एसएससीए रिपोर्ट का मसौदा 10 जून 2022 को मंत्रालय को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा सिफारिशों पर उत्तर और दर्शाए गए मामलों के संबंध में आंशिक उत्तर जुलाई 2022 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट में शामिल मुद्दों और मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय के साथ 28 सितंबर 2022 को एक निकास सम्मेलन किया गया था। मंत्रालय के उत्तर को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

2.5 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

इन 354 मामलों में से चार मामलों (प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-1, भुवनेश्वर में निर्धारित तीन मामले और प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 मुंबई प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल 6(1), मुंबई में निर्धारित एक मामला) से संबंधित धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की

प्रक्रिया के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, चार गैर-प्रस्तुति मामलों में से, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-1, भुवनेश्वर के संबंध में तीन मामलों में, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बहुत बाद जुलाई 2022 में जानकारी का केवल एक भाग प्रदान किया गया था। मामले-वार विवरण **परिशिष्ट 4क** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों में मूल्यांकन रिपोर्टों⁸ के उद्धरण की भी मांग की जिसमें तलाशी के दौरान पाई गई बेहिसाब/अघोषित आय से संबंधित जानकारी और निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों के विवरण शामिल हों जिन्हें अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है। हालांकि, निर्धारण अधिकारियों ने लेखापरीक्षित 350 मामलों में से 217 मामलों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्टों के उद्धरण उपलब्ध नहीं कराए जैसा कि **परिशिष्ट 4ख** में विस्तृत है।

2.6 आभार

हम धारा 281बी के अंतर्गत कुछ मामलों में अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेखों और मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति को छोड़कर(पूर्वोक्त पैरा 2.5 में कहा गया है), एसएससीए के संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख और जानकारी प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने में आयकर विभाग के सहयोग का आभार प्रकट करते हैं। इस कारण, लेखापरीक्षा इन मामलों में अनुपालन की सीमा की जांच करने को विवश थी।

⁸ मूल्यांकन रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसमें निर्धारिती की जांच की कार्यवाही होती है। संबंधित अधिकारी जब्त सामग्री के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी को भेजता है जो निर्धारण कार्यवाही शुरू करता है।

अध्याय 3

अनंतिम कुर्की आदेशों का प्रसंस्करण, निष्पादन और प्रभाव

इस अध्याय में अनंतिम कुर्की के परिणामों पर विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ किसी निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए राय बनाने, अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने और संबंधित प्राधिकारियों⁹ जिनके साथ निर्धारिती की संपत्ति पंजीकृत है, को कुर्क संपत्ति की अधिसूचना जारी करने के संबंध में निर्धारण अधिकारियों (एओ) के लिए परिकल्पित प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है।

अनंतिम कुर्की मामलों के लेखापरीक्षा में परिणाम और प्रक्रिया दोनों परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन शामिल था। जबकि परिणाम देय कर की वसूली की सीमा से निर्धारित किया गया था, प्रक्रिया कठोरता का मूल्यांकन परिकल्पित प्रावधानों के पालन की सीमा और आगे अभिलेखों पर इसके प्रलेखन के दायरे से किया गया था। जबकि प्रक्रियाओं के पालन की सीमा ने आंशिक रूप से अंतिम परिणाम को प्रभावित किया, लेखापरीक्षा ने उन मामलों को भी देखा जहां परिकल्पित प्रक्रियाओं के पूर्ण पालन के बिना भी देय कर वसूल किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनंतिम कुर्की आदेशों के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था। निर्धारित प्रारूप की अनुपस्थिति के कारण, अनंतिम कुर्की आदेश उनके प्रारूप और सूचना का दायरा दोनों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। लेखापरीक्षित 350 मामलों में से 47 मामलों (14.3 प्रतिशत) में, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) के पूर्व अनुमोदन का कोई संदर्भ नहीं था। 128 मामलों (36.6 प्रतिशत) में वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था; लेखापरीक्षित मामलों में से किसी में भी अनुमानित कर देयता दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा, निर्धारितीयों को किसी भी मामले में कुर्क संपत्ति के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान नहीं किया गया था, जो नियमों के अनुरूप नहीं था।

⁹ संबंधित अधिनियमों के तहत अधिकार प्राप्त प्राधिकारी निर्धारिती को पंजीकृत संपत्ति की बिक्री/हस्तांतरण/उपहार के माध्यम से निपटान करने या उसके विरुद्ध ऋण प्राप्त करने के लिए उसे गिरवी रखने की अनुमति देते हैं।

लेखापरीक्षा ने 350 अनंतिम कुर्की मामलों से संबंधित अभिलेखों¹⁰ का विश्लेषण किया और पाया कि केवल 23 मामलों (6.6 प्रतिशत) में, यह आश्वासन देने के लिए पर्याप्त दस्तावेज थे कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी राय बनाई थी, अर्थात् परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता या 'असाधारण परिस्थितियों में' वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना थी। 208 मामलों (59.4 प्रतिशत) में, धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए मानक कारणों जैसे 'पर्याप्त कर मांग की संभावना' और 'राजस्व के हितों की सुरक्षा' का उपयोग किया गया था। जैसा कि सितंबर 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में बताया गया है, ऐसी शक्तियों (धारा 281बी के अंतर्गत) को केवल धारा में प्रयोग किए गए शब्दावली को दोहराकर और ऐसा आदेश पारित करने वाले अधिकारी की राय दर्ज करके कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट था, या ऐसा करना आवश्यक था, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शेष 119 मामलों (34 प्रतिशत) में, विभिन्न अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था जो बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक राय बनाने का आधार पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इस तरह की राय स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज अभिलेखों पर नहीं लाए गए थे, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

हमने पाया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 346 में, धारा 281बी के अंतर्गत जारी आदेश संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को विधिवत अधिसूचित किया गया था। हालांकि, 189 मामलों में अधिसूचना अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप, अनंतिम कुर्की के माध्यम से राजस्व के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य कम हासिल किया गया। हमने आगे देखा कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से किसी में भी धारा 281बी के अंतर्गत आदेश सीईआरएसएआई को अधिसूचित नहीं किए गए थे। चूंकि अनंतिम कुर्की में निर्धारण के बाद नियमित कुर्की में बदलने की क्षमता होती है, ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती वास्तव में कर मांग के भुगतान में चूक करता है, सीईआरएसएआई के साथ

¹⁰ धारा 281बी के तहत निर्धारण अधिकारी के प्रस्ताव, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) से अनुमोदन का आदेश और निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी धारा 281बी के तहत आदेश और कोई भी फाइल नोटिंग।

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश को अधिसूचित करने से निर्धारण कार्यवाही के शुरुआती चरण में राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। धारा 281बी के अंतर्गत सीईआरएसएआई को आदेश अधिसूचित करने में निर्धारण अधिकारी की ओर से विफलता से उन मामलों में आयकर विभाग कर बकाया की वसूली को प्राथमिकता नहीं दिए जाने का जोखिम था, जहां कुर्क की गई संपत्ति को निर्धारिती के सुरक्षित और असुरक्षित बकायों के निपटान के लिए परिसमापन किया जाना है।

अनंतिम कुर्की के परिणाम और अपनाई गई प्रक्रियाओं दोनों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस रिपोर्ट के बाद के पैराग्राफ और अध्यायों में विस्तृत हैं।

3.1 अनंतिम कुर्की का परिणाम

अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया का उद्देश्य निर्धारण अधिकारी के लिए एक उपकरण के रूप में काम करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारण के बाद उठाई गई कर मांगों को संबंधित निर्धारिती से वसूला जा सके। अधिनियम की धारा 156 के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश¹¹ पारित करने के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती को मांग का नोटिस देगा। निर्धारिती को उक्त नोटिस में उठाए गए कर/ब्याज/जुर्माने की मांग की राशि का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर करना होता है।

परिणाम के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने 350 अनंतिम कुर्की मामलों के लेखापरीक्षित नमूने की निर्धारण के बाद की स्थिति की जांच की। जुलाई 2022 तक 291 मामलों में संवीक्षा निर्धारण पूरा कर लिया गया था और संवर्द्धन/कटौती/अपील आदि के कारण सुधार आदेशों के प्रभाव पर विचार करने के बाद ₹ 12,621.23 करोड़ की शुद्ध संचयी कर मांग की गई थी। लेखापरीक्षा को दी गई सूचना के आधार पर, इनमें से ₹ 407.09 करोड़¹² की राशि के केवल 103 मामलों (जुलाई, 2022) में कर की वसूली पूरी तरह से/आंशिक रूप से की गई है, जो निवल कर मांग का 3.22 प्रतिशत है और शेष कर (₹ 12,214.14 करोड़) विभिन्न कारणों जैसे मांग पर रोक, अपील

¹¹ अधिनियम की धारा 143(3), 147, 153ए, 153सी, 154, 155, आदि के तहत पारित आदेश।

¹² 103 मामलों में जिनकी संचयी कर मांग ₹ 6,531.33 करोड़ थी और इस भुगतान के बाद शेष बकाया ₹ 6,124.24 करोड़ था।

आदि से बकाया था। इसके अलावा, इन 103 निर्धारितीयों से वसूली में पांच निर्धारितीयों की हिस्सेदारी 82.4 प्रतिशत (₹ 335.67 करोड़) थी। इन 291 मामलों का आयुक्तालय-वार निर्धारण के बाद का विवरण नीचे तालिका संख्या 03 में दिया गया है:

तालिका संख्या 03: 281बी मामलों का विवरण जहां निर्धारण पूरा हो गया था, और कर मांग की गई थी और उसके प्रति वसूली की गई थी						
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारियों की संख्या)	संवीक्षा किए गए 281बी मामलों की संख्या	सभी निर्धारण वर्षों के लिए संचयी कर मांगों को संयुक्त रूप से उठाया गया (₹ करोड़ में)	नियमित करों का भुगतान		शेष कर बकाया (करोड़ में) (मार्च 2022 तक)	
			मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली (03)	7	10.08	1	0.5	9.58	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (04)	30	3,442.35	10	204.75	3,237.6	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (06)	27	429.54	3	1	428.54	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाला (02)	24	45.8	13	5.83	39.97	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	7	150.3	2	0.13	150.17	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	6	37.14	0	0	37.14	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	9	171.66	1	86.85	84.81	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	322.25	4	23.32	298.92	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	278.16	3	19.23	258.93	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	31	2,158.78	12	3.79	2,155.00	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	25	2,353.89	9	11.05	2,342.84	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्चि (02)	5	23.7	2	4.31	19.39	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	27	475.46	15	19.59	455.87	

तालिका संख्या 03: 281बी मामलों का विवरण जहां निर्धारण पूरा हो गया था, और कर मांग की गई थी और उसके प्रति वसूली की गई थी						
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारियों की)	संवीक्षा किए गए 281बी वर्षों के लिए	सभी निर्धारण वर्षों के लिए	नियमित करों का भुगतान	शेष कर बकाया (करोड़ में)		
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (06)	25	756.29	12	8.04	748.25	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम (01)	5	51.93	5	13.38	38.55	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (05)	25	1,572.80	8	4.36	1,568.44	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	3	239.7	3	0.96	238.74	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	8	101.4	0	0	101.4	
कुल (18 प्र.सीआईटी एओ)	70	291	12,621.23	103	407.09	12,214.14

इस प्रकार, परिणाम के दृष्टिकोण से, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए परिकल्पित संपत्तियों की अनंतिम कुर्की काफी हद तक अधूरी रह गई क्योंकि कर मांगों की वसूली की दर कम थी। लेखापरीक्षा में, निश्चित रूप से, पाया गया है कि कर मांगों की गैरवसूली के कारण महज अनंतिम कुर्की के उपयोग से परे होंगे।

प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अनंतिम कुर्की आदेशों के मूल्यांकन से निकलने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.2 अनंतिम कुर्की आदेश का प्रारूप

अधिनियम की धारा 281बी(1) के अनुसार आयकर विभाग के निर्धारित प्राधिकारी¹³ से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए निर्धारण कार्यवाही लंबित रहने के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश लिखित में जारी किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि अधिनियम के प्रावधान धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के लिए एक प्रारूप निर्धारित नहीं करते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 281बी के अंतर्गत आदेश संपत्ति की

¹³ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र. सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्र. सीआईटी), प्रधान आयकर महानिदेशक (प्र. डीजीआईटी) या प्रधान आयकर निदेशक (प्र. डीआईटी)।

परिकल्पित अनंतिम कुर्की पर आयकर विभाग और निर्धारिती के बीच संचार का एकमात्र साधन है, लेखापरीक्षा की राय में, आदेश में आदर्श रूप से आवश्यक जानकारी होनी चाहिए जैसे कि निर्धारित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन का संदर्भ में, आदेश की वैधता अवधि, अनुमानित कर देयता और उसके मूल्य के साथ कुर्क संपत्ति का विवरण।

अनंतिम कुर्की आदेशों में संगतता की कमी और आवश्यक जानकारी की अनुपस्थिति से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के पैराग्राफ में विस्तार पूर्वक बताया गया है।

3.2.1 धारा 281बी के अंतर्गत जारी आदेशों में एकरूपता की कमी

लेखापरीक्षा ने 350 लेखापरीक्षित मामलों से पाया कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में, धारा 281बी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्राधिकारों के निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी आदेश उनके प्रारूप में और उनमें निहित जानकारी के संदर्भ में एकरूपता में व्यापक रूप से भिन्न थे।

(i) अनंतिम कुर्की आदेशों में विस्तृत जानकारी नहीं थे:

350 आदेशों में से, सभी 18 केंद्रीय आयुक्तालयों द्वारा जारी किए गए 300 अनंतिम कुर्की आदेशों में निर्धारित प्राधिकारी के आदेश संख्या और/या पूर्व अनुमोदन की तिथि का संदर्भ प्रदान किया गया था (परिशिष्ट 5 में आयुक्तालय-वार विवरण)। 10 केंद्रीय आयुक्तालयों के शेष 50 मामलों (350 मामलों का 14.3 प्रतिशत) के 47 मामलों (परिशिष्ट 6क के अनुसार) में इस प्रकार के अनुमोदन की आदेश संख्या और तिथि का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं था और प्र.सीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम प्रभार के अंतर्गत केंद्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर से संबंधित तीन मामलों में रिकार्ड में पाए गए ऐसे अनुमोदन का कोई विवरण नहीं था।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि निर्धारित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन को दर्ज करने के संदर्भ में धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश में कोई एकरूपता नहीं थी। लेखापरीक्षा में आगे कहा गया है कि उसी निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेश भी अपेक्षित जानकारी अर्थात् प्र.सीआईटी के अनुमोदन की तिथि और आदेश संख्या के संदर्भ में एक समान नहीं थे (परिशिष्ट 6ख)। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की आदेश में

उपरोक्त विवरणों को दर्ज नहीं करने से इन आदेशों को निर्धारित के लिए गैर-पारदर्शी बना दिया गया और उन्हें कानूनी विवादों के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया गया।

(ii) धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की विषयवस्तु में भिन्नता

लेखापरीक्षा ने भिन्नता की मात्रा के संदर्भ में छह केन्द्रीय आयुक्तालयों से संबंधित धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों का भी विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका संख्या 04 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 04: विभिन्न केन्द्रीय आयुक्तालयों में जारी धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण				
केंद्रीय आयुक्तालय प्रभार	धारा 281बी के तहत जारी आदेशों की कुल संख्या	धारा 281बी के तहत आदेशों में दर्ज विवरण		
		आदेश संख्या और/या निर्धारित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की तिथि का संदर्भ	वैधता की अवधि	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	33	33	33	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बंगलुरु	30	26	14	06
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	22	22	22	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई	11	11	11	01
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई	16	10	0	07
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता	6	0	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम	5	0	0	0
कुल योग	123	102	80	14

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाई गई धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों के प्रारूप में उच्च स्तर की भिन्नता थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोलकाता-2 और विशाखापट्टनम के केंद्रीय आयुक्तालय प्रभारों में, जारी धारा 281बी के अंतर्गत किसी भी आदेश में आवश्यक जानकारी को दर्ज नहीं किया गया था, जबकि प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बंगलुरु और प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4 मुंबई के प्रभारों में, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों में आवश्यक जानकारी को दर्ज करने में विभिन्न निर्धारण प्रभारों के बीच व्यापक रूप से भिन्नता थी। इस

प्रकार, अनंतिम कुर्की आदेश में अपेक्षित विवरण के अभाव में, विभाग के साथ-साथ अधिसूचित प्राधिकरण (पैरा 3.4.1 देखें) राजस्व के हितों की रक्षा के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुर्क संपत्ति(यों) की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सक्षम नहीं होगा।

(iii) अनंतिम कुर्की आदेश जिनमें अनुमानित कर देयता को इंगित किए बिना निर्गत किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से केवल सात मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम कुर्की आदेशों में विस्तृत जानकारी जैसे निर्धारित प्राधिकरण के अनुमोदन का संदर्भ, वैधता अवधि, कुर्की संपत्ति का मूल्य आदि शामिल किया था, लेकिन अनुमानित कर देयता को दर्ज नहीं किया था।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है (अन्य छह मामले **परिशिष्ट 7** में विस्तृत हैं):

मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले जिनका प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई प्रभार के अंतर्गत मुंबई के केन्द्रीय सर्किल-2(2) में निर्धारण किया गया था, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारण कार्यवाही फिर से खोल दी गई थी क्योंकि निर्धारिती ने अचल संपत्तियों में ₹ 2.15 करोड़ का निवेश किया था और संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया था। चूंकि निर्धारिती ने उक्त निवेश की घोषणा रिटर्न में या धारा 142(1) के अंतर्गत निर्धारिती को जारी नोटिस के उत्तर में नहीं की थी, इसलिए निर्धारण अधिकारी ने कर देयता की बड़ी मांग और राजस्व की सुरक्षा की संभावना पर विचार करते हुए धारा 281बी के अंतर्गत अपेक्षित विवरण अर्थात् अघोषित आय और निर्धारण आय में बड़े परिवर्धन की संभावना, कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) के अनुमोदन का संदर्भ और कुर्की लागू रहने की वैधता तिथि को दर्ज करते हुए एक आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि निर्धारण अधिकारी ने आवश्यक जानकारी के अधिकांश भागों का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने अनंतिम कुर्की आदेश में अनुमानित कर देयता का उल्लेख नहीं किया, जो निर्धारिती के दृष्टिकोण से आदेश में पारदर्शिता में कुछ कमी का संकेत देता था। आखिरकार, दिसंबर 2018 में पुनः निर्धारण पूरा हो गया, जिसमें रिटर्न की

गई आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, और कोई मांग बकाया नहीं थी। संपत्तियों की अनंतिम कुर्की को हटाने के लिए निरस्तीकरण आदेश अप्रैल 2019 में जारी किया गया था।

इस प्रकार, धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में अनुमानित कर देयता के दर्ज नहीं होने के कारण, जबकि आदेश में विस्तृत जानकारी शामिल की गई थी, यह पता नहीं लगाया जा सका कि कुर्क की गई संपत्तियां तात्कालिक मामले में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त थीं या नहीं। यह सितंबर 2004 के बोर्ड के निर्देशों की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक को पूरा नहीं करता था।

हालांकि, शेष 343 लेखापरीक्षित मामलों में, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों में निहित जानकारी न केवल आदेश-दर-आदेश भिन्न थी, बल्कि अनुमानित कर देयता सहित पूर्ण विवरण का भी अभाव था।

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्ण विवरण के अभाव में, निर्धारिती विभाग की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थ होगा, विशेष रूप से कर मांगों की वसूली के बारे में, जो निर्धारण पूरा होने पर उठाए जाएंगे। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

प्र.सीआइटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु में दो मामलों¹⁴ के संबंध में, एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) उठाया गया था कि आवश्यक जानकारी की अनुपस्थिति के कारण, धारा 281बी के अंतर्गत आदेश अस्पष्ट थे और विधि के शासन का पालन नहीं करते थे। निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि अनंतिम कुर्की आदेश के एक मानक प्रारूप का उपयोग किया गया था, हालांकि, यह नहीं बताया गया कि जारी किया गया आदेश धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के मानक प्रारूप के अनुरूप कैसे था।

3.2.2 धारा 281बी आदेश में आवश्यक जानकारी दर्ज न करना

निर्धारिती के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अनंतिम कुर्की आदेश (धारा 281बी के अंतर्गत आदेश) में आवश्यक जानकारी जिसमें आदेश की वैधता अवधि,

¹⁴ मेसर्स ए14 लिमिटेड और श्री टी1

अनुमानित कर देयता, कुर्क की जा रही संपत्ति का मूल्य और कुर्क की गई संपत्ति के बदले बैंक गारंटी निष्पादित करने का विकल्प शामिल है, का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

(i) **वैधता अवधि का दर्ज न होना:** आदेश में वैधता अवधि दर्ज करना न केवल निर्धारिती के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कार्य करता है, बल्कि संबंधित प्राधिकरण(ओं) को भी जागरूक बनाता है, जिसे प्रतिबंध लागू होने की अवधि के बारे में आदेश अधिसूचित¹⁵ किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आदेश की वैधता अवधि 350 मामलों में से 222 में दर्ज की गई थी और यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारिती को इस अवधि के दौरान कुर्क की गई संपत्ति का निपटान करने से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि, शेष 128 मामलों (36.6 प्रतिशत) में से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 78 मामलों में वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था, और 50 मामलों में, यह उल्लेख किया गया था कि आदेश अगले आदेश तक वैध रहेगा, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत खुला और विवेकाधीन प्रतीत होता था। ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए श्री सी1 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई में किया गया था, अगस्त 2019 में जारी धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश में केवल निर्धारिती का नाम और वैधता अवधि सहित अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज किए बिना कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया था। धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश को अधिसूचित करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने बैंक प्रबंधकों को आदेश दिया था कि वे निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले निर्देश तक अनंतिम रूप से संलग्न बैंक खातों में उपलब्ध धन के हस्तांतरण या निकासी की अनुमति न दें।

हालांकि, धारा 281बी के अंतर्गत उक्त आदेश की वैधता अवधि के दर्ज न होने के अभाव में, अधिसूचित प्राधिकरण को निर्देश अनिश्चित काल के लिए प्रतीत होता था जो अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन था। धारा 281बी के अंतर्गत आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फरवरी 2020

¹⁵ अचल संपत्ति के मामले में उप रजिस्ट्रार और चल संपत्तियों के मामले में बैंक प्राधिकरण आदि।

में समाप्त हो गया और आगे कोई विस्तार आदेश जारी नहीं किया गया, जो अनंतिम कुर्की की अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2019 में संवीक्षा निर्धारण पूरा होने पर उठाई गई ₹ 3.62 करोड़ की बकाया मांग (जुलाई 2022) असुरक्षित बनी हुई है। मंत्रालय/सीबीडीटी के उत्तर और शेष कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि के विशिष्ट उल्लेख के अभाव में, अनंतिम कुर्की की अपर्याप्त निगरानी का जोखिम है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस तरह के अनंतिम कुर्की का उद्देश्य विफल हो सकता है।

(ii) कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कर देयता और मूल्य को दर्ज नहीं करना: बोर्ड के सितम्बर, 2004 के अनुदेशों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि निर्धारण अधिकारी किसी निर्धारिती की संपत्ति को कुर्क करेगा जो निर्धारण पूरा होने पर उत्पन्न होने वाली अनुमानित कर देयता को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगी। निर्धारितीयों के परिप्रेक्ष्य से देखें तो धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में अनुमानित कर देयता और कुर्क संपत्ति के मूल्य दोनों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है ताकि यह दर्शाया जा सके कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य संवीक्षा निर्धारण के समापन पर उत्पन्न होने वाली कर देयता के मूल्य के साथ काफी तुलनीय है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 350 मामलों में से किसी में भी अनुमानित कर देयता धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में दर्ज नहीं की गई थी, जिसके बारे में संबंधित निर्धारितीयों को सूचित किया गया था। हालांकि, 176 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के अपने प्रस्तावों में या तो अनुमानित कर देयता अथवा अघोषित/बेहिसाब आय की मात्रा का उल्लेख प्र. सीआईटी को/अन्य रिकॉर्ड दस्तावेज़ जैसे कि कार्यालय टिप्पणी में किया था। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां अनंतिम कुर्की/संवीक्षा निर्धारण से संबंधित प्रस्तावों/कार्यालय टिप्पण में केवल अघोषित/बेहिसाब आय की मात्रा दर्ज की गई थी, लेखापरीक्षा ने 30 प्रतिशत की मूल कर की दर (अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) पर अनुमानित कर देयता का पता लगाया ताकि इसकी तुलना अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति

के मूल्य से की जा सके, जो जहां भी उपलब्ध हो। ऐसे मामलों में जहां संपत्ति का मूल्य और/या अनुमानित कर देयता (या कम से कम अघोषित आय की मात्रा) टिप्पण में उपलब्ध नहीं है, जिस आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने अनंतिम कुर्की के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों में 318 मामलों (91 प्रतिशत) में कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य नहीं बताया गया था। 32 मामलों में (परिशिष्ट 8 के अनुसार), जो 350 लेखापरीक्षित मामलों का नौ प्रतिशत था, संपत्ति के मूल्य का उल्लेख धारा 281बी के अंतर्गत संबंधित आदेशों में अनुमानित कर देयता दर्ज किए बिना किया गया था। परिणामस्वरूप, अनुमानित कर देयता की तुलना कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य के साथ करना संभव नहीं था, जिसमें एक निर्धारिती के परिदृश्य से भी शामिल था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है।

निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2013-14 के लिए श्री आर20 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद में किया गया था, धारा 281बी (जून 2018) के अंतर्गत आदेश में अनुमानित कर देयता और कुर्क संपत्ति के मूल्य (अर्थात्, ₹ 5.83 करोड़ जिसे प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 281बी प्रस्ताव में दर्शाया गया था) को दर्ज नहीं किया गया था। अपने प्रस्तुतीकरण (जुलाई 2018) में, निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी संभावित मांग का अनुमान लगाने में विफल रहा था जो निर्धारण से उत्पन्न हो सकता है। निर्धारण अधिकारी ने (जुलाई 2018) निर्धारिती को उत्तर दिया कि “अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुसार, यह पूर्व-आवश्यक नहीं है कि अनंतिम कुर्की करने से पहले मांग का अनुमान लगाया जाना चाहिए”। अनुमानित कर देयता और कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य को दर्ज नहीं करने के मुद्दे पर एक लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर में (जून 2021) में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि कर देयता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और निर्धारण पूरा होने से पहले ऐसा करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा, चूंकि अनंतिम

कुर्की केवल सुरक्षात्मक आधार पर की जाती है, इसलिए कुर्क की गई संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारण अधिकारी का दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बोर्ड के सितंबर 2004 के निर्देशों में कहा गया है कि 'विचाराधीन मांग को शामिल करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति' जिसका अर्थ है कि कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारण से उत्पन्न होने वाली संभावित मांग का निर्धारण करना ताकि इसकी पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, धारा 281बी(4) निर्धारण अधिकारी को इसके उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति को निर्धारण अधिकारी को संदर्भित करने का विकल्प प्रदान करती है। फरवरी 2021 तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारण कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी और इस बीच, कर की वसूली के बिना अनंतिम कुर्की समाप्त हो गई (दिसंबर 2018)। सीबीडीटी से निर्धारण कार्यवाही की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

हालांकि निर्धारण अधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच-पड़ताल की होगी कि पर्याप्त मूल्य वाली संपत्ति कुर्क की जा रही है, लेकिन पर्याप्त विवरण के अभाव में धारा 281बी के अंतर्गत आदेश निर्धारिती के साथ-साथ अधिसूचित अधिकारियों के लिए अपारदर्शी हो गया, विशेष रूप से कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता या अन्यथा के संदर्भ में।

(iii) अनंतिम कुर्की के बदले बैंक गारंटी का विकल्प निर्धारिती को प्रदान नहीं किया गया था: उन मामलों में जहां निर्धारिती बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है जो कि संपत्ति के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम राशि का न हो, अधिनियम की धारा 281बी(3) में धारा 281बी के अंतर्गत आदेश को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप कुर्क संपत्ति को जारी करने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 350 लेखापरीक्षा किए गए मामलों में से किसी में भी निर्धारिती को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के बराबर राशि के लिए कुर्क की गई संपत्ति के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान नहीं किया गया था। इस तरह का विकल्प प्रदान करने के अभाव में, विभाग ने कर मांग बकाया के समायोजन के उद्देश्य से अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के

रूपांतरण की बोझिल प्रक्रिया में मजबूर किए बिना राजस्व के हित को आसानी से सुरक्षित करने का अवसर खो दिया। जैसा कि बाद के निष्कर्षों में देखा जा सकता है, लेखापरीक्षा किए गए अधिकतम आदेशों में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इंगित नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती के लिए एक विशिष्ट राशि के लिए बैंक गारंटी की पेशकश करना असंभव हो गया।

मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2022)।

उक्त आदेश जारी करने की प्रक्रिया में निर्धारिती को सुनवाई का पूर्व अवसर देने का प्रावधान नहीं है। चूंकि लेखापरीक्षा की राय में यह संपत्ति की कुर्की के संबंध में विभाग और निर्धारिती के बीच संचार का एकमात्र साधन है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके एक स्व-निहित आदेश जारी किया जाए ताकि अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनी रहे। इसके साथ यह भी सुनिश्चित होगा कि राजस्व के हितों की रक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त हो और विभाग के लिए मुकदमेबाजी से बचा/कम किया जाए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की तुलना अन्य राजस्व अधिनियमों, विशेष रूप से हाल के केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम), 2017 के प्रावधानों के साथ की। सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 159 में अनंतिम कुर्की आदेश (फॉर्म सं डीआरसी-22) का एक प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसमें निर्धारिती का नाम, व्यवसाय का स्थान, स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रकार/विवरण और कुर्क संपत्ति पर लगाए गए प्रतिबंध जैसे विवरण शामिल हैं, जबकि सीबीडीटी द्वारा ऐसा कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है।

इसलिए, अधिनियम के मौजूदा नियम प्रावधानों पर विचार करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश के लिए एक प्रारूप तैयार किया जा सकता है ताकि अनुमानित कर देयता और कुर्क संपत्ति के मूल्य सहित सभी आवश्यक विवरणों का रिकॉर्ड किया जा सके, जो न केवल यह प्रदर्शित करेगा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य उत्पन्न होने वाली कर देयता के मूल्य के साथ काफी तुलनीय है बल्कि अनंतिम कुर्की की प्रभावी निगरानी के लिए विभाग के साथ-साथ अधिसूचित प्राधिकरण को भी सुविधा प्रदान करेगा। यह संबंधित

निर्धारिती को बेहतर और त्वरित अनुपालन के लिए भी सक्षम करेगा। आयकर विभाग द्वारा विचार के लिए लेखापरीक्षा (परिशिष्ट 9) द्वारा एक नमूना प्रारूप का सुझाव दिया गया है।

सिफारिश संख्या 1:

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 281बी के अंतर्गत आदेश का प्रारूप विहित कर सकता है जिसमें सुसंगतता और विधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए आवश्यक सूचना के सभी तत्वों को शामिल किया जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया नमूना प्रारूप सीबीडीटी द्वारा विचार के लिए संलग्न (परिशिष्ट 9) है।

इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022), “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के प्रावधानों में आदेश का फार्म या प्रारूप निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए, ऐसा कोई भी प्रोफार्मा एक गैर-वैधानिक प्रोफार्मा ही होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा का सुझाव नोट किया गया है और लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए प्रोफार्मा पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 119(1) के प्रावधानों में उपबंध है कि बोर्ड समय-समय पर इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए प्राधिकारियों आयकर अन्य को, यदि वह उपयुक्त समझे, आदेश, अनुदेश और निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार, सीबीडीटी, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश के उपयुक्त प्रारूप को निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, ताकि मौजूदा प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, मनमानी को कम किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और आदेशों के उचित अनुपालन के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) के साथ-साथ निर्धारिती को सुविधा प्रदान की जा सके। लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा करेगा।

3.3 अनंतिम कुर्की के लिए राय बनाना

अधिनियम की धारा 281बी(1) में अधिदेशित है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, निर्धारण अधिकारी को एक राय बनानी होगी कि क्या निर्धारिती की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी करना

आवश्यक है। 1975 में अधिनियम में धारा 281बी को सम्मिलित करने के पीछे विधायी मंशा को बोर्ड¹⁶ द्वारा यह कहते हुए स्पष्ट किया गया था (सितंबर 1975) कि इन प्रावधानों को ऐसे मामले में लागू किया जाएगा जहां निर्धारण अधिकारी की राय है कि निर्धारित निर्दिष्ट परिस्थितियों में मांग के अंतिम संग्रह को रोक सकता है। बोर्ड ने सितंबर 2004 के निर्देशों¹⁷ के तहत इस बात पर भी जोर दिया कि धारा 281बी के प्रावधानों को संयम से लागू किया जाना चाहिए ताकि उनके विवेकहीन उपयोग को रोका जा सके।

धारा 281बी के प्रावधानों के साथ-साथ बोर्ड के अनुदेशों में दो पहलुओं की परिकल्पना की गई है (क) अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने से बचना और (ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा राय बनाने के लिए आधार स्थापित करना। राय बनाने के इन दो पहलुओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.3.1 अनंतिम कुर्की के प्रावधानों के उपयोग की सीमा

वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान, 18 केंद्रीय आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार के तहत 72 निर्धारण अधिकारी द्वारा संविक्षा निर्धारण के लिए 94,921 मामलों (समूह निर्धारण¹⁸ सहित) का चयन किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के पास उपरोक्त 94,921 निर्धारण मामलों में शामिल निर्धारितियों की संख्या से संबंधित डेटा/सूचना नहीं थी, जिन्हें इन अवधियों के दौरान जांच के लिए चुना गया था।

इन 18 केंद्रीय आयुक्तालयों में, वि.व. 2017-18 से 2019-20 के दौरान 354 निर्धारितियों¹⁹ के संबंध में धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश लागू किए गए थे, जिन्हें एसएससीए के लिए कुल नमूने के रूप में चुना गया था। आयुक्तालय-वार ब्यौरा **परिशिष्ट 10** में दिया गया है।

¹⁶ सीबीडीटी परिपत्र सं. 179 दिनांक 30/09/1975।

¹⁷ सीबीडीटी अनुदेश सं.8 दिनांक 02/09/2004।

¹⁸ धारा 153ए(बी), या धारा 153सी, यह निर्धारित करती है कि एओ पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष से ठीक पहले छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करेगा, जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी की गई है और या प्रासंगिक निर्धारण वर्ष।

¹⁹ पैरा 2.5 (अर्थात **परिशिष्ट 4क**) में उल्लिखित 04 गैर-प्रस्तुत मामले शामिल हैं।

इस प्रकार, संवीक्षा निर्धारणों के लिए चुने गए निर्धारितियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा में इस बात पर टिप्पणी नहीं की जा सकी कि विभाग ने धारा 281बी के प्रावधानों को संयम से लागू किया है या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

3.3.2 राय बनाने के लिए आधार की स्थापना

धारा 281बी के प्रावधानों के विवेकहीन उपयोग से सुरक्षा के लिए, बोर्ड ने निर्देश²⁰ दिया (नवंबर 2004) कि उनका सहारा केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जहां 'परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता' या 'असाधारण परिस्थितियों' के कारण वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना है। कई मामलों²¹ में यह न्यायिक रूप से भी निर्णय दिया गया है कि निर्धारण अधिकारी की राय हमेशा इस अनुभव पर आधारित होनी चाहिए कि निर्धारिती द्वारा मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने की संभावना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी बनाम आयकर आयुक्त और एएनआर [2001] 252 आईटीआर 642 (एपी) के मामले में याचिकाकर्ता, जो एक आयकर निर्धारिती है, ने दूसरे प्रतिवादी अर्थात् आयकर उपायुक्त, सर्कल 4(3), हैदराबाद द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के तरह पारित आदेश दिनांक 29 मई, 2001 की विधिमान्यता और वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दर्ज की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए, आंध्र उच्च न्यायालय ने पाया (17/07/2001) कि "उचित अनुभव होना चाहिए कि निर्धारिती मांग जिसकी निर्धारण पूरा होने देय होने की संभावना है, के अंतिम संग्रह में चूक कर सकता है। इसलिए, इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस संतुष्टि को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री न हो कि

²⁰ सीबीडीटी अनुदेश एफ. सं. 404/22/2004-आईटीसीसी, दिनांक 05/11/2004।

²¹ (i) अबुल कलाम बनाम एसीआईटी, सर्कल 8 (1), कोलकाता और अन्य - 2020 (कलकत्ता) का डब्ल्यूपी 25, दिनांक 27/01/2020; (ii) 2015 (दिल्ली) का एनडीटीवी लिमिटेड बनाम डीसीआईटी डब्ल्यूपीसी 9120 और 11638 दिनांक 10/8/2017; (iii) वीएलएस विल्ट बनाम आयकर आयुक्त (2000) 246 आईटीआर 707 (दिल्ली) दिनांक 03-08-2000; (iv) रघुराम ग्रह प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आईटीओ [2006] 281 आईटीआर 147 (सभी), इलाहाबाद उच्च न्यायालय (14/12/2005)।

निर्धारिती मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से का निस्तारण करने वाला है। इस निर्णय को हाल ही के न्यायिक निर्णय अर्थात् श्री अबुल कलाम बनाम एसीआईटी, सर्कल 8(1), कोलकाता और अन्य (27 जनवरी 2020) में दोहराया गया था, जिसमें धारा 281बी के तहत आदेश 26/12/2019 को जारी किया गया था, जिसमें निर्धारिती के बैंक खाते को कुर्क किया गया था और 29/12/2019 को निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 35.96 करोड़ की कर मांग करके संविक्षा निर्धारण को समाप्त किया गया था। अनंतिम कुर्की आदेश और निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दोनों के विरुद्ध निर्धारिती की याचिका के संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए राजस्व के निर्णय को रद्द कर दिया था कि कर की राशि अधिक है, और इसलिए अनंतिम कुर्की का सहारा लिया गया था, यह एक पर्याप्त कारण नहीं है और यदि इस कारण को स्वीकार कर लिया गया था तो उच्च मांगों के सभी मामलों में, ये अनंतिम कुर्की के मानक बन जाएंगे।

एक अन्य निर्णय²² में बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 281बी के तहत शक्तियां प्रबल शक्तियां हैं जो निर्धारण अधिकारी को निर्धारण/पुनः निर्धारण पूरा होने से पहले भी किसी निर्धारिती की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देती हैं। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग पर्याप्त कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए। ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल धारा में प्रयुक्त पदबंध को दोहराकर और ऐसा आदेश पारित करने वाले अधिकारी की राय को दर्ज करके नहीं किया जा सकता है कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट था, और ऐसा करना आवश्यक था।

इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) ऐसे मामले जहां बोर्ड द्वारा निर्धारित राय बनाई गई थी:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित शर्तों जैसे कि 'परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता' या 'असाधारण परिस्थितियों' के कारण वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना को अपनी

²² वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाम डीसीआईटी डब्ल्यूपी 2036 के मामले में 2019 (बॉम्बे) दिनांक 03/09/2019।

राय का आधार बनाया था। सात निर्धारितियों वाले दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है और शेष मामलों को **परिशिष्ट 11** में दिया गया है।

(क) प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) बेंगलुरु के क्षेत्राधिकार के तहत केन्द्रीय सर्कल - 1, मंगलुरु में नि.व. 2010-11 से 2016-17 के लिए निर्धारित किए गए छह संबंधित निर्धारितियों अर्थात् श्रीमति एस23, श्री ए12, श्री एस5, श्री एम3, श्रीमति एस26 और श्री एम13 के समूह-संबंधी खोज मामलों में निर्धारण किया, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत प्रस्ताव में अपनी राय दर्ज की थी कि निर्धारिती ने निर्धारण रिपोर्ट में अनुमानित अघोषित आय पर आपत्ति जताई थी और ऐसा लगता है कि इससे कर की वसूली की संभावना कम हो सकती हैं। इस प्रकार, इस पर राय बनाने में बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया गया था। धारा 281बी के तहत प्रस्ताव में, निर्धारण अधिकारी ने कुल ₹ 20.25 करोड़ की अघोषित आय को बताया (जिसके प्रति अनुमानित कर देयता ₹ 6.07 करोड़ है, जिसकी गणना अधिभार / उपकर / ब्याज / शास्ति को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर की दर पर की जाती है)। निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे। विस्तारण आदेशों की वैधता अवधि को दर्शाएं बिना जून 2018 में आदेशों को आगे विस्तार दिया गया था। निर्धारण 2017 में ₹ 21.42 करोड़ की कर मांग उठाकर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में कहा गया (जुलाई 2022) संविक्षा निर्धारणों के प्रति संबंधित निर्धारितियों की अपीलों को सीआईटी (अपील)/आईटीएटी द्वारा उनके पक्ष में निपटाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर मांग में उल्लेखनीय कमी आई (कुल मिलाकर ₹ 7.01 करोड़)। बकाया कर मांग की वसूली की मौजूदा स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

(ख) प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल-1(4), चेन्नई में नि.व. 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारण किए गए श्री ए20 के मामले में निर्धारण अधिकारी ने मई 2018 में धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। निर्धारण अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 281बी के तहत प्रस्ताव में दर्ज किया कि “*जानबूझकर करों के भुगतान से बचने प्रयास के लिए निर्धारिती के विरुद्ध अधिनियम की धारा*

276सी(2) के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए 21/03/2018 को एक प्रस्ताव प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई को भेजा गया था। धारा 281बी के तहत प्रस्ताव में, निर्धारण अधिकारी ने कुल ₹ 91.86 करोड़ की अघोषित आय को दर्शाया (जिसके विरुद्ध अनुमानित कर देयता ₹ 27.56 करोड़ है, जिसकी गणना अधिभार/ उपकर / ब्याज / शास्ति को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर की जाती है)। इस प्रकार, इस मामले में राय बनाने के लिए जिम्मेदार कारण, बोर्ड के सितंबर 2004 के निर्देशों में निर्धारित किए गए थे, अर्थात्, यह अनुभव कि निर्धारिती मांग के अंतिम संग्रह को विफल कर सकता है। आदेश की वैधता की अवधि को दर्शाए बिना, धारा 281बी के तहत आदेश को अक्टूबर 2018, अप्रैल 2019 और अक्टूबर 2019 में तीन बार बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि तलाशी निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 331.32 करोड़ की मांग उठाकर पूरा किया गया था, जो पूरी तरह से बकाया था। बकाया कर मांग की वसूली की मौजूदा स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

(ii) ऐसे मामले जहां बोर्ड द्वारा निर्धारित राय स्थापित नहीं की गई थी: 206 मामलों में, संबंधित निर्धारण अधिकारी ने निम्नलिखित दो मानक कारणों को दर्ज करके निर्धारिती की संपत्ति की अनंतिम कुर्की का प्रस्ताव दिया था:

- तलाशी से संबंधित निर्धारण पूरा होने पर पर्याप्त मांग उठाए जाने की संभावना है।
- राजस्व के हितों की रक्षा करना।

लेखापरीक्षा में कहा गया कि नीचे चर्चा किए गए दो अन्य मामलों में निर्धारण अधिकारी ने कारण भी दर्ज किया था कि निर्धारितियों ने तलाशी के बाद के नोटिस के उत्तर में दर्ज अपनी आय के रिटर्न में स्वीकार की गई आय की घोषणा नहीं की थी।

जबकि पहला मानक कारण आमतौर पर सभी तलाशी मामलों में प्रचलित होता है क्योंकि यह तलाशी करने के लिए एक आवश्यक विशेषता है, बाद का कारण आयकर प्रावधानों का प्राथमिक उद्देश्य है और किसी भी और सभी निर्धारण कार्यवाहियों के प्रति निर्धारण अधिकारी की जिम्मेदारी का एक

आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की के लिए इन मानक कारणों को जिम्मेदार ठहराने वाले निर्धारण अधिकारी मंत्रालय/सीबीडीटी के अनुदेशों²³ के अनुरूप नहीं थे। इन सभी 350 मामलों का आयुक्तालय-वार ब्यौरा **परिशिष्ट 12** में दिया गया है।

प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल-1(3), बेंगलुरु में निर्धारण किए गए नि.व. 2011-12 से 2018-19 के लिए श्री वी1 और मैसर्स सी16 लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामलों में जनवरी 2019 में प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु के अनुमोदन के बाद अनंतिम कुर्की आदेश केवल सामान्य/मानक कारणों के आधार पर जारी किए गए थे जो राय बनाने के लिए दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि कारण असाधारण थे अर्थात् (क) पश्च-तलाशी के नोटिस के उत्तर में दर्ज आय के रिटर्न में निर्धारितियों ने स्वीकार की गई आय की घोषणा नहीं की थी, (ख) समाचार पत्रों की रिपोर्ट कि निर्धारिती एक उच्च मूल्य की संपत्ति का निपटान करने का प्रयास कर रहा था, जिसके लिए विभाग की कोई यथा निर्धारित²⁴ अनुमति की मांग नहीं की गई थी और (ग) उनके समूह की कंपनियों में से एक नियमित कर चूककर्ता थी। निर्धारण अधिकारी ने आगे बताया कि ये असाधारण परिस्थितियां थीं जिन पर धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए विचार किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

(iii) शेष 119 मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त मानक कारणों के अलावा, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की से संबंधित प्रस्तावों में कुछ अतिरिक्त कारण दर्ज किए जिन्हें नीचे तालिका संख्या 05 में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

²³ 2004 की सं. 8 दिनांक 02/09/2004

²⁴ आईटी अधिनियम की धारा 281 के तहत - अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के शुरू होने के बाद, करदाता हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, बंधक आदि के माध्यम से किसी भी स्वामित्व वाली संपत्ति के निपटान के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी की अनुमति मांगेगा।

तालिका संख्या 05: 281बी प्रावधानों को लागू करने के लिए दर्ज किए गए अतिरिक्त कारणों के विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण									
दर्ज किए गए अतिरिक्त कारणों का विवरण (राय बनाना)	कुल 281बी मामलों की संख्या	कुल अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमानित कर देयता की विभिन्न श्रेणियों में मामलों की संख्या				उपलब्ध नहीं है	
				₹ 10 करोड़ से कम	₹ 10 करोड़ से अधिक और ₹ 50 करोड़ तक	₹ 50 करोड़ से अधिक और ₹ 100 करोड़ तक	₹ 100 से अधिक		
तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान जांच विंग द्वारा निर्धारित अनुमानित आय पर आपत्ति जताते हुए निर्धारिती।	08	0.57	उपलब्ध नहीं है	01	--	--	--	07	
निर्धारिती को उसकी संपत्ति से अलग होने से रोकने के लिए	29	72.81	36.39	12	02	--	--	15	
जब्त सामग्री संभावित मांग को कवर करने के लिए अपर्याप्त	06	80.26	उपलब्ध नहीं है	02	04	--	--	--	
जांच विंग से प्राप्त अनंतिम कुर्की की विशिष्ट सिफारिश	06	16.50	77.23	06	--	--	--	--	
निर्धारिती द्वारा 'असहयोग' के विभिन्न संकेत	68	599.79	290.77	43	08	03	--	14	
निर्धारिती के विरुद्ध चल रही सिविल/आपराधिक कार्यवाही।	02	2,105.01	उपलब्ध नहीं है	--	--	01	01	--	
कुल	119	2,874.94		64	14	04	01	36	

जैसा कि पूर्वोक्त तालिका से देखा जा सकता है, अधिकतम मामलों में (₹ 599.79 करोड़ की संचयी अनुमानित कर देयता वाले 68 मामले), धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त कारण संबंधित निर्धारिती द्वारा संविक्षा /निर्धारण कार्यवाही को पूरा करने में असहयोग करना था जैसे कि निर्धारितियों ने निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न नोटिसों का उत्तर नहीं दिया; तलाशी जांच के दौरान दिए गए बयानों से पीछे हटने वाले निर्धारिती; निर्धारितियों ने उस अघोषित आय की घोषणा नहीं की है जिसे तलाशी जांच के दौरान स्वीकार किया गया था, और अन्य। उल्लेखनीय है कि अनुमानित कर देयता का उच्चतम मूल्य (₹ 2,105.01 करोड़ जो सभी 119 मामलों की कुल अनुमानित कर देयता का 73.2 प्रतिशत था) दो मामलों में पाया गया था जहां निर्धारितियों²⁵ के विरुद्ध सिविल/ आपराधिक मामले लंबित थे और इन कारणों को उनके मामलों के प्रति धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा रहे विशिष्ट मानदंडों के अभाव में लेखापरीक्षा यह टिप्पणी नहीं कर सकी कि क्या उपर्युक्त कारणों को धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने वाली असाधारण परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है और कानूनी संवीक्षा में भी टिके रह सकता है।

इस प्रकार, 327 मामलों²⁶ (93.4 प्रतिशत) में, न तो अनंतिम कुर्की के प्रस्ताव और न ही परिणामी अनंतिम कुर्की आदेश ने स्पष्ट संकेत दिया कि निर्धारण अधिकारी ने मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा निर्धारित तरीके से अपनी राय बनाई थी।

लेखापरीक्षा ने सभी लेखापरीक्षित मामलों में वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना के आधार पर राय बनाने के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न भी उठाया (दिसंबर 2020 - मार्च 2021)। छह केंद्रीय आयुक्तालय प्रभागों (**परिशिष्ट 13**) में 113 मामलों में, संबंधित निर्धारण अधिकारी ने दोहराया (दिसंबर 2020 -

²⁵ केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई [प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई प्रभाग] में श्रीमति वी2 के संबंध में ₹ 2,042 करोड़ और केंद्रीय सर्कल-28, दिल्ली (प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली प्रभाग) में श्री ए44 के संबंध में ₹ 63.01 करोड़

²⁶ पैराग्राफ के पहले भाग में चर्चा किए गए 23 मामलों को छोड़कर, जिसमें एओ की राय निर्धारित मानदंडों के अनुसार थी।

जून 2021) कि धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल मानक कारणों को आधार बनाया था।

तथापि, लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी के उत्तर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिन्हें न्यायिक तौर से बरकरार रखा गया था। एओ द्वारा बताए गए कारण सामान्य प्रकृति के थे और 'वसूली के कठिन होने की संभावना' के मूल आधार को प्रमाणित नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त, किसी संपत्ति/परिसंपत्ति की अनंतिम कुर्की के परिणामस्वरूप लाभकारी कारोबार वाली संस्था में व्यवधान आ सकता है, जिससे निर्धारण पूरा होने के बाद उठाई जाने वाली मांग को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनंतिम कुर्की एक प्रबल शक्ति है, जो निर्धारण अधिकारी को निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व ही किसी निर्धारिती की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देती है। इस प्रकार, ये शक्तियां निर्णय से पहले कुर्की की प्रकृति के हैं। अधिनियम की धारा 281बी की उप-धारा (2) के संदर्भ में, वे अनंतिम रूप से प्रयोज्य और उनकी एक सीमित अवधि है। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग उचित कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए। ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल धारा में प्रयुक्त पदावली को दोहराने और ऐसा आदेश पारित करने वाले अधिकारी की राय दर्ज करने से नहीं किया जा सकता कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट था, व ऐसा करना आवश्यक था। इसलिए, इस प्रावधान के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से और उचित सोच के बाद किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों की तुलना अन्य राजस्व अधिनियमों, विशेष रूप से हाल ही में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम), 2017 के प्रावधानों से की। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में निर्धारित किया गया है कि मानदंड की एक स्पष्ट परिभाषा को विधिवत रूप से शामिल करते हुए, अर्थात्, यदि निर्धारिती "गैरज़िम्मेदार" संचालक है, आदतन अपराधी है या उसके पास निर्धारण से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि का भुगतान करने के साधन नहीं हैं, या वह चूक करने जा रहा है तो "राय ऐसी होनी चाहिए कि मांग आदेश जारी होने के बाद कर योग्य व्यक्ति वसूली के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

लेखापरीक्षित आदेशों में उल्लिखित कारणों की रेंज, बकाया मांग मामलों को वर्गीकृत करने के लिए मौजूदा मानदंडों²⁷ और सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, असाधारण परिस्थितियों की एक सुझाव (लेकिन सभी समावेशी नहीं हैं) सूची, जिन्हें 'वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना' को बढ़ावा देने वाली के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है, को **परिशिष्ट 14** में दिया गया है, जिसे अपनाने के लिए मंत्रालय/सीबीडीटी उपयुक्त रूप से विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 2:

सीबीडीटी राय बनाने के लिए विशिष्ट मानदंड तैयार कर सकता है, शायद उदाहरण के साथ, और "असाधारण परिस्थितियों" को स्पष्ट कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रभावी तरीके से अनंतिम कुर्की की कार्यवाही शुरू करने में सुविधा मिल सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार है: "281बी(1) - [या धारा 271एएडी के तहत शास्ति लगाने के लिए जहां उक्त धारा के तहत लगाई जाने वाली शास्ति की राशि या कुल राशि ₹ दो करोड़ से अधिक है]²⁸" इसलिए, जब भी निर्धारण अधिकारी, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते यह राय रखता है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की की आवश्यकता होती है इस तरह की कुर्की प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से की जाती है। प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक, जैसा भी मामला हो। प्रावधान का विधायी आशय यह है कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारितियों को कर मांग के अंतिम संग्रह करने को विफल करने से रोका जाता है। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, इसलिए निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई पर किसी और प्रतिबंध से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की के चरण

²⁷ केंद्रीय कार्य योजना-I (सीएपी-I) के खंड 9 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी-स्तरीय मासिक बकाया कर मांग और बोर्ड तक उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए संग्रह का विवरण देता है।

²⁸ धारा 281बी की उप-धारा (1) को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था।

में सटीक कर देयता का निर्धारण करना संभव नहीं हो सकता और इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 281बी को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था ताकि धारा 271एएडी के तहत शास्ति प्रावधानों के संदर्भ में एक विशिष्ट परिस्थिति को शामिल किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से, अधिनियम ने निर्धारण अधिकारी को परिभाषित परिस्थितियों में से एक में धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने की सुविधा प्रदान की है, जो आंशिक रूप से लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप है। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड के दिनांक 02/09/2004 के अनुदेश संख्या 08 में उल्लिखित शब्द 'असाधारण परिस्थितियां' को उदाहरणों के माध्यम से अभी परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे मौजूदा प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। परिणामस्वरूप, धारा 281बी के प्रावधानों को मानक कारणों जैसे कि निर्धारण अधिकारी द्वारा 'राजस्व के हितों की रक्षा' और 'निर्धारणों के बाद पर्याप्त कर मांगों की संभावना' के आधार पर अधिकांश लेखापरीक्षित मामलों में लागू किया गया था, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप नहीं थे और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं थे कि ऐसी शक्तियों को केवल धारा में उपयोग किए गए वाक्यांशों को दोहराकर और ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारियों की राय दर्ज करके उपयोग नहीं किया जा सकता कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट थे और ऐसा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा का विचार है कि असाधारण परिस्थितियों को व्यापक रूप से स्पष्ट करने या दर्शाने (जैसा कि रिपोर्ट के परिशिष्ट 14 में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है) से निर्धारण अधिकारी को अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए राय बनाने में सुविधा होगी और यह सुसंगत और कानूनी रूप से प्रभावकारी भी होगा। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

3.4 संबंधित प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना

धारा 281बी के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश संबंधित प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है, जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी और

सीईआरएसएआई²⁹ शामिल होते हैं ताकि राजस्व के हितों को सुरक्षित किया जा सके जिसे निर्धारितियों को कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण करने के प्रयास से रोका जा सके और यह पुष्टि भी की जा सके कि संपत्ति का अधिकार निर्धारिती के नाम पर है।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि निर्धारण अधिकारी ने संबंधित प्राधिकारियों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया का किस सीमा तक पालन किया था और इन परिणामों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.4.1 पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना

संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों को यह अधिकार दिया गया है कि वे निर्धारिती को पंजीकृत संपत्ति की बिक्री/अंतरण/उपहार के माध्यम से निपटान करने या उसके प्रति ऋण प्राप्त करने के लिए उसे गिरवी रखने की अनुमति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी निर्धारिती से संबंधित अचल संपत्ति राज्य सरकार के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के तहत क्षेत्राधिकार उप-पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत है, संबंधित प्राधिकरणों के पास चल संपत्ति अर्थात् बैंकिंग प्राधिकरणों के पास सावधि जमा और अन्य वित्तीय साधन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/पंजीकृत ब्रोकरों के पास स्टॉक और शेयर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास वाहन और बीमा कंपनियों के पास बीमा पॉलिसियां। चूंकि निर्धारिती की संपत्ति को धारा 281बी के तहत निर्धारित एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्क किया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि संबंधित प्राधिकारियों को समय पर इसके बारे में सूचित किया जाए, ताकि प्राधिकारी कुर्की पर ध्यान दे सकें और कुर्की की अवधि के दौरान संपत्ति के निपटान के लिए निर्धारिती के किसी भी प्रयास को विफल कर सकें।

अधिसूचनाओं में भिन्नताएं नीचे वर्णित हैं:

(i) छह³⁰ स्टेशनों में स्थित 10 केंद्रीय आयुक्तालयों के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत जारी आदेशों के 157 मामलों में, अधिसूचित प्राधिकारियों को निर्धारिती की संपत्ति(यों) की अनंतिम कुर्की के

²⁹ भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री

³⁰ भोपाल (रायपुर केन्द्रीय रेंज), चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, विशाखापत्तनम और मुंबई

बारे में सूचित किया गया था, जिसमें एक विशिष्ट अनुरोध था कि आदेश की वैधता अवधि के दौरान निर्धारिती को कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा देने से रोका जाए।

महत्वपूर्ण मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) श्री एन11 के तलाशी मामले में; निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए प्रा.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल 1(4), चेन्नई में निर्धारण किया गया था, ₹ 232.51 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति, निर्धारिती की अचल संपत्तियों (मूल्य को नहीं दर्शाया गया है) को कुर्क करने के लिए धारा 281बी (22/11/2018) के तहत आदेश उप-पंजीयन, सनारपट्टी को अधिसूचित (22/11/2018) किया गया था, जिसमें कुर्क की गई भूमि की सर्वेक्षण संख्या का विवरण दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उप-पंजीयन ने उक्त अधिसूचना का उत्तर (22/11/2018) यह कहते हुए दिया कि निर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्याओं के तहत क्षेत्र की सीमा को जाने बिना उक्त कुर्की की अधिसूचना संभव नहीं थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उप पंजीयन के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया था। मामले में निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 279.04 करोड़ की मांग करके पूरा किया गया था, जिसके प्रति कोई राशि नहीं वसूली गई है, जिससे पूरी शेष राशि बकाया रह गई है (मार्च 2021)।

मंत्रालय ने इस टिप्पणी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि "श्री एन11 के नाम पर विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं के तहत 8.62 एकड़ भूमि की कुल सीमा का उल्लेख 281बी कुर्की आदेश में स्पष्ट रूप से किया गया था। इसके अलावा, इस मामले में 281बी के तहत कुर्की नवंबर 2018 में की गई थी और जो तलाशी निर्धारण पूर्ण होने के कारण फरवरी 2019 तक समाप्त हो गई थी। चूंकि 281बी के तहत कुर्की अब जुलाई 2019 तक वैध नहीं थी, इसलिए 25/07/2019 को उप-पंजीयन के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इसके अलावा मांगों को कर वसूली अधिकारी के पास भेजा गया था और उपरोक्त सभी संपत्तियों को कर वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क कर लिया गया था। आयकर विभाग द्वारा विभिन्न

सर्वेक्षण संख्याओं को शामिल करते हुए आठ एकड़ और 62 सेंट भूमि की कुर्की भी पंजीकरण विभाग के दायित्व प्रमाण पत्र (ईसी) में भी दर्शाई गई है।

मंत्रालय का उत्तर आंशिक रूप से निम्नलिखित आधारों पर मान्य नहीं है कि (i) धारा 281बी(2) के अनुसार प्रारंभिक अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि छह माह तक है, चाहे इसे आदेश में विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं। तत्काल मामले में, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश 22/11/2018 को जारी किया गया था। इसलिए, प्रारंभिक आदेश की वैधता अवधि 21/05/2019 तक थी, न कि फरवरी 2019 तक जैसा कि मंत्रालय द्वारा कहा गया है; (ii) उप-पंजीयन के दिनांक 25/07/2019 के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि तलाशी निर्धारण पूरा हो चुका था और चूंकि अनंतिम कुर्की अब जुलाई 2019 तक वैध नहीं थी, इसलिए उक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया था। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, तलाशी निर्धारण केवल दिसंबर 2019 में पूरा किया गया था (यानी, धारा 281बी के तहत आदेश की समाप्ति के सात महीने बाद)। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्धारण पूरा होने के बाद कुर्की आदेश की वैधता अवधि को साठ दिनों तक नहीं बढ़ाना धारा 281बी और / या सीबीडीटी के मौजूदा निर्देश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

(ख) श्रीमति एम11 का निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए तलाशी निर्धारण मामले में प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4 मुंबई प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई में निर्धारण किया गया, धारा 281बी (30/08/2018) आदेश के तहत ₹14.58 करोड़ (लेखापरीक्षा द्वारा गणना) की अनुमानित कर देयता के प्रति निर्धारिती की अचल संपत्तियों (₹ 6.35 करोड़ मूल्य) को कुर्क करने की सूचना संबंधित उप-पंजीयकों³¹ को दी गई थी। निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत आदेश के माध्यम से उनसे अनुरोध किया कि वे उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में बिक्री, बंधक, उपहार, विनिमय या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके के माध्यम से कब्जे पर शुल्क बनाने या आंशिक रूप से अलग होने की अनुमति न दें। लेखापरीक्षा में पाया

³¹ अंबावडी, अहमदाबाद; मुंबई सिटी -1; मुंबई सिटी -2; लोनावला और सचिव (कचनदीप अपार्टमेंट, अंबावडी, अहमदाबाद; और नवशांतिनगर सीएचएस लिमिटेड, मालाबार हिल, मुंबई)

गया कि ₹ 0.98 करोड़ की मांग करके दिसंबर 2018 में निर्धारण पूरा किया गया था, जिसके प्रति कोई राशि वसूल नहीं की गई थी, जिससे पूरी शेष राशि बकाया रह गई थी (दिसंबर 2020)। बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, हांलाकि संपत्तियों को कुर्क किया गया था और संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से अधिसूचित किया गया था, लेकिन विभाग इसका उपयोग करने में विफल रहा और धारा 281बी के तहत आदेश को कर की वसूली के बिना समाप्त होने दिया।

(ग) नि.व. 2009-10 से 2018-19 के लिए श्री ए44 के तलाशी निर्धारण मामले का प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, नई दिल्ली प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-28, दिल्ली में निर्धारण किया गया, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी (27/11/2019) के तहत संयुक्त/उप-पंजीयन, नोएडा, यूपी और उप-पंजीयन, नूंह, मेवात को एक और निर्देश के साथ आदेश जारी किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त निरोधक आदेश का पालन न करने पर अधिसूचित प्राधिकारी निर्धारिती की देय कर की सीमा और कानून के अनुसार शुरू की गई वसूली की कार्यवाही तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगा। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई फाइल में संबंधित प्राधिकारी का उत्तर अभिलेख पर नहीं पाया गया। मामले में निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹133.08 करोड़ की मांग करके पूरा किया गया था, जिसके प्रति कोई राशि वसूल नहीं की गई थी और जिससे पूरी शेष राशि (मार्च 2021) बकाया रहा गई। बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, हांलाकि धारा 281बी के तहत आदेश संबंधित प्राधिकरण को जारी किया गया था, लेकिन विभाग ने मांग की वसूली नहीं की और धारा 281बी के तहत आदेश को कर की वसूली के बिना समाप्त होने दिया।

(ii) सात³² स्टेशनों में नौ केंद्रीय आयुक्तालयों के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत जारी आदेशों के 189 मामलों में, अधिसूचना वैधानिक प्रवर्तन और जिम्मेदारी के लिए किसी विशिष्ट निर्देश के बिना केवल सूचना के लिए थी।

³² अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल (ग्वालियर केन्द्रीय रेंज), चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता

(iii) शेष चार मामलों में से तीन में, धारा 281बी के तहत आदेशों को पंजीकरण प्राधिकरणों यानी उप-पंजियन अधिकारी (दो मामले) और बैंक प्रबंधक (एक मामला) को अधिसूचित ही नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप प्राधिकारी वैधानिक रूप से निर्धारिती को कुर्क संपत्ति के निस्तारण से रोकने के लिए बाध्य नहीं थे। शेष एक मामले में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के आयकर (आईटी) प्रतिदाय को कुर्क किया, और चूंकि आईटी प्रतिदाय विभाग के नियंत्रण में है, इसलिए निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, ऐसे तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

(क) निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले का प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केंद्रीय सर्कल पणजी में निर्धारण किया गया था जिसमें निर्धारण अधिकारी ने चल संपत्ति अर्थात सावधि जमा (एफडी) (₹ 15.67 करोड़) के संबंध में 20/12/2017 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया लेकिन उसके बारे में संबंधित बैंक को अधिसूचित नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की पहली बार 27/12/2016 को उसी एफडी के लिए नियमित निर्धारण के दौरान जारी की गई थी और 31/12/2017 तक की वैधता के साथ 23/06/2017 को आगे बढ़ाई गई थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दिसंबर 2017 में जारी धारा 281बी के तहत आदेश को जून 2018 और दिसंबर 2018 में दो बार बढ़ाया गया था क्योंकि गोवा में माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा उस पर रोक लगाए जाने के कारण निर्धारण कार्यवाही लंबित थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि उक्त एफडी 13/12/2017 को परिपक्व हो गई थी। संबंधित प्राधिकरण को अधिसूचना जारी नहीं किए जाने और एफडी की परिपक्वता के कारण अनंतिम कुर्की राजस्व के हितों की रक्षा नहीं कर रही थी क्योंकि निर्धारिती द्वारा इसे भुनाने का जोखिम था। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022) कि निर्धारण कार्यवाही को बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी दर्ज की गई है, जो कि लंबित थी (जुलाई 2022)।

(ख) निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए श्री बी2 के तलाशी निर्धारण मामले का प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-2(3), बेंगलुरु में निर्धारण किया गया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की ₹ 5.26 करोड़ (अन्वेषण विंग द्वारा अनुमानित ₹17.54 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना) की अनुमानित कर देनदारी के प्रति चार अचल संपत्तियों (₹ 2.88 करोड़ मूल्य) को कुर्क करने के लिए, संबंधित उप-पंजीयक अधिकारी को सूचित किए बिना 10/12/2019 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा हुआ था और ₹ 6.51 करोड़ की मांग की गई थी। मई 2020 में इसकी समाप्ति के बाद लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए रिकॉर्ड में अनंतिम कुर्की आदेश के विस्तार से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूरी मांग लंबित थी (दिसंबर 2020)। निर्धारिती ने 21/02/2020 को निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दर्ज की थी, जो लंबित (जुलाई 2022) थी। चूंकि अनंतिम कुर्की आदेश संबंधित प्राधिकारी को अधिसूचित नहीं किया गया था, इसलिए उक्त कुर्की का उद्देश्य अधूरा रह गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ग) निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-6(4), मुंबई में, निर्धारित श्री आर19 के तलाशी निर्धारण मामले में धारा 281बी के तहत अनुमानित कर देनदारी ₹ 47.64 करोड़ (₹ 158.80 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना जो धारा 281बी के तहत आदेश में इंगित की गई थी) के प्रति निर्धारिती को देय आयकर (आईटी) प्रतिदाय (₹ 15.07 करोड़) कुर्क करने के लिए आदेश जारी (08/12/2017) किया गया जिसे विस्तार (08/05/2018 और 02/11/2018) दिया गया था। इसलिए, निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश की कोई अधिसूचना आवश्यक नहीं समझी गई और न ही दी गई थी। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के कब्जे में अन्य संपत्तियों के विवरण का पता लगाने के प्रयास किए थे। चूंकि, आईटी प्रतिदाय निर्धारण अधिकारी के नियंत्रण में

था, इसलिए इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि निर्धारिती उक्त "संपत्ति" अर्थात् आईटी प्रतिदाय का निपटान करने का प्रयास करेगा और इसलिए इसे कुर्क करने का कोई औचित्य नहीं था। लेखापरीक्षा को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा फाईल की गई (अगस्त 2016) आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दिए गए ब्योरे से पता चला कि निर्धारिती के पास कुल मिलाकर करीब ₹10 करोड़ की अन्य संपत्तियां (यानी ₹ नौ करोड़ का भवन और आभूषण एवं वाहनों जैसी करीब ₹ एक करोड़ मूल्य की चल संपत्ति) थी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम कुर्की के लिए आयकर प्रतिदाय का चयन करने से पहले इन संपत्तियों को कुर्क करने पर विचार किया था। लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, ₹ 93.84 करोड़ की मांग करके निर्धारण पूरा किया गया था (28/12/2018), जिसमें से ₹ 20.85 करोड़ की वसूली की गई थी, और शेष ₹ 72.98 करोड़ बकाया थे। हालांकि, कर वसूली के स्रोत, शेष कर के लंबित होने के कारणों और इसकी वसूली के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के अभाव में, लेखापरीक्षा मामले की वर्तमान स्थिति (जुलाई 2022) का पता नहीं लगा सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारण अधिकारी ने संबंधित प्राधिकरण को अनंतिम कुर्की आदेश अधिसूचित किया था, अधिकांश लेखापरीक्षित मामलों में, ऐसी अधिसूचना की विषय वस्तु एक समान, सुसंगत और पर्याप्त नहीं थी। लेखापरीक्षित मामलों में से 56 प्रतिशत में अधिसूचित प्राधिकारी (यों) को कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिया गया था। अधिसूचित प्राधिकारी को विशिष्ट निर्देश के अभाव में अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना के उद्देश्य का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली 2017 के नियम 159 के अनुसार, जहां आयुक्त सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 83 के प्रावधानों के अनुसार बैंक खाते सहित किसी भी संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय लेता है, वह इस आशय के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी -22 में एक आदेश पारित करेगा, जिसमें कुर्क संपत्ति

का विवरण होगा। इसके अलावा, आयुक्त उक्त चल या अचल संपत्ति पर ऋण भार के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकरण या परिवहन प्राधिकरण या किसी ऐसे प्राधिकरण को कुर्की के आदेश की एक प्रति भेजेगा, जिसे केवल आयुक्त से उस आशय के लिखित निर्देशों पर हटाया जाएगा।

इसलिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत नियम 159 (फॉर्म जीएसटी डीआरसी -22) के आधार पर संबंधित प्राधिकरण को अनंतिम कुर्की आदेश को अधिसूचित करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

3.4.2 सीईआरएसएआई को धारा 281बी के तहत आदेश की अधिसूचना

एसएआरएफईएसआई अधिनियम³³ की धारा 26-बी(4) के अनुसार, प्रत्याभूत क्रेडिटर³⁴ और अन्य क्रेडिटर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ, केंद्र/ राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्येक प्राधिकरण या अधिकारी जिसे कर या अन्य सरकारी देय की वसूली का कार्य सौंपा गया है, द्वारा जारी किसी भी संपत्ति के किसी भी आदेश या कुर्की को दर्ज करें। सीईआरएसएआई भारत की एक केंद्रीय ऑनलाइन प्रतिभूति स्वत्व रजिस्ट्री है, जिसे एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत साम्यिक बंधक के प्रति उधार देने में धोखाधड़ी की जांच करने के लिए बनाया गया है, जिसमें लोग विभिन्न बैंकों से एक ही संपत्ति पर कई बार ऋण लेते होंगे। सीईआरएसएआई के साथ फाइलिंग ऋणदाता और राजस्व अधिकारियों को संपत्ति पर वरीयता हासिल करने में सक्षम बनाती है, जो कई उधारदाताओं/राजस्व अधिकारियों के हित में है। इस संबंध में, बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया (सितंबर 2017)³⁵ कि वे सीईआरएसएआई को पहले से जारी किसी भी कुर्की आदेश की प्रति भेजकर

³³ वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

³⁴ सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (जेडडी) (i) "प्रत्याभूत क्रेडिटर" को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों या वित्तीय संस्थानों के किसी भी संघ या समूह के रूप में परिभाषित करती है, जो धारा 2(एल) में निर्दिष्ट किसी भी मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित रखते हैं।

³⁵ 06 सितंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से बोर्ड के आयकर निदेशालय (वसूली और टीडीएस) से निर्देश।

सूचित करें ताकि न केवल कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य बरकरार रहे, बल्कि कुर्क की गई संपत्ति पर विभाग का अधिकार भी शीर्ष पर बना रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से किसी में भी धारा 281बी के तहत आदेश सीईआरएसएआई को अधिसूचित नहीं किए गए थे जो सीबीडीटी के निर्देशों का साफ उल्लंघन था। चूंकि अनंतिम कुर्की में निर्धारण के बाद नियमित कुर्की में बदलने की संभावना होती है, ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती वास्तव में कर मांग के भुगतान में चूक करता है, वहां सीईआरएसएआई के साथ धारा 281बी के तहत आदेश को अधिसूचित करने से निर्धारण कार्यवाही के शुरुआती चरण में राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। धारा 281बी के तहत सीईआरएसएआई को आदेश अधिसूचित करने में निर्धारण अधिकारी की ओर से विफलता से उन मामलों में आयकर विभाग के कर बकाया की वसूली को प्राथमिकता नहीं दिए जाने का जोखिम था, जहां कुर्क की गई संपत्ति को निर्धारिती के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत बकायों की स्वीकृति के लिए निर्णीत किया जाना है।

इस मुद्दे पर एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर में, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई के अधिकार क्षेत्र के तहत केंद्रीय सर्कल-1(1) से 1(4), चेन्नई के प्रभारी निर्धारण अधिकारी ने कहा (मार्च 2021) कि “भविष्य में की गई किसी भी मांग की स्थिति में धारा 281बी के तहत कुर्की केवल राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक अनंतिम कुर्की है।” वास्तव में, यह निर्धारिती के कर बकायों की वसूली के लिए कुर्की नहीं है। यदि बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कुर्की की जाती है, तो उसे केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के समक्ष फाइल किया जाएगा। एओ का जवाब इसलिए तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि यह सितंबर 2017 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें सीईआरएसएआई को कुर्की संबंधी आदेशों की अधिसूचना की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, सीईआरएसएआई को अधिसूचना जारी न करने से विभाग को करदाता के अन्य प्रत्याभूत/अप्रत्याभूत ऋणदाता पर कर बकाया वसूली की प्राथमिकता हासिल करने से रोक दिया गया।

इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारियों को गैर/अपर्याप्त अधिसूचना के कारण, अनंतिम कुर्की के माध्यम से राजस्व के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य अपूर्ण रहेगा।

सिफारिश सं.3:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना सहित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए सीबीडीटी संबंधित अधिकारियों को अनंतिम कुर्की के लिए एक व्यापक एसओपी जारी करने पर विचार कर सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने कई अनुदेश जारी किए हैं, जैसे कि अनुदेश संख्या 1884 दिनांक 07/06/1991, अनुदेश संख्या 8 दिनांक 02/09/2004 और एफ. नं.404/22/2004-आईटीसीसी दिनांक 05/11/2004। प्रावधान का विधायी आशय यह है कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारित को कर मांग के अंतिम संग्रहण को विफल करने से प्रतिबंधित किया जा सके। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, एओ की कार्रवाई पर अतिरिक्त प्रतिबंधन से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं है, चूंकि इसमें कभी भी एओ को प्रतिबंधित करने का आशय नहीं था। इसके बजाय एक एसओपी जारी करने से एओ को अनंतिम कुर्की आदेश का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने में सुविधा होगी। जैसा कि लेखापरीक्षित मामलों के 50 प्रतिशत से अधिक में देखा जा सकता है (पैरा 3.4.1 देखें), अधिसूचना संबंधित प्राधिकारियों को या तो उनके अभिलेखों में अनंतिम कुर्की को अभ्युक्ति करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के बिना की गई थी या अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के संबंध में अधिसूचित प्राधिकारियों को अलग-अलग निर्देश दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी निर्देशों को दोहराने और प्रावधानों एवं

अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने पर विचार कर सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(ii) सीबीडीटी धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेशों को सीईआरएसएआई सहित संबंधित प्राधिकरणों को अनंतिम कुर्की पर ध्यान देने और उसमें जारी अनुदेशों के निर्धारिती द्वारा अनुपालन की निगरानी करने के लिए प्राधिकारियों को विशिष्ट अनुदेशों के साथ अधिसूचित करना अनिवार्य कर सकता है।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि इस संबंध में डीआईटी (रिकवरी एंड टीडीएस) द्वारा दिनांक 06/09/2017 के एफ.सं. एन.आई.(380)/डीआईटी (आर)/सरफेसी/17-18/669 में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सितंबर 2017 में बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी किया गया था, विशेषतः सीईआरएसएआई को अधिसूचित करने के मामले में, किंतु एओ द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां एओ ने अन्य संबंधित प्राधिकरणों को अधिसूचित किया, उन प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित पूर्ण ब्यौरे और कार्रवाई के संबंध में समय पर सूचित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक एओ ने उत्तर दिया कि उक्त बोर्ड के अनुदेश अनंतिम कुर्की पर लागू नहीं थे। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की के लिए प्रयोज्यता को स्पष्ट करते हुए, सीबीडीटी मौजूदा निदेशों को दोहरा सकता है और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

अध्याय

4

अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली संपत्ति की पहचान

एओ उस संपत्ति की पहचान करेगा और अनंतिम रूप से कुर्क करेगा, जिससे राजस्व के हितों की सर्वोत्तम रक्षा हो। संपत्ति की पहचान और अनंतिम कुर्की में करदाताओं की परिसंपत्तियों के विवरण की जांच, कुर्की के लिए परिसंपत्तियों के प्रकार का चयन, निर्धारिती द्वारा परिसंपत्तियों के स्वामित्व/स्वत्वाधिकार का सत्यापन और कुर्क की गई परिसंपत्तियों का पर्याप्तता शामिल है। इस अध्याय में अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली संपत्ति की पहचान के लिए प्रक्रिया और मापदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षित मामलों में से 291 (83 प्रतिशत) में, जैसा कि दस्तावेजों से पाया गया, एओ ने निर्धारितियों के कब्जे में सभी परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने के बोर्ड के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया, जिनपर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 133 मामलों में से 124 (93.2 प्रतिशत) जिनमें लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की गई। इसलिए, लेखापरीक्षा अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों में जांच विंग की सहायता की भूमिका को सत्यापित नहीं कर सकी।

हमने यह भी पाया कि परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में कमी थी, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मौजूदा प्रावधान अनंतिम कुर्की हेतु विचार करने के लिए परिसंपत्तियों की प्राथमिकता को विनिर्दिष्ट या सुझाव नहीं देते हैं और इस प्रकार, कुर्की के लिए संपत्ति³⁶ का चयन पूरी तरह से एओ के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि बैंक खातों की अनंतिम कुर्की केवल अंतिम

³⁶ अचल संपत्ति और चल संपत्ति जैसे वाहन, शेर, एफडी, आदि।

उपाय के रूप में की जानी चाहिए³⁷, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 मामलों (लेखापरीक्षित मामलों का 9.1 प्रतिशत) में निर्धारितियों के बचत/चालू बैंक खातों को क्षेत्राधिकार एओ द्वारा, यह निश्चित किए बिना कि उन्हें केवल अंतिम उपाय के रूप में अनंतिम कुर्क किया जाना था, अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि एओ ने अनंतिम कुर्की के लिए विचार करने से पहले निर्धारितियों की संपत्ति का मूल्यांकन उनकी स्वामित्व आवश्यकताओं (349 मामलों) के साथ-साथ उनकी गैर-देनदारी स्थिति (343 मामलों) के लिए निश्चित नहीं किया। सात मामलों में, जहां सूचना उपलब्ध कराई गई थी, अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को अनंतिम कुर्की की तारीख पर या तो अलग कर दिया गया था या निर्धारितियों के स्वामित्व में नहीं था। इसी प्रकार, सात मामलों में, जहां सूचना उपलब्ध कराई गई थी, कुर्क की गई संपत्ति कुर्की की तारीख से पहले आंशिक रूप से या पूरी तरह से ऋणभारित था।

हमने पाया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से केवल 60 में से कुर्क की गई संपत्तियों की पर्याप्तता का विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में शेष मामलों में अनुमानित कर देनदारी या कुर्क संपत्ति का मूल्य या दोनों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन 60 मामलों में से 27 (45 प्रतिशत) में, अनुमानित कर देनदारी की तुलना में कुर्क की गई परिसंपत्तियों का मूल्य पूरी तरह से अपर्याप्त³⁸ था।

4.1 एक निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों के विवरण की जांच

बोर्ड ने सितम्बर, 2004 के अनुदेशों³⁹ में यह परिकल्पित था कि निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान ही एओ निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच करने और उपयुक्त संपत्ति को अनंतिम कुर्की के अंतर्गत रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, तलाशी और जब्ती के मामलों में, मंत्रालय/सीबीडीटी ने अपने पूर्वोक्त अनुदेश में कहा था कि जांच विंग अधिकारी खास तौर से

³⁷ मैसर्स गांधी ट्रेडिंग बनाम एसीआईटी (239 आईटीआर 337) दिनांक 7 जुलाई 1999 बॉम्बे (एचसी)

³⁸ लेखापरीक्षा कुर्की को 'समग्रतः अपर्याप्त' मानती है, यदि इसका मूल्य अनुमानित कर देनदारी के 75 प्रतिशत से कम है।

³⁹ सीबीडीटी अनुदेश सं.8 दिनांक 02/09/2004

निर्धारिती की कुर्क की जा सकने वाली संपत्तियों की पहचान करेंगे और उनका उल्लेख मूल्यांकन रिपोर्ट⁴⁰ में विशेष रूप से किया जाएगा। बोर्ड ने आगे अनुदेश दिए कि एओ को निर्धारण कार्रवाई के लिए एक कार्यालय नोट में, निर्धारिती की परिसंपत्ति का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों के विवरण के साथ-साथ अनंतिम कुर्की के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्तियों के विवरण दर्ज करने चाहिए। इससे उन मामलों में, जहां धारा 281बी के अंतर्गत कुर्की को निर्धारण के बाद वसूली तक जारी नहीं रखा जा सकता, नियमित कुर्की⁴¹ पर विचार करने में मदद मिलेगी।

निर्धारितियों के कब्जे में परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) एओ द्वारा परिसंपत्तियों के विवरण निश्चित करना: लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ केंद्रीय आयुक्तालय प्रभागों में 350 लेखापरीक्षित मामलों में से केवल 59 मामलों (17 प्रतिशत) में, एओ ने निर्धारण कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से निर्धारिती से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का विवरण मांगते हुए, निर्धारिती को नोटिस⁴² दिया। इनमें से, केवल 19 मामलों में निर्धारितियों ने अपने कब्जे वाली परिसंपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। शेष 291 मामलों (83 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनंतिम कुर्की के साथ-साथ संवीक्षा निर्धारण से जुड़े सभी संबंधित अभिलेखों में अनंतिम कुर्की के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने में एओ द्वारा किए गए प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। परिसंपत्ति विवरणों का पता लगाने में एओ के प्रयासों का आयुक्तालय-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 06 में दिया गया है।

⁴⁰ जांच विंग के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसमें तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री/साक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता है, तैयार की जाती है।

⁴¹ आईटी अधिनियम की धारा 222 और/या 226 के अंतर्गत निर्धारित पश्च-निर्धारण वसूली प्रक्रिया।

⁴² एओ द्वारा धारा 142 (1) के अंतर्गत जारी, जिसके कारण संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित निर्धारिती को : (1) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना; (2) विस्तृत खातों, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना और (3) एओ द्वारा वांछित कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करना।

तालिका संख्या 06: 281बी मामलों का विवरण जिनमें निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच में एओ द्वारा किए गए प्रयास/कोई प्रयास नहीं किए गए

प्र.सी.आई.टी. अधिकार क्षेत्र (एओ की संख्या)	मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ द्वारा परिसंपत्ति विवरण एकत्र करने के लिए किए गए दस्तावेजी प्रयास			ऐसे मामलों की संख्या जिनमें परिसंपत्ति विवरण एकत्र करने के लिए एओ द्वारा किए गए प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है
		ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें धारा 142 (1) के अंतर्गत निर्धारिती को विशेष रूप से परिसंपत्ति का विवरण देने हेतु नोटिस दिया गया था	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ के प्रयासों के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों का विवरण अभिलेख में दर्ज किया गया है	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ के प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, दिल्ली (04)	11	3	0	08	
प्र.सीआईटी.(केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (04)	30	5	0	25	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (06)	41	21	0	20	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (04)	09	0	0	09	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई (05)	11	2	0	09	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई (04)	16	5	1	11	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (02)	07	4	0	03	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	30	10	10	20	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)	25	9	8	16	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, कोलकाता (03)	07	0	0	07	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, कोलकाता (01)	06	0	0	06	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, चेन्नई (06)	34	0	0	34	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (04)	34	0	0	34	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)	26	0	0	26	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (01)	05	0	0	05	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	22	0	0	22	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (05)	33	0	0	33	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	03	0	0	3	
कुल	350	59	19	291	

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान और विशाखापत्तनम प्रभागों में परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने में एओ द्वारा समुचित प्रयास नहीं किए गए थे।

एक महत्वपूर्ण निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई प्रभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-8(1), मुंबई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारित मैसर्स ई लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारिती के स्वामित्व में हिस्से वाली परिसंपत्तियों सहित निर्धारिती द्वारा धारित सभी अचल परिसंपत्तियों (एकल और संयुक्त स्वामित्व वाली दोनों) का विवरण प्राप्त करके ₹13.89 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के प्रति (₹ 46.29 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर गणना) ₹ 63.29 करोड़ के संचयी अंकित मूल्य वाली सात अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश (05/11/2018) जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध संपत्तियों में से कुर्क की गई संपत्तियों जो कर देनदारी को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था, के चयन के तरीके को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो सितंबर 2004 के बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, एओ ने इस मामले में अनुमानित कर देनदारी की गणना नहीं की, जबकि अघोषित आय की प्रमात्रा ज्ञात थी, जो कुर्क की जाने वाली निर्धारित संपत्ति के पर्याप्त मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। तलाशी निर्धारण 27/12/2018 को पूरा किया गया था, जिससे ₹ 85.20 करोड़ की संचयी मांग संवर्धित हुई, जिसके प्रति निर्धारिती ने ₹ 0.20 करोड़ की राशि का भुगतान किया और ₹ 85 करोड़ की शेष मांग अभी भी लंबित है (जनवरी 2021)। इस बीच, धारा 281बी के तहत आदेश व्यपगत हो गया और संयोगवश, निर्धारिती कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष एक याचिका (अप्रैल 2019) दायर की, जो अधिनिर्णयन में लंबित है। दिवाला अधिनिर्णयन की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से (अक्टूबर 2022) प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा धारित सभी अचल परिसंपत्तियों के विवरण की जानकारी होने के बावजूद, एओ ने अनुमानित कर देनदारी से कहीं अधिक अंकित मूल्य वाली अचल संपत्तियों को कुर्क किया। ऐसा करके, एओ न केवल अधिनियम की धारा 281बी के तहत कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति का उचित चयन सुनिश्चित करने में विफल रहा, बल्कि बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों का भी उल्लंघन किया।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों का विवरण पता नहीं लगाने से अनुमानित कर देनदारी के संदर्भ में संपत्ति की अपर्याप्त या अत्यधिक कुर्की हो सकती है, जिससे राजस्व की अपर्याप्त सुरक्षा या निर्धारिती को अनुचित कठिनाई का जोखिम हो सकता है।

(ii) **जांच विंग द्वारा परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 133 मामलों में से (350 लेखापरीक्षित मामलों में से) जिनमें एओ ने लेखा परीक्षा के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों का सारांश उपलब्ध कराया, केवल नौ मामलों में जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची साझा की गई थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिये गए हैं:

(क) ए48 समूह के समूह-संबंधित तलाशी निर्धारण में, जिसमें छह निर्धारिती नामतः श्री ए27, श्रीमति ए28, श्री ए29, श्री ए30, श्रीमति एम16, और श्रीमति पी18 का प्र.सीआईटी. (केंद्रीय), हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत केंद्रीय सर्कल-3(2) में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारण किया गया, धारा 281बी के अंतर्गत संबंधित मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश (19/02/2020) जारी किए गए थे। धारा 281बी (फरवरी 2020) के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्ताव में ₹ 71.57 करोड़ की संचयी अघोषित आय प्रकट किया (अनुमानित कर देनदारी लागू अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर ₹ 21.47 करोड़ बनती है, जो 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर परिगणित की गई है)। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्ट के अंश में पाया (जनवरी 2021) कि इसमें "धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की जा सकने वाली संपत्तियों" की निर्धारिती-वार सूची शामिल है, जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं (मूल्य इंगित नहीं किए गए हैं)। तथापि, कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्य की

अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं कर पाई कि कुर्क की गई संपत्तियां पर्याप्त थीं अथवा नहीं और क्या एओ द्वारा कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई परिसंपत्तियों की सूची का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने नोट किया (जुलाई 2022) कि इन मामलों में तलाशी निर्धारण अप्रैल 2021 में हुआ था और एओ द्वारा ₹ 34.12 करोड़ की संचयी मांग उठाई थी। तथापि, धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की 19/04/2021 को व्यपगत हो गई। सीबीडीटी से कर वसूली की वर्तमान स्थिति (जुलाई 2022) प्रतीक्षित थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए, कहा (सितंबर 2022) कि इन मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने आकलन कार्यवाही के दौरान कुर्क की जाने वाली संपत्तियों के विवरण की जांच की और मांग संवर्धन की संभावना लगभग ₹ 25 करोड़ थी। तदनुसार, एओ ने मूल्यांकन रिपोर्ट से 29 संपत्तियों (29 फ्लैट्स) की पहचान की है, जिनका संचयी क्षेत्रफल 60,900 वर्ग फुट है और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान उसी इमारत में निर्धारिती द्वारा विक्रय गई अन्य संपत्तियों के आधार पर प्रति वर्ग फुट की दर ₹ 4,114 थी। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 25.24 करोड़ है। निर्धारण पूरा होने के बाद, ₹ 22.09 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी। इसलिए, धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्य उठाई गए कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए, लेखापरीक्षा आपत्ति मान्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, निर्धारिती द्वारा उपर्युक्त मांगों के प्रति सीआईटी (ए) के समक्ष अपीलें दायर की गई हैं और निपटान के लिए लंबित हैं। चूंकि निर्धारिती ने किसी भी मांग का भुगतान नहीं किया है, मामले को टीआरओ को भेजा गया है और टीआरओ ने विचाराधीन संपत्तियों को भी कुर्क किया है।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2022) कि ₹ 4,114 प्रति वर्ग फुट की दर से 60,900 वर्ग फुट का संचयी क्षेत्र की कुर्की की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा को इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण पूरा होने के बाद ₹ 34.12 करोड़ की

संचयी मांग उठाई गई थी, जबकि मंत्रालय के अनुसार, ₹ 22.09 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी। लेखापरीक्षा इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकी क्योंकि इस तथ्य के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षित मामले को न तो धारा 281बी के तहत पीसीआईटी(सी) की मंजूरी मांगने के एओ के प्रस्तावों (फरवरी 2020) में संबोधित किया गया और न ही जारी आदेशों (फरवरी/मार्च 2020) में। इस प्रकार, लेखापरीक्षा अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

इसके अतिरिक्त, यह तथ्य शेष रह जाता है कि जांच विंग द्वारा समूह में प्रत्येक निर्धारिती से संबंधित कुर्क की जाने योग्य संपत्तियों का विवरण प्रदान करने के बावजूद, इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था कि एओ ने अनंतिम कुर्की के लिए इन संपत्तियों का चयन करने से पहले इस पर विचार किया गया था।

(ख) प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-3(2)(4) द्वारा नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए ए14 समूह के समूह-संबंधित तलाशी निर्धारण किया गया जिसमें तीन निर्धारिती नामतः श्री ए14, श्री जे11 और श्री वी24 शामिल थे, धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश 23/02/2018 को जारी किए गए थे, जिसमें धारा 132(9बी) के अंतर्गत जांच विंग द्वारा पहले (30/08/2017) से पहले कुर्क की गई चल संपत्ति (जैसे आरबीआई बॉन्ड, सावधि जमा और इक्विटी पोर्टफोलियो) को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए, ₹ 8.80 करोड़ की अनुमानित कर देयता के मुकाबले ₹ 17.54 करोड़ के संचयी मूल्य के साथ, आदेश जारी किया गया। (समूह के सभी उक्त निर्धारितियों के संबंध में पाई गई अघोषित आय की कुल प्रमात्रा ₹ 29.33 करोड़ के 30 प्रतिशत पर गणना की गई)। मूल्यांकन रिपोर्ट के उद्धरण में, धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की जा सकने वाली अचल संपत्तियों की एक अलग सूची भी उपलब्ध थी, जिसमें कई वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय भवनों आदि का विवरण था, जिनका संचयी मूल्य

₹ 105 करोड़ था। तथापि, लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर सकी कि एओ ने कुर्की के लिए संपत्ति का चयन करते समय जांच विंग द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन रिपोर्ट में उपलब्ध सूची का संज्ञान लिया था या नहीं चूंकि इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और विशेष रूप से जब कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य अनुमानित कर देनदारी को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त है। इन मामलों में, निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा हुआ और श्री ए14 के लिए ₹ 12.03 करोड़ की मांग सहित ₹ 13.90 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी जिसमें से उन्होंने केवल ₹ 0.18 करोड़ का भुगतान किया, जबकि अन्य दो मामलों में, कोई भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीएटी, हैदराबाद द्वारा 29/04/2021 के आदेश के तहत निर्धारितियों को दी गई राहत के कारण संचयी कर देयता अंततः ₹0.03 करोड़ तक कम हो गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए (सितंबर 2022) कहा कि इन मामलों में, एओ ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान कुर्क की जाने वाली संपत्तियों के विवरण एवं उठाई जानेवाली संभावित मांग की जांच की एवं यह पाया गया कि यह अधिनियम की धारा 281बी के तहत कुर्क की गई संपत्तियों के लगभग बराबर था। निर्धारण पूरा होने के बाद श्री ए14 की ₹ 12.03 करोड़ की मांग सहित ₹ 13.90 करोड़ की कुल मांग की गई। इसलिए, धारा 281बी के तहत कुर्क की गई संपत्तियां उठाई गई कर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और अतः, धारा 281बी के अंतर्गत कोई और संपत्ति कुर्क नहीं की गई। बकाया कर मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में, यह कहा गया है कि क्योंकि सीआईटी (ए)-11, हैदराबाद ने निर्धारिती की अपील को स्वीकार कर लिया है, आज की तारीख तक कोई मांग बकाया नहीं है।

लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन करने से पूर्व एओ ने जांच विंग द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में सूचीबद्ध सभी परिसंपत्तियों पर विचार करने में उचित सावधानी बरती थी।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने के लिए सक्षम अनुदेशों⁴³ के बावजूद, जैसा कि दस्तावेजों से देखा गया है, तलाशी कार्यवाही के दौरान जांच विंग के अधिकारियों द्वारा या मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान एओ द्वारा बड़े पैमाने पर उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया दोषयुक्त थी, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो जाती है और यह अनुमानित कर देनदारी की तुलना में उनकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के संदर्भ में अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों के चयन को भी प्रभावित करता है, जहाँ इंगित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, शेष 217 मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इन मामलों में अनुपालन की सीमा का पता नहीं लगा सकी।

सिफारिश सं. 4:

सीबीडीटी संभावित कर मांग का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त परिसंपत्ति का चयन करने के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार या सुझाव देकर निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच के लिए वर्तमान अनुदेश लागू कर सकता है और इस प्रकार, यथा अपेक्षित राजस्व की इष्टतम सुरक्षा अर्जित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जांच का समुचित रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी बोर्ड के अनुदेशों से आबद्ध हैं।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि एओ बोर्ड के सितम्बर, 2004 के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके अनुसार निर्धारितियों के स्वामित्व वाली उन सभी परिसंपत्तियों के ब्यौरे का पता लगाया जाना चाहिए, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जांच विंग ने उन परिसंपत्तियों के विवरण की भी

⁴³ सीबीडीटी निदेश सं. 08, सितम्बर 2004

पहचान नहीं की जो तलाशी के समय करदाता के कब्जे में थीं, जो अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों को पूरक करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी बेहतर अनुपालन के लिए उपयुक्त अनुदेशों को दोहरा सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

4.2 कुर्क की जाने वाली संपत्ति के प्रकार का चयन

अधिनियम की धारा 281बी(1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है, कि एओ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बताए गए तरीके से करदाता से संबंधित किसी भी संपत्ति (चल और/या अचल) को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न नियमों⁴⁴ के अंतर्गत विभिन्न चल और अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया सम्मिलित है लेकिन उन संपत्तियों को सूचीबद्ध करना जिनपर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है या प्राथमिकता के क्रम को परिभाषित किया जा सकता है सम्मिलित नहीं है।

नीचे दी गई तालिका संख्या 07 में 18 केंद्रीय आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 350 लेखापरीक्षित मामलों में अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के प्रकार का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 07: मामलों में कुर्क संपत्ति के प्रकार का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या	281बी मामलो की सं. जहां चल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां अचल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां दोनों प्रकार की संपत्ति कुर्क की गई थी
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (04)	11	0	11	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)	30	2	22	6
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)	41	1	34	6
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय), भोपाल (02)	26	0	26	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	7	2	0	5
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	6	6	0	0

⁴⁴ नियम 1 (डी), नियम 24 से 32 और 48।

तालिका संख्या 07: मामलों में कुर्क संपत्ति के प्रकार का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या	281बी मामलो की सं. जहां चल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां अचल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां दोनों प्रकार की संपत्ति कुर्क की गई थी
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	9	0	9	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	1	7	3
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	0	16	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	34	7	20	7
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	34	4	26	4
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- कोच्चि (02)	7	1	6	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- बेंगलुरु (10)	30	7	19	4
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- हैदराबाद (07)	25	4	21	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- विशाखापट्टनम (01)	5	3	0	2
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- अहमदाबाद (05)	33	2	30	1
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- राजस्थान (01)	3	0	3	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- चंडीगढ़ (02)	22	2	19	1
कुल	350	42	269	39

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 350 मामलों में से 269 में, विभाग ने अनंतिम रूप से अचल संपत्तियों को कुर्क किया; तथापि, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) कोलकाता और प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम प्रभार के अंतर्गत, नमूना जांच किए गए सभी मामलों में केवल चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्व के हितों को अधिक सुरक्षित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए विभाग द्वारा अचल संपत्ति को बड़े पैमाने पर वरीयता दी गई।

अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) **उपलब्ध संपत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण:** 350 अनंतिम कुर्की मामलों के विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि एओ, अभिलेखों पर यह स्थापित/दस्तावेजीकरण किए बिना कि संपत्ति को सभी उपलब्ध संपत्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण के बाद कुर्की के लिए चुना गया था, कुल मिलाकर

अनंतिम कुर्की के लिए संपत्ति(यों) का चयन कर रहे थे। 319 मामलों में, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिला कि निर्धारितियों के पास कुर्क की गई संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्ति भी थी और शेष 31 मामलों में, जहां इस तरह का विश्लेषण संभव था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेखों में यह दर्ज नहीं था कि एओ ने कुर्क की जाने वाली संपत्ति का चयन करने से पहले इन संपत्तियों (*परिशिष्ट 15* में यथावर्णित) पर विचार किया। इसलिए, संबंधित एओ द्वारा अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन, काफी हद तक उसके विवेकाधीन था और परिभाषित मानदंडों की अनुपस्थिति में, मनमाना चयन भी किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निदर्शों मामलों नीचे दिए गए हैं:

(क) श्री वी1 के मामले में, नि.व.⁴⁵ 2012-13 से 2018-19 के लिए निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु द्वारा प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) बेंगलुरु प्रभार के अधिकार क्षेत्र में निर्धारण किया गया, अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत 21/09/2017 को तलाशी ली गई थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट (दिनांक इंगित नहीं की गई) के सारांश के अनुसार, तलाशी के दौरान नि.व. 2011-12 से 2018-19 से संबंधित ₹ 299.56 करोड़ की अघोषित आय का पता चला। राजस्व हितों की रक्षा के लिए, एओ द्वारा मैसर्स एम18 लिमिटेड के ₹ 447.95 करोड़ (₹ 850 प्रति शेयर की दर से) मूल्य के ₹ 52.70 लाख इक्विटी शेयरों को कुर्क करने के लिए धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश (25/01/2019) उस महीने, जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई थी, से 16 महीने के अंतराल के बाद जारी किया गया था, जिनके कारणों को दर्ज नहीं किया गया था, जो मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित की गई ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। अनंतिम कुर्की के एओ के प्रस्ताव (जनवरी 2019) के भाग के रूप में तैयार वर्ष-वार विवरण के अनुसार विभाग द्वारा ₹ 172.26 करोड़ (38.5 प्रतिशत) की अनुमानित देनदारी कर और ब्याज तथा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए

⁴⁵ समूह नि.व. सहित, तलाशी अवधि में नि.व. 2011-12 भी शामिल था, जिसके लिए धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण शुरू किया गया था और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए समूह निर्धारण के साथ पूर्ण किया गया।

लगाए गए 275.18 करोड़ (62.5 प्रतिशत) की शास्ति शामिल थी, परिगणित की गई।

एओ के प्रस्ताव (जनवरी 2019) के भाग के रूप में अनंतिम कुर्की के तैयार वर्ष-वार विवरण के अनुसार, विभाग द्वारा ₹ 172.26 करोड़ (38.5 प्रतिशत) की अनुमानित कर देनदारी ₹ 275.18 करोड़ (62.5 प्रतिशत) परिगणित की गई। जिसमें अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए लगाए गए कर और ब्याज एवं शास्ति शामिल है।

दिनांक 25/01/2019 की धारा 281बी के अंतर्गत जारी अनंतिम कुर्की आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारिती ने एओ को सूचित किया (फरवरी 2019) कि उक्त शेयरों को पहले ही संस्थागत ऋणों के प्रति गिरवी रखा गया था और उक्त शेयरों की कुर्की से मुक्त करने का अनुरोध किया। इसके स्थान पर, निर्धारिती ने (फरवरी 2019) दो वैकल्पिक संपत्तियों की पेशकश की, जिसमें उनकी अपनी कंपनी (एक सूचीबद्ध कंपनी, मैसर्स सी16 लिमिटेड) के 46 लाख इक्विटी शेयर, जिनकी कीमत ₹ 125 करोड़ (प्रचलित बाजार दर के अनुसार अर्थात् ₹ 271.63 प्रति शेयर की दर से) और 2,220 एकड़ कॉफी एस्टेट (आंशिक रूप से स्वामित्व वाली और अन्य भूस्वामियों से आंशिक रूप से पट्टे पर ली गई) है, जिनका मूल्य लगभग ₹ 645.60 करोड़ है। एओ ने (फरवरी 2019) निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उक्त अनंतिम कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। तदोपरांत, एओ ने प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु की पूर्वानुमति से 13/02/2019 को धारा 281बी के तहत निर्धारिती के स्वामित्व वाले मैसर्स सी16 लिमिटेड के 46 लाख शेयरों (मूल्य 125 करोड़ रुपये) को कुर्क करने के लिए एक नया आदेश जारी किया। चूंकि यह ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था, इसलिए एओ ने 14/02/2019 को धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारिती मैसर्स सी16 के 2.04 करोड़ अतिरिक्त शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए एक और आदेश जारी किया। इस प्रकार, ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी की तुलना में ₹ 680.29 करोड़ (₹ 271.63 प्रति शेयर) मूल्य के कुल लगभग 2.50 करोड़ इक्विटी शेयर कुर्क किए गए। उपरोक्त अनंतिम कुर्की आदेशों को दिनांक 06/08/2019 के आदेश के माध्यम से छह महीने की

अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो अंततः 06/02/2020 को समाप्त हो गया था। इस बीच, संबंधित निर्धारण⁴⁶ दिसंबर 2019 में पूर्ण किए गए और ₹ 447.44 करोड़ की मूल अनुमानित कर देनदारी के प्रति ₹ 89.75 करोड़ की संचयी कर मांग (निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए की गई रिटर्न आय के अतिरिक्त) उठाई गई। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2015-16 के निर्धारण आदेश में सुधार के लिए जनवरी 2020 में धारा 154 के अंतर्गत जारी आदेश के परिणामस्वरूप मांग ₹ 89.75 करोड़ से घटाकर ₹57.85 करोड़ कर दी गई। निर्धारिती ने इन निर्धारणों के प्रति सीआईटी (अपील) के समक्ष (जनवरी 2020) अपील दायर की, जो अभी तक (जुलाई 2022) अधिनिर्णयन हेतु लंबित थी। तथापि, पूर्ण रूप से बकाया कर मांगों को ध्यान में रखते हुए, एओ ने मामले को कर वसूली अधिकारी (केंद्रीय) को प्रेषित कर दिया, जिन्होंने इसके स्थान पर, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यथा निर्धारित दिनांक 06/02/2020 को पारित फॉर्म आईटीसीपी-4 में निषेधात्मक आदेश के अंतर्गत मैसर्स सी16 के 2.50 करोड़ इक्विटी शेयरों की कुर्की को नियमित रखा, जो अभी तक (जुलाई 2022) जारी है। अनंतिम कुर्की आदेशों और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत निर्धारण रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ की गईं:

(i) प्र.सी.आईटी.(केन्द्रीय), बेंगलुरु ने डीजीआईटी (जांच), बेंगलुरु को दिनांक 22/04/2021 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि, “तलाशी और पश्च-तलाशी जांच के दौरान निर्धारिती से संबंधित विभिन्न मुद्दे पाए गए और स्पष्टीकरण के लिए निर्धारिती के समक्ष उठाए गए। निर्धारिती ने ₹ 362.11 करोड़ की अतिरिक्त आय को स्वीकार किया। तथापि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 148 और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए धारा 153ए के अंतर्गत जारी नोटिस के जवाब में दाखिल आय विवरणी⁴⁷ में आय प्रस्तुत नहीं की।” अनंतिम कुर्की के प्रयोजन के लिए

⁴⁶ निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 147 के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए धारा 153ए/143(3) के अंतर्गत।

⁴⁷ निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए: धारा 148 के अंतर्गत दिनांक 29/03/2018 के नोटिस के उत्तर में 26/04/2018 को दाखिल की गई आय विवरणी (03/04/2018 को निर्धारिती को दिया गया; निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए: धारा 153ए के अंतर्गत 14/11/2018 के नोटिस के उत्तर में 31/12/2018 को दाखिल आय विवरणी; निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए: धारा 139(1) के अंतर्गत 31/08/2018 को दाखिल आय विवरणी

अनुमानित कर देयता (₹ 447.44 करोड़) की मात्रा निर्धारित करते समय, अघोषित आय को ₹ 362.11 करोड़ के बजाय केवल 299.56 करोड़ माना गया था। लेखापरीक्षा तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय की मात्रा की पहचान करने में कमी (₹ 62.55 करोड़) के कारणों का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि बार-बार अनुरोध करने (दिसंबर 2020 और जुलाई 2022) के बावजूद तलाशी के दौरान पाई गई आय का विस्तृत विवरण वाली मूल्यांकन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ii) ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के प्रति, संपत्ति का मूल्य (₹ 447.95 करोड़ मूल्य के मैसर्स एम18 लिमिटेड के इक्विटी शेयर) जिसे शुरू में कुर्क और करदाता की जानकारी के आधार पर रद्द कर दिया गया था, अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अंततः जब्त की गई संपत्ति अर्थात् मैसर्स सी16 लिमिटेड के 2.50 करोड़ इक्विटी शेयर, ₹ 680.29 करोड़ काफी अधिक थी। तथापि, किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं थे, जो न केवल अत्यधिक उच्च मूल्य का था, बल्कि सितंबर 2004 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुरूप भी नहीं था अर्थात् एओ अनंतिम रूप से उन संपत्ति(यों) को कुर्क करेगा जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए 'पर्याप्त' होगी।

(iii) लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त पाया गया कि शेयरों और प्रतिभूतियों (₹ 840.10 करोड़ मूल्य) के अतिरिक्त, निर्धारिती ने अपने स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों जैसे कि भवनों सहित कॉफी एस्टेट (₹ 92.49 करोड़) और चल संपत्ति जैसे आभूषण, पुरातात्विक संग्रह आदि (कुल ₹ 44 करोड़) का विवरण प्रस्तुत किया था। एओ ने चल संपत्ति (अर्थात् इक्विटी शेयर) को अनंतिम रूप से (फरवरी 2019) कुर्क करने का विकल्प चुना। संयोगवश, कुर्की आदेश (25/01/2019) को रद्द करने और धारा 281बी के अंतर्गत नया आदेश जारी करने के लिए एओ के प्रस्ताव (13/02/2019) को मंजूरी देते हुए, प्र.सी.आई.टी.(केन्द्रीय), बेंगलुरु ने अन्य बातों के साथ-साथ एओ को अनुदेश दिया कि वह "मैसर्स एम18 लिमिटेड शेयरों की पूर्व कुर्की को रद्द करने के एओ के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए श्री वी1 के शेष बचे शेयरों (अर्थात् मैसर्स सी16 लिमिटेड के 2.04 करोड़ इक्विटी शेयर) या धारा 281बी के

अंतर्गत विस्तारित कुर्की के लिए उपलब्ध किसी अन्य संपत्ति पर विचार करे"। तथापि, लेखापरीक्षा में प्र. सीआईटी के वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् स्वयं निर्धारिती द्वारा कुर्की के लिए प्रस्तुत की गई परिसंपत्तियों और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य परिसंपत्तियों के बीच एओ द्वारा किया गया तुलनात्मक विश्लेषण। इसके अतिरिक्त, एओ द्वारा कुर्की के लिए मैसर्स सी16 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का अंतिम रूप से चयन करने का कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, एओ ने (दिसंबर 2020) अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि उन्होंने कहा, "निर्धारिती के दावे के अनुसार, प्रस्तुत संपत्ति का भाग न तो उसके स्वामित्व में है और न ही मैसर्स सी16 लिमिटेड के पास है। मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से स्वामित्व की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसा कि, आयकर कार्यवाही और प्राधिकरण नियम आबद्ध करते हैं, इस तरह के वैकल्पिक स्वामित्व प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक एकड़ संपत्ति का निर्धारिती द्वारा किया गया मूल्यांकन लगभग 27 लाख है, जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। सम्पदा का एक हिस्सा साझेदारी फर्मों का है और वो पहले से ही ऋणग्रस्त संपदा हैं। इसके अतिरिक्त, शेयरों के रूप में परिसंपत्तियों को पहले ही अनुमानित कर देयता की सीमा तक कुर्क किया जा चुका है, ऐसी परिसंपत्तियों हिस्सा फ्रीहोल्ड प्रकृति का है। नियमानुसार, संपत्ति के समूह के लिए कोई पदानुक्रम नहीं है, एओ ने तथ्यों और व्यावहारिक सीमाओं के आधार पर निर्णय लिया है।" एओ का उत्तर अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं था क्योंकि इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि मैसर्स सी16 लिमिटेड की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में मैसर्स सी16 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के वसूली योग्य मूल्य की तुलना में स्वामित्व आवश्यकताओं और मूल्यांकन के लिए निर्धारिती की कॉफी एस्टेट की पेशकश का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया था। लेखापरीक्षा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कुर्की के लिए संपत्ति का चयन एओ के विवेकाधीन है। तथापि, संभावित संपत्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है

कि सबसे उपयुक्त संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया तर्क आधारित थी और यह कि राजस्व हित यथानिर्धारित सुरक्षित है।

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 172.26 करोड़ (कर और ब्याज) की मूल अनुमानित कर देनदारी (₹ 275.18 करोड़ के जुर्माने को छोड़कर) के विरुद्ध, ₹ 57.85 करोड़ की संचयी कर मांग (सुधार आदेश का शुद्ध) अंततः दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में उठाई गई थी, जो अनुमानित देनदारी से काफी कम है, जिसके आधार पर अनंतिम कुर्की किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 275.18 करोड़ की अनुमानित शास्ति राशि के विरुद्ध, कोई मांग नहीं की गई थी।

अनुमानित कर देनदारी और वास्तव में उठाई गई मांग के बीच बड़े अंतर के लिए विशिष्ट कारणों की मांग करने वाले लेखापरीक्षा प्रश्न (जुलाई 2022) पर, निर्धारण अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर दिया (जुलाई 2022), कि "मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया अनुमान केवल सांकेतिक है और मूल्यांकन प्रतिवेदन में निष्कर्ष वास्तव में निर्णायक नहीं हैं। परिवर्धन की सही मात्रा निर्धारिती के उत्तर के साथ आपत्तिजनक सामग्री की जांच के बाद निर्धारण के दौरान निकाली जाती है।" निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि ₹ 299.56 करोड़ की अघोषित आय (निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2018-19 के लिए संचयी) में मुख्य रूप से एक समूह कंपनी⁴⁸ द्वारा निर्धारिती को नकद में किया गया ब्याज भुगतान शामिल है (निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान) और निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान उचित बाजार मूल्य से कम ₹ 204.69 करोड़ पर शेयरों की खरीद। शास्ति लगाने के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि शास्ति का उद्ग्रहण स्थगन रखा गया था क्योंकि निर्धारिती सीआईटी (अपील) में है। निर्धारण अधिकारी ने आगे कहा कि परिक्षण निर्धारण के लिए जारी किए गए सीबीडीटी दिशानिर्देश⁴⁹ दिनांक 22/12/2006 के अनुसार, यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन प्रतिवेदन में निकाले गए किसी निष्कर्ष/अंत से सहमत नहीं है, तो एक विचलन नोट जांच विंग को लिखा जाना चाहिए, जो इसे

⁴⁸ मैसर्स एम17 लिमिटेड

⁴⁹ एफ. संख्या 286/161/2006-आईटी (अन्वे.॥) में दिनांक 22/12/2006 की और जब्ती मामलों में निर्धारण के लिए सीबीडीटी दिशानिर्देश

संबंधित जांच अधिकारी के साथ सुलझाएगा। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 (निर्धारण वर्ष 2011-12), सितंबर और दिसंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2012-13), दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2013-14) और नवंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2015- 16) में विचलन नोट प्रस्तुत किया था। हालांकि, तलाशी की तिथि (सितंबर 2017) और विचलन नोट (दिसंबर 2018) के पहले की तिथि के बीच 14 महीने से अधिक के समय-अंतराल के कारण अभिलेख में नहीं थे, यह न्यायोचित ठहराने के लिए कि या तो निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 में कुछ वर्धन नहीं है या निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2015-16 में आंशिक वृद्धि हुई।

जैसा कि जांच विंग (दिसंबर 2018) द्वारा सुझाव दिया गया था, निर्धारिती का मामला (28/12/2018) अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारित विशेष लेखापरीक्षा को संदर्भित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25/01/2019 को जारी धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश विचलन नोट और विशेष लेखापरीक्षा (दिसंबर 2018) के संदर्भ के बाद जारी किया गया था, लेकिन विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम लंबित थे। दिनांक 22/06/2019 की विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती या मैसर्स एम17 के हाथों कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, जांच विंग (दिसंबर 2018/ अक्टूबर और नवंबर 2019) से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, निर्धारण (दिसंबर 2019) निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012- 13, 2013-14 और 2015-16 के लिए परिक्षण कार्यवाही के दौरान मिली अघोषित आय के मुद्दों पर बिना किसी वर्धन के पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध विवरण के आधार पर, तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय की मात्रा से अधिक वर्धन किया था। हालांकि, उक्त विचलन नोट की प्रति या जांच विंग की उस पर प्रतिक्रिया और विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गोपनीयता के कथित कारणों से, बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा की राय है कि जांच विंग के निष्कर्षों (मूल्यांकन प्रतिवेदन के माध्यम से) के आधार पर धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने और निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्की करने में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई विधायी मंशा के अनुरूप थी। हालांकि, सहायक दस्तावेजों के प्रस्तुति के अभाव में जैसे मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति, विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और विचलन नोट या उस पर जांच विंग की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में आश्वासन नहीं ले सका:

(अ) तलाशी और जब्ती (21/09/2017) के संचालन और धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2019 को जारी करने के बीच समय अंतराल के कारण, और घटनाओं का विस्तृत क्रम तक पहला विचलन नोट (दिसंबर 2018) जारी करना लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) को अग्रोषित करने में लगने वाले समय को सत्यापित नहीं कर सका, क्योंकि संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(ब) तलाशी के दौरान मिली अघोषित आय की मात्रा को ₹ 362.11 करोड़ से घटाकर ₹ 299.56 करोड़ करने के विशिष्ट कारण, जिसके आधार पर अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते समय ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी निर्धारित की गई थी;

(स) प्र. सीआईटी (केंद्रीय), बंगलुरु के निर्देशों के अनुसार धारा 281बी के तहत कुर्की के लिए उपलब्ध किसी अन्य संपत्ति पर विचार करने के लिए जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित, अनंतिम कुर्की/अभिलेख पर उपलब्ध के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और तुलनात्मक विश्लेषण;

(द) ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 680.29 करोड़ की संपत्ति कुर्की करने का औचित्य, जो अत्यधिक था और बोर्ड के प्रासंगिक निर्देशों का उल्लंघन भी था (सितम्बर 2004);

(इ) निर्धारण वर्ष 2011-12 (₹ 0.81 करोड़), 2012-13 (₹ 207.30 करोड़), 2013-14 (₹ 7.23 करोड़)⁵⁰ और 2015-16 (₹ 2.79 करोड़) के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल ₹ 218.13 करोड़ की अघोषित आय के लिए 'गैर-कर योग्य' या 'निर्धारिती के हाथों उत्पन्न होने वाली कोई गैर-देनदारी' के रूप में निष्कर्ष निकालने का औचित्य, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निर्धारिती की कर देयता में कमी (₹ 114.41 करोड़) हुई, जिसका अनुमान ₹ 172.26 करोड़ (शास्ति को छोड़कर) मात्र ₹ 57.85 करोड़ की कर मांग का निर्धारण करने के लिए था।

इस प्रकार, अंतिम कर मांग की तुलना में अनुमानित कर देनदारी में महत्वपूर्ण कमी पर विचार करते हुए, जो अपील के लंबित रहने के कारण आज (अगस्त 2022) तक वसूल नहीं की गई, अधिनियम की धारा 281बी के तहत ₹ 680.29 करोड़ की अनंतिम कुर्की प्रावधानों को लागू किया गया लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह मामला न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, प्रासंगिक दस्तावेजों जहाँ विचलन नोट की प्रति और जांच विंग की प्रतिक्रिया और विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के गैर-प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सका कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई राजस्व की रक्षा के हित में थी।

(ख) मैसर्स एस7 प्रा. ली. के तलाशी निर्धारण मामलों में निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए केन्द्रीय सर्किल, पणजी, गोवा में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) बेंगलुरु के अधिकार क्षेत्र के तहत किया गया, धारा 281बी के तहत चल संपत्तियों अर्थात् कुल ₹ 2.88 करोड़ का म्युचुअल फंड को ₹ 31.13 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के विरुद्ध कुर्की करने के लिए शुरू में मार्च 2020 में आदेश जारी किया गया था। धारा 281बी के तहत एक अन्य आदेश अगस्त 2020 में ₹ 52.90 करोड़ की 10 अचल संपत्तियों को कुर्की करने का आदेश जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि बाद के विस्तार आदेश (अक्टूबर 2020) में केवल म्युचुअल फंड की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्की किया जाना जारी रहा। हालांकि, अचल संपत्तियों के संबंध में कुर्की आदेश, जो प्रारंभ में अगस्त 2020 में जारी किया गया था, को

⁵⁰ वर्ष 2013-14: अघोषित आय (₹ 19.69 करोड़) घटा कर निर्धारित आय (₹ 12.46 करोड़)

निर्धारित प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बावजूद नहीं बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2021), निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021) कि अचल संपत्ति और म्युचुअल फंड की कुर्की क्रमशः फरवरी और अप्रैल 2021 में आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था और न ही यह अभिलेखों में उपलब्ध था। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा ने देखा कि, निर्धारिती के पास ₹ 110.42 करोड़ मूल्य की गैर-तात्कालिक परिसंपत्ति। हालांकि, ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे कि यह पता चले कि निर्धारण अधिकारी ने कुर्की के लिए म्युचुअल फंड का चयन करने से पहले इन संपत्तियों की उपयुक्तता पर विचार किया था। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022) कि इस मामले में कर निर्धारण जून 2021 में पूरा कर लिया गया था और ₹ 0.14 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी, जिसे फरवरी 2022 में सुधार आदेश पारित करने के बाद ही घटाकर ₹ 0.04 लाख कर दिया गया था। शेष कर के वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा किए गए मामलों से देखा जा सकता है, ऐसे मामलों में जहां संबंधित निर्धारितियों के पास अनंतिम रूप से कुर्की की गई संपत्तियों की तुलना में अन्य संपत्ति होने का सबूत था, निर्धारण अधिकारी सभी उपलब्ध संपत्तियों का दस्तावेजी तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर रहे थे जिससे अनुमानित कर देयता के पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त और साथ ही पर्याप्त सम्पत्तियों का चयन किया जा सके।

(ii) **बैंक खातों की कुर्की:** अदालतों ने कई केस कानूनों के माध्यम से निर्धारिती के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्की करने की विभाग की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। एक मामले में, *अर्थात्*, मैसर्स गांधी ट्रेडिंग बनाम सहायक आयकर आयुक्त⁵¹, माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ*, कहा कि "बैंक खातों और व्यापारिक संपत्तियों की कुर्की का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए"। लेखापरीक्षा ने

⁵¹ मामला कानून संख्या 239 आईटीआर 337 दिनांक 7 जुलाई 1999।

पाया कि 32 मामलों में, संबंधित निर्धारितियों के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था (विवरण **परिशिष्ट 16** में दिया गया है)। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 32 मामलों में से 14 मामलों में, केवल निर्धारितियों के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 14 मामलों में से दो⁵² में अन्य संपत्तियां भी अभिलेख में उपलब्ध थीं। हालांकि, लेखापरीक्षा उपलब्ध अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या उन संपत्तियों को अनंतिम कुर्की के उद्देश्य के लिए विचार किया गया था। शेष 18 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अन्य संपत्तियों (चल और/या अचल) के अतिरिक्त बैंक खातों को कुर्की किया था।

लेखापरीक्षा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि उपरोक्त 32 मामलों में निर्धारितियों के बैंक खाते केवल अंतिम उपाय के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क थे। महत्वपूर्ण मामलों की व्याख्या नीचे की गई है।

(क) श्री आर1 के तलाशी निर्धारण मामले में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु के अधिकार क्षेत्र के तहत केन्द्रीय सर्किल-1(3), बंगलुरु में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण किया गया, धारा 281बी के तहत, ₹ 3.90 करोड़ के संचयी क्रेडिट बैलेंस वाले तीन बैंक खातों और 37 अचल संपत्तियों जिनमें से केवल 32 संपत्तियों के लिए मूल्य दर्ज किया गया था जो कुल मिलाकर ₹ 14.69 करोड़ थी, को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (दिसंबर 2017)। इस प्रकार, ₹ 8 करोड़ से अधिक की दर्ज अनुमानित कर देनदारी (कर एवं *ब्याज* सहित लेकिन शास्ति को छोड़कर) के विरुद्ध कुर्की की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 18.59 करोड़ था। इससे, यह प्रतीत होता है कि जिन संपत्तियों का मूल्य दर्ज किया गया था, वे अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक थीं और बैंक खातों को कुर्क करने की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी, साथ ही शेष पांच संपत्तियों (मूल्य दर्ज नहीं किया गया), जिससे अत्यधिक कुर्की का संकेत होना मिलता है। इस मामले में,

⁵² एम7 ट्रस्ट - केन्द्रीय सर्कल 1(4), अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में और श्री वी3 - केन्द्रीय सर्कल 1(1), चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में (केन्द्रीय)-1, चेन्नई

शास्ति को छोड़कर ₹ 10.68 करोड़ की कर मांग बनाकर निर्धारण पूरा किया गया (दिसंबर 2017)। फरवरी 2021 तक, संपूर्ण कर मांग वसूली के लिए लंबित थी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने कहा (जून 2021) कि मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमान से उत्पन्न लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कर देयता निर्धारण कार्यवाही के दौरान संभावित शास्ति पर विचार नहीं करती है। साथ ही, निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान उठाई गई वास्तविक मांग धारा 281बी के तहत कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी और न ही करनी चाहिए। जबकि लेखापरीक्षा इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निर्धारण के बाद की कर मांग का पूर्व-मूल्यांकन 281बी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथ्य यह है कि बोर्ड के निर्देश (सितंबर 2004) संलग्न संपत्ति के मूल्य की कर देयता के साथ तुलना करने की परिकल्पना करते हैं जो कि संलग्न संपत्ति की पर्याप्तता या अन्यथा निर्धारित करने के लिए उस तिथि पर अनुमानित है। मौजूदा मामले में, पर्याप्त मूल्य से अधिक की कुर्की कानून के दायरे और मंशा से परे थी। साथ ही, बैंक खातों की कुर्की न्यायिक निर्णयों के विपरीत थी और निर्धारिती की अपनी कर देनदारी, यदि कोई हो, को चुकाने की क्षमता को भी प्रभावित करती थी। निर्धारिती ने 22/01/2018 को निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील की थी, जो अभी भी लंबित है (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) मैसर्स एम7 ट्रस्ट के तलाशी निर्धारण मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए ने केन्द्रीय सर्किल-1(4) अहमदाबाद में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में ₹ 0.58 करोड़ की शेष राशि वाले पांच बैंक खातों को, धारा 281बी के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था (अगस्त 2017)। धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेख में न तो अनुमानित कर देनदारी और न ही अघोषित आय की मात्रा थी। सितंबर 2017 में तलाशी निर्धारण पूरा होने पर ₹ 1,248.71 करोड़ की संचयी कर मांग की गई थी। निर्धारण के विरुद्ध निर्धारिती की अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राहत की अनुमति देते हुए

थी, शुद्ध कर मांग को घटाकर ₹ 288.06 करोड़ कर दिया गया था। मार्च 2015 में समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के पास अन्य चल और अचल संपत्ति (₹ 1.59 करोड़ का बुक वैल्यू) था, लेकिन उन्हें कुर्की के लिए नहीं विचार किया गया था। अन्य संपत्तियों की उपलब्धता के बावजूद कुर्की के लिए बैंक खातों के चयन के औचित्य को स्थापित करने वाले अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी 2021) कि धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया था और निर्धारण के विरुद्ध अपीलीय निर्णयों (मार्च-सितंबर 2019) के बाद निर्धारिती से ₹ 1.73 करोड़ की वसूली के बाद कर की मांग अभी भी ₹ 286.33 करोड़ की सीमा तक बकाया थी। उत्तर और बकाया कर मांगों की वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा किए गए मामलों में, निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित लगन को यह दिखाने के लिए प्रलेखित नहीं किया गया था कि बैंक खातों को अंतिम उपाय के रूप में कुर्क किया गया था। यह न केवल न्यायिक निर्णयों के विपरीत था बल्कि निर्धारितियों की अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता के साथ-साथ कर देनदारियों को पूरा करने की उनकी वित्तीय क्षमता को भी बाधित करता था। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि संपत्ति के प्रकार को परिभाषित करने के लिए कोई संस्थागत मार्गदर्शन नहीं है जिसे अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है या चयन के लिए संपत्ति के पदानुक्रम/प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या 5:

सीबीडीटी राजस्व के हित को अधिकतम करने के उद्देश्य से उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति के चयन की सुविधा के लिए निर्धारिती के पास उपलब्ध सभी संपत्ति(यों) के विवरण का पता लगाने और अभिलेख करने में निर्धारण अधिकारी की सुविधा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश ला सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने पहले ही 02/09/2004 का निर्देश संख्या 8 जारी कर दिया है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

4.3 अनंतिम कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में कमियां

अधिनियम की धारा 281बी(1), अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करती है कि निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति को राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम रूप से कुर्की किया जा सकता है। इसलिए सीबीडीटी और इसके गठन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनंतिम रूप से कुर्की के लिए चुनी जा रही संपत्ति निर्धारिती की है। इस उद्देश्य के लिए, निर्धारण अधिकारी को जांच विंग द्वारा जारी मूल्यांकन प्रतिवेदन में सूचीबद्ध संपत्तियों के विवरण पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी के पास वर्तमान में तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्क जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है (हालांकि लेखापरीक्षा ने पैरा 5.1.4 में एक उचित समय सीमा शुरू करने की सिफारिश की है)। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी के पास कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की उचित पहचान करने के लिए और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनंतिम कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के पैराग्राफों में सविस्तारित किया गया है।

(i) **संपत्ति का स्वामित्व:** 350 लेखापरीक्षित मामलों में से, लेखापरीक्षा ने देखा कि केंद्रीय आयुक्तालय प्रभारों के तहत 278 मामलों में, संबंधित निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेख में विशिष्ट उल्लेख किया था कि कुर्क संपत्ति कुर्की की तिथि को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्धारिती के नाम पर थी। इनमें से एक मामले में, निर्धारण अधिकारी ने पंजीकरण अधिकारियों से स्वामित्व की पुष्टि प्राप्त की थी, जबकि अन्य 277 मामलों में, स्वामित्व की पुष्टि का कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। लेखापरीक्षा दर्ज करती है कि पंजीकरण प्राधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों (जैसे बैंकिंग प्राधिकारियों) से स्वामित्व (या

उसके भार) की पुष्टि करने के प्रयासों में एक जोखिम होता है कि निर्धारिती आसन्न अनंतिम कुर्की की संभावना पर संदेह कर सकता है और इस तरह की कुर्की को प्रस्तुत करने के लिए संपत्ति को तुरंत बेच या स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह कुर्की को अनावश्यक बना देते हैं, ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब तलाशी की कार्यवाही की तिथि से एक बड़ा समय अंतराल होता है। इसलिए, मूल्यांकन प्रतिवेदन में संपत्तियों से संबंधित जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच की अवधि में संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण के जोखिम को कम करने के लिए तलाशी की कार्यवाही के बाद त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

पूर्वोक्त 278 लेखापरीक्षित मामलों में से सात में, संबंधित निर्धारितियों के पास अनंतिम कुर्की की तिथि तक कुर्की की गई संपत्ति का स्वामित्व नहीं था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) प्र.सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-1(3), बेंगलुरु द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारिती श्री टी1 के तलाशी निर्धारण मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 15/07/2019 को ₹ 3.75 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के खिलाफ कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्यांकन को इंगित किए बिना अनंतिम रूप से छह अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने अनंतिम कुर्की के अभिलेख से देखा कि उपरोक्त छह कुर्की संपत्तियों में से चार या तो निर्धारिती के नाम पर नहीं थीं या उनका एकमात्र स्वामित्व नहीं था। यह देखा गया कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने से पहले इन चार संपत्तियों में से एक को 06/01/2014 को बेच दिया गया था। यह भी देखा गया कि एक अन्य कुर्क संपत्ति, एक आवासीय भवन, जिसमें कई इकाइयाँ हैं, जिनमें से कुछ इकाइयाँ 281बी प्रस्ताव की तिथि से बहुत पहले ही अन्य पार्टियों को बेच दी गई थीं।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने से तीन दिन पहले 12/07/2019 को पारिवारिक समझौता विलेख निष्पादित करके इन चार संपत्तियों में से शेष दो का स्वत्वाधिकार हक और हित जारी किया गया था। हालांकि ये जानकारी उप-पंजीयक अधिकारी इंदिरानगर, बेंगलुरु से

20/08/2019 को प्राप्त होने के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत आदेश को चार बार (जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021) बढ़ाया। निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता का विस्तार करते समय उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्तियों की अनंतिम कुर्की जारी रही जो निर्धारितियों से संबंधित नहीं थी।

निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021), कि "जैसा कि कुर्की प्रस्तावों में विस्तार से बताया गया है, संपत्तियों की सूची और उनका मूल्यांकन भरा गया है, कुर्की का इरादा निर्धारिती की मौजूदा संपत्तियों पर एक ग्रहणाधिकार बनाना है। निर्धारिती अचल संपत्ति के व्यवसाय में है और उसने अपनी कुछ संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखा और बेचा है, वही पूंजीकरण और लेनदेन के विभिन्न चरणों में हैं, तदनुसार, ज्ञात संपत्तियों पर प्राथमिक या दूसरा ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक तात्कालिक आधार पर किया गया।"

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धारा 281बी के तहत आदेश में कुर्क संपत्तियां उनके विस्तार आदेशों सहित निर्धारिती से संबंधित नहीं थीं और इसलिए मौजूदा मामले में राजस्व के हितों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण जुलाई 2021 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 91.83 करोड़ की संचयी मांग बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने 30/04/2022 को अपील की, जो लंबित (जुलाई 2022) थी।

कुर्क संपत्तियों पर निर्धारितियों के स्वामित्व को सुनिश्चित किए बिना किए गए अनंतिम कुर्की के अन्य छह मामले **परिशिष्ट 17** में दिए गए हैं।

इस प्रकार, इन मामलों में अनंतिम कुर्की के लिए चयनित संपत्तियों के स्वामित्व की स्थिति के आवश्यक सत्यापन की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों की कुर्की हुई जो संबंधित निर्धारितियों के अधिकार में नहीं था, जिससे इन संपत्तियों को कुर्की करने का उद्देश्य विफल हो गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ii) ऋण-भार-रहितता और संपत्ति की प्रकृति: लेखापरीक्षा ने पाया कि 343 मामलों में, संपत्ति के ऋणभार की स्थिति अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। संपत्ति(यों) के ऋण-भार को सुनिश्चित करने के प्रयास केवल सात मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए जा सके। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन मामलों में कुर्क संपत्तियां आंशिक रूप से (दो मामले)/पूरी तरह से (पांच मामले) धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की तिथि से पहले ऋण-भारग्रस्त थीं। सात मामलों में से पांच मामलों का विवरण **परिशिष्ट 18** में दिया गया है और दो मामलों की व्याख्या नीचे की गई है:

(क) श्री पी8 और उनकी पत्नी श्रीमति आर29 के एक तलाशी निर्धारण मामले का निर्धारण, नि.व. 2013-14 से 2018-19 के लिए केन्द्रीय सर्किल-1(2), बंगलुरु द्वारा प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु चार्ज के तहत किया गया, धारा 281बी के तहत ₹ 3.07 करोड़ की कुल अनुमानित कर देयता (शास्ति और ब्याज को छोड़कर) जैसा कि धारा 281बी के तहत आदेश के प्रस्ताव में दर्शाए गए थे, के विरुद्ध प्रारंभिक आदेश उनकी संबंधित चल संपत्तियों बचत बैंक (एसबी) खाते में सावधि जमा (एफडी) और क्रेडिट बैलेंस, जिसका संचयी मूल्य ₹ 2.01 करोड़ था, को अनंतिम रूप से कुर्की करने के लिए जारी किए गए थे (जुलाई 2019)। दिसंबर 2019 में, श्री पी8 ने निर्धारण अधिकारी से कुर्की आदेश को रद्द करने और एफडी और एसबी खातों को जारी करने का अनुरोध किया ताकि वह अपने बकाया कर का भुगतान कर सकें। निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेशों को दो बार (जनवरी और सितंबर 2020) आगे बढ़ाया गया था। हालांकि, अधिसूचित प्राधिकरण अर्थात् बैंक प्रबंधक ने एफडी की भारग्रस्तता स्थिति के निर्धारण अधिकारी को सूचित किया (सितंबर 2020) और जीएसटी विभाग द्वारा इन खातों की मौजूदा कुर्कता पर विचार करते हुए कर बकाया के विरुद्ध शेष राशि को प्रेषित करने में असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2018)।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी ने संपत्ति कुर्की करते समय संपत्ति की ऋणभार स्थिति का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के हित का संरक्षण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि तथ्य यह है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई कुछ संपत्तियां जीएसटी अधिकारियों द्वारा कुर्की के अधीन थीं, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए धारा 281बी के तहत की गई कार्रवाई को किसी भी तरह से कम नहीं करती है। अनंतिम कुर्की का सहारा लेकर, विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति की वसूली के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश कर सकता है।”

निर्धारण अधिकारी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह अनंतिम कुर्की पहले से जारी कुर्की को रद्द कर सकता है। श्री पी8 के मामले में निर्धारण लंबित थे, जबकि श्रीमति आर29 के मामले में ₹ 0.48 करोड़ की कर मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने केवल ₹ 0.28 लाख का भुगतान किया था (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

जैसा कि उपरोक्त दृष्टांतों से देखा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम रूप से कुर्की की जाने वाली संपत्ति(यों) की ऋणभार स्थिति का पता नहीं लगाया।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में कुर्की की गई संपत्ति के स्वामित्व का गैर-सत्यापन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा का मानना है कि धारा 281बी के तहत संपत्ति कुर्की करने के बाद भी कुर्क संपत्ति की प्रकृति का सत्यापन, जहाँ कुर्की से पहले ऐसा सत्यापन व्यवहार्य नहीं है, न केवल अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की मजबूती का आश्वासन प्राप्त करेगा बल्कि राजस्व के हित की रक्षा के अपने उद्देश्य को भी पूरा करेगा।

सिफारिश संख्या 6:

कुर्क की जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकता है। यदि स्वामित्व/ ऋण- भार-रहितता की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण या अन्य प्राधिकरणों से पूछताछ की जाती है, ऐसे मामलों में जहां कुर्की आदेश जारी होने से कुछ समय पहले संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित किया जाता

है, तो निर्धारिती के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

4.4 कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता और मूल्यांकन

सितंबर 2004 के बोर्ड के निर्देशों⁵³ में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि निर्धारण की कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा, निर्धारिती की सभी संपत्तियों की जांच करने और अनंतिम कुर्की के तहत रखने के लिए, *विचाराधीन मांग को शामिल करने के लिए पर्याप्त संपत्ति (या अधिकतम सीमा, जैसा भी मामला हो)*। इसके अतिरिक्त, धारा 281बी (4) निर्धारित करती है कि यदि निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझता है, तो अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति को उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) निर्धारित करने के लिए नामित मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का मूल्य कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त है, या तो पूरी तरह से या अधिकतम संभव सीमा तक।

कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता और मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

4.4.1 कुर्क संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता: अनुमानित कर देयता और कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य दो आवश्यक मानदंड हैं जिन्हें अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि अध्याय 3 में पैरा 3.2.2 (ii) में से चर्चा की गई है, अनुमानित कर देयता और कुर्क संपत्ति का मूल्य अधिकांश अनंतिम कुर्की आदेशों में दर्ज नहीं किया जा रहा है। निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी प्रस्तावों की समीक्षा और अन्य अभिलेख अर्थात् अनंतिम कुर्की से संबंधित कार्यालय आदेश नोटिंग्स⁵⁴ ने निम्नलिखित का खुलासा किया:

(i) निर्धारण अधिकारी ने 350 मामलों में से केवल 60 मामलों में अनुमानित कर देयता और संपत्ति का मूल्य दर्ज किया था। नौ केंद्रीय आयुक्तालयों के अंतर्गत निर्धारित ऐसे 60 में से 25 मामलों में, अनंतिम रूप

⁵³ सीबीडीटी निर्देश सं. 8 सितंबर 2004

⁵⁴ निर्धारण अधिकारी का 281बी प्रस्ताव + प्र.सीआईटी का उसपर अनुमोदन + धारा 281बी का आदेश + कार्यालय नोटिंग्स यदि कोई हो।

से कुर्क संपत्ति का मूल्य (₹ 2,010.05 करोड़) अनुमानित कर देयता (₹ 897.71 करोड़) को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया था। 16 मामलों में कवरेज का प्रतिशत 100 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक, चार मामलों में 501 प्रतिशत से 2000 प्रतिशत और पांच मामलों में 2000 प्रतिशत से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 में से 18 मामलों में, कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता के 203.6 प्रतिशत से 11,723.9 प्रतिशत तक बहुत अधिक पाया गया था। (परिशिष्ट 19क)। ऐसे दो मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

(क) श्री के12 के तलाशी निर्धारण मामले में, जो कि प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारण किया गया, ₹ 2.08 करोड़ की अनुमानित कर देयता के विरुद्ध (तलाशी के दौरान पाए गए ₹ 6.93 करोड़ की बेहिसाब आय पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर से गणना की गई अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) दो आदेश धारा 281बी के तहत ₹ 207.55 करोड़ के मूल्य की कई संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्की करने के लिए जारी किए गए {क्रमशः 27 अचल संपत्तियों से युक्त (₹ 206.84 करोड़) और निर्धारिती की चार चल संपत्तियां (₹ 0.71 करोड़)} (सितंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने देखा कि कुर्क संपत्तियों का मूल्य अनुमानित कर देयता (9,980.2 प्रतिशत) से कहीं अधिक था। ₹ 2.65 करोड़ की मांग उठाकर निर्धारण (जनवरी 2019) पूरा किया गया था और मामला निपटान के लिए आईटीएससी के पास लंबित है। लेखापरीक्षा (जून 2021) द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। उत्तर और आईटीएससी निर्णय की वर्तमान स्थिति और बकाया कर मांग की वसूली मंत्रालय/सीबीडीटी (जुलाई 2022) से प्रतीक्षित है।

(ख) मैसर्स के8 प्रा. लि., के तलाशी निर्धारण मामले में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई प्रभार के तहत, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश (अक्टूबर 2018) ₹ 3.61 करोड़ की अनुमानित कर देयता (जून 2017 में जारी रिपोर्ट में जांच विंग द्वारा निर्धारित ₹ 12.02 करोड़ की छिपी हुई आय पर अधिभार/उपकर/ब्याज/जुर्माना को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर गणना की गई) के विरुद्ध ₹ 422.80 करोड़ के कुल मूल्य वाले

करदाता की कुल 16 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश में दर्ज कारण यह था कि "कर और ब्याज जो निर्धारिती द्वारा देय हो सकता है, निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है", जो उसके विरुद्ध कुर्क संपत्तियों की संख्या (11,723.9 प्रतिशत) मात्रा के विपरीत था। ₹ 6.41 करोड़ की मांग उठाकर निर्धारण (दिसंबर 2018) पूरा किया गया था। पूरी कर मांग वसूली (फरवरी 2021) लंबित थी। निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) का उत्तर नहीं दिया। मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से उत्तर और बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, आवश्यकताओं से कहीं अधिक संपत्तियों की कुर्की, जो मुख्य रूप से धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के समय कर देयता का अनुमान लगाने में निर्धारण की विफलता के कारण है, बोर्ड के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और संबंधित करदाता के अनुचित उत्पीड़न का कारण भी बनता है।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ केंद्रीय आयुक्तालयों के अंतर्गत मूल्यांकन किए गए 60 में से 35 मामलों में, कुर्क संपत्ति का मूल्य (₹ 121.29 करोड़) अनुमानित कर देयता (₹ 698.57 करोड़) को कवर करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था। अनुमानित कर देयता की तुलना में कवरेज का प्रतिशत नौ मामलों में 0.1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, चार मामलों में 10.1 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, सात मामलों में 25.1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक था। और 15 मामलों में 50.1 प्रतिशत से 95 प्रतिशत। इनमें से 27 मामलों में जहां कुर्क संपत्ति के प्रकार में अचल संपत्ति शामिल है, लेखापरीक्षा ने देखा कि कुर्क संपत्ति का बही मूल्य (₹ 119.65 करोड़), अनुमानित कर देयता (₹ 640.69 करोड़) को पूरी तरह से (या अधिकतम सीमा तक) कवर करने के लिए काफी अपर्याप्त⁵⁵ था (**परिशिष्ट 19ख**)। एक मामला नीचे दिखाया गया है।

(क) एस50 समूह जिसमें मैसर्स एस7 प्रा. लि. शामिल था जिसकी चर्चा पैरा 4.2(i)(ख) के माध्यम से अध्याय 4 में भी की गई है, जिसका नि.व.

⁵⁵ अनुमानित कर देयता के 75 प्रतिशत से कम है तो लेखापरीक्षा कुर्की को 'पूरी तरह से अपर्याप्त' मानती है।

2012-13 से 2018-19 के लिए केन्द्रीय सर्कल, पणजी में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु चार्ज, के तहत निर्धारण किया गया, के मामलों में चल और अचल संपत्तियों को कुर्की करने के लिए, जिनका मूल्य कुल ₹ 55.78 करोड़ था और ₹ 31.13 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी का 179.18 प्रतिशत तक कवर किया गया था, धारा 281बी के तहत शुरू में आदेश जारी किए गए थे (फरवरी और अगस्त 2020)। बाद में, हालांकि, केवल चल संपत्तियों जैसे, म्युचुअल फंड (₹ 2.88 करोड़) को कुर्क करने के आदेशों को बढ़ाया गया था, जबकि धारा 281बी के तहत अचल संपत्तियों (₹ 52.90 करोड़) को कुर्की करने के आदेश को समाप्त होने दी गई थी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे, भले ही, प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु द्वारा इसे कुर्क करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। परिणामस्वरूप, कुर्की के कवरेज का प्रतिशत (केवल चल संपत्ति के रूप में, म्युचुअल फंड के रूप में) घटकर 9.2 प्रतिशत हो गया जो कि पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुआ। लेखापरीक्षा (मार्च 2021) में यह इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021) कि अचल संपत्ति और म्युचुअल फंड की कुर्की को क्रमशः फरवरी और अप्रैल 2021 में आगे बढ़ाया गया था और तलाशी निर्धारण अभी पूरा होना बाकी था। हालांकि, अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश को बढ़ाने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारितियों के पास ₹ 110.42 करोड़ मूल्य की गैर-तात्कालिक संपत्ति थी। हालांकि, ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता चल सके कि कुर्की के लिए म्युचुअल फंड का चयन करने से पहले निर्धारण अधिकारी ने इन संपत्तियों की उपयुक्तता पर विचार किया था। तथ्य यह है कि इन मामलों में चयनित विस्तार आदेशों के माध्यम से कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता को सुरक्षित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। निर्धारण (जून 2021) के पूरा होने और सुधार आदेश (फरवरी 2022) के पारित होने के बाद, मांग को घटाकर ₹0.04 लाख कर दिया गया था, जो वसूली (जुलाई 2022) के लिए लंबित थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(3), हैदराबाद में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारित श्री एम14 के तलाशी मूल्यांकन मामले में, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2020 को जारी किया गया और साथ ही 17/09/2020 के बाद के विस्तार आदेश, निर्धारिती की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए, यानी ₹ 3.49 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी (निर्धारिती द्वारा स्वीकृत ₹ 11.62 करोड़ की अघोषित आय का 30 प्रतिशत पर गणना की गई) के खिलाफ ₹ 0.79 करोड़ मूल्य की सावधि जमा अपर्याप्त (22.6 प्रतिशत) था। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था कि एओ ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए थे कि निर्धारिती के पास अन्य संपत्तियां हैं या नहीं जैसा कि बोर्ड के निर्देश है। अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त संपत्ति के मूल्य के संबंध में एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के लिए, डीसीआईटी, केंद्रीय सर्कल 2(3) हैदराबाद ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि संपत्ति का मूल्य संभावित मांग से मेल खाता हो। ₹ 4.01 करोड़ की संचयी कर मांग उठाकर अप्रैल 2021 में तलाशी निर्धारण पूरा किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि इसे व्यक्ति के पीडी खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया था और ₹ 0.76 करोड़ की शेष राशि जुलाई 2022 तक बकाया थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हुए (सितंबर 2022) कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश द्वारा, ₹ 73 लाख की राशि कुर्क की गई थी। इसके अलावा तलाशी के दौरान ₹ 4.17 करोड़ की राशि जब्त की गई और यह हैदराबाद के प्रधान सीआईटी(के.) के पीडी खाते में पड़ी थी। इसके बाद निर्धारण पूरा किया गया और ₹ 4.94 करोड़ (ब्याज सहित) की मांग की गई। इसलिए, विभाग की अभिरक्षा में ₹ 4.90 करोड़ की कुल राशि (धारा 281बी के तहत जब्त बैंक बैलेंस और जब्त नकदी) ₹ 4.94 करोड़ की कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। यह देखा जा सकता है कि अनुमानित कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां

कुर्क/अभिरक्षा के अधीन थीं और लेखापरीक्षा यह इंगित करने में सही नहीं थी कि विभाग द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियां अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए अपर्याप्त थीं। आज की तारीख तक ₹ 4.94 करोड़ की मांग की तुलना में ₹ 4.17 करोड़ समायोजित किए गए हैं और करदाता की पहली अपील निपटान के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। सीबीडीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया मांग का 20 प्रतिशत से अधिक एकत्र किया गया है।

जैसा कि मंत्रालय के उत्तर में कहा गया है आईटीडी के पास जब्त की गई ₹4.17 करोड़ की नकदी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एओ द्वारा ₹ 3.49 करोड़ (जब्त नकदी से कम) की अनुमानित कर देयता के मुकाबले ₹ 0.79 करोड़ मूल्य की सावधि जमा को अनंतिम रूप से कुर्क करने की कार्रवाई सही नहीं पाई गई है क्योंकि जब्त की गई नकदी अनुमानित कर देयता की वसूली के लिए पर्याप्त थी। उपर्युक्त पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा अवलोकन पर मंत्रालय का उत्तर सोच-समझकर दिया गया प्रतीत होता है।

(ग) श्री सी3 जिसका निर्धारण प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल - 2(1), चेन्नई में किया गया था, के मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 28/09/2018 को 47 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए जारी किया गया था, जिनका संचयी खरीद मूल्य ₹ 0.53 करोड़ था, जो ₹ 108.45 करोड़ की अनुमानित कर देयता (दिनांक 17/09/2018 की धारा 281बी के तहत प्रस्ताव उल्लिखित 361.50 करोड़ कि अघोषित आय पर 30 प्रतिशत कि न्यूनतम कर से गणना की गई) को कवर करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। उक्त अनंतिम कुर्की आदेश को मार्च 2019 और सितंबर 2019 में दो बार विस्तारित किया गया था। अनंतिम कुर्की के आदेश का कोई और विस्तार जारी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि करदाता के पास अन्य संपत्तियां हैं या नहीं क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं मिला है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या जांच विंग ने परिसंपत्तियों की सूची तैयार की थी और अनंतिम कुर्की के लिए संपत्ति के

चयन में एओ को पूरक करने के लिए क्षेत्राधिकार एओ को प्रदान किया था क्योंकि मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हुए (अगस्त 2022) कहा कि अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत निर्धारण नि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए 27/12/2019 को तथा निर्धारण नि.व. 2015-16 से 2017-18 के लिए 27/09/2021 को कुल ₹ 187.61 करोड़ के मांग को उठाते हुए पूरा किया गया है। यह अनंतिम कुर्की रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी चल और अचल संपत्तियों के लिए की गई थी। सभी संपत्ति की अनंतिम कुर्की अंतिम बार 11/03/2021 को की गई थी। अब यह मामला कर की वसूली के लिए टीआरओ के पास प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता की परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए एओ द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं था, जो सीबीडीटी के निर्देश संख्या 8/2004 के दिनांक 02 सितंबर 2004 के उल्लंघन में था। इसके अलावा, उपरोक्त निर्देश में यह भी कहा गया है कि निर्धारण पूरा होने के बाद, यदि वसूली तक अनंतिम कुर्की जारी नहीं रखी जा सकती है, तो उन्हीं संपत्तियों को धारा 222/226 के तहत कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, यह नोट किया गया कि टीआरओ ने केवल 20/10/2022 को संपत्ति की कुर्की की, यानि निर्धारण पूरा होने से एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद, जबकि अनंतिम कुर्की आदेश 10/09/2021 में समाप्त हो गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उप-रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नोट किया कि कुर्क की गई इनमें से अधिकांश संपत्तियां या तो पहले से ही गिरवी रखी गई थीं या पट्टे पर ली गई थीं।

(iii) शेष 290 मामलों (82.8 प्रतिशत) में, 281बी⁵⁶ रिकॉर्ड में अनुमानित कर देयता (46 मामले) या कुर्क संपत्ति के मूल्य (116 मामले) या दोनों (128 मामले) को दर्ज नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता या अन्यथा का पता नहीं लगा सकी। आयुक्तालय-वार ब्यौरा तालिका सं 08 में दिया गया है।

⁵⁶ एओ का 281बी प्रस्ताव + उस पर प्रधान आयकर आयुक्त का अनुमोदन + धारा 281बी के तहत आदेश + ऑफिस नोटिंग, यदि कोई हो।

तालिका संख्या 08: ऐसे मामले जहां कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है					
प्रधान सी.आई.टी. क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	अनुमानित कर देयता उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्ति का मूल्य उपलब्ध है	संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, जबकि अनुमानित कर देयता उपलब्ध है	दोनों उपलब्ध नहीं हैं		
	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली (04)	1	0.62	2	6.93	6
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली (04)	6	144.31	3	732.45	19
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली (06)	9	34.49	1	63.01	30
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई (04)	0	0	5	251.89	3
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई (05)	0	0	2	107.01	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई (04)	3	36.03	5	95.65	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), कोच्चि (02)	4	70.01	0	0	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु (10)	1	0.89	7	41.75	0
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद (07)	0	0	17	84.36	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता (03)	0	0	5	6.12	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता (01)	0	0	0	0	6
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई (06)	0	0	31	1,960.73	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई (04)	1	849.17	22	3,503.08	7
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), भोपाल (02)	2	3.76	2	9.02	18
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम (01)	0	0	4	28.03	1

तालिका संख्या 08: ऐसे मामले जहां कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है					
प्रधान सी.आई.टी. क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	अनुमानित कर देयता उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्ति का मूल्य उपलब्ध है	संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, जबकि अनुमानित कर देयता उपलब्ध है	दोनों उपलब्ध नहीं हैं		
	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), चंडीगढ़ (02)	0	0	7	81.11	15
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद (05)	19	52.89	0	0	14
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), राजस्थान (01)	0	0	3	117.44	0
कुल	46	1,192.17	116	7,088.55	128

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, धारा 281बी के तहत संबंधित आदेशों में अनुमानित कर देयता का अभाव प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद शुल्क के तहत सबसे अधिक (19 मामले) था, इसके बाद प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली (09 मामले) और प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली (06 मामले) थे। दूसरी ओर, प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई (31 मामले) और प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई (22 मामले) में अधिकतम मामलों में संपत्ति का मूल्य दर्ज नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुमानित कर देयता और / या कुर्क संपत्ति के मूल्य की गैर-रिकॉर्डिंग बोर्ड के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

4.4.2 कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्यांकन: अधिनियम की धारा 281बी⁵⁷ की उप-धारा (4) में कहा गया है, "निर्धारण अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 142 ए में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ दे सकता है, जो उस धारा के तहत प्रदान किए गए तरीके से संपत्ति के उचित बाजार

⁵⁷ अधिनियम की धारा 281बी के तहत उप-धारा (4)।

मूल्य का अनुमान लगाएगा और इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आकलन अधिकारी को अनुमान की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां अचल संपत्ति (संपत्तियां) अनंतिम रूप से कुर्क है/हैं, जिनके मूल्य निर्धारिती की पुस्तकों में उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम दरों पर दर्ज किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 308 लेखापरीक्षित मामलों में से जिनमें अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था (अन्य चल संपत्तियों के साथ/बिना) (पैरा संख्या 4.2 की तालिका संख्या 07 देखें), केवल 12 मामलों (3.9 प्रतिशत) में, संबंधित एओ अनुमानित कर देयता के उच्च कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का पता लगाने के लिए कुर्क संपत्ति को नामित मूल्यांकन अधिकारी (वीओ) को संदर्भित किया था। निर्धारिती-वार विवरण **परिशिष्ट 19ग** में दिए गए हैं, और उसके निष्कर्षों पर निम्नानुसार यथाचर्चित है:

इन 12 मामलों में से, आठ मामलों में, एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने की तारीख (तारीखों) से काफी पहले संबंधित वीओ को कुर्क की गई संपत्ति को रेफर कर दिया। इनमें से छह मामलों में, धारा 281बी के तहत संबंधित आदेशों की अग्रिम रूप से वीओ से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कुर्क संपत्तियों का एफएमवी मूल रूप से इंगित मूल्य की तुलना में अधिक था। शेष दो मामलों के संबंध में, एक मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी, जबकि दूसरे मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने के बाद वीओ द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 12 में से शेष चार मामलों में, संबंधित एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही वीओ को कुर्क की गई संपत्ति को संदर्भित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन 12 मामलों में से छह में, मूल्यांकन रिपोर्ट देर से वीओ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और देरी नौ दिनों से लेकर 235 दिनों तक थी जिसकी गणना पूर्वोक्त प्रावधानों में निर्धारित 30-दिन की सीमा के अंत से की गई थी।

308 मामलों में से 296 मामलों (96.1 प्रतिशत) में संबंधित एओ ने कुर्क संपत्तियों के एफएमवी निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को कोई संदर्भ नहीं दिया था। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में, लेखापरीक्षा पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि संबंधित एओ ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि कुर्क संपत्तियां बोर्ड द्वारा सितंबर 2004 के अपने निर्देशों के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा तक अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त वसूली योग्य मूल्य की थीं, जिससे राजस्व के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सके। दो निर्देशी मामले नीचे दिये गए हैं:

(क) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए निर्धारण किए गए श्री एस25 के तलाशी मूल्यांकन मामले में, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश (दिसंबर 2017) ₹ 0.99 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी {धारा 132(4) के तहत तलाशी की कार्यवाही के दौरान निर्धारिती के एक बयान द्वारा स्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ की अघोषित आय पर 30 प्रतिशत (अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) पर गणना की गई} के प्रति ₹ 0.09 करोड़ के मूल्य वाली एकल संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के पास बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में कई अचल संपत्तियां थीं (मूल्य इंगित नहीं किया गया था) और ₹ 0.32 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण भी थे। एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश पारित करते समय, सोने के आभूषण सहित इन कई संपत्तियों पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल्य की एक संपत्ति कुर्क की जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए अपर्याप्त थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (फरवरी 2021) किए जाने पर, एओ, केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु ने उत्तर दिया (जून 2021), "281बी प्रस्ताव और विस्तार आदेशों ने क्षेत्र माप के साथ संपत्तियों के स्थान को स्पष्ट रूप से आबाद किया था और कि सभी संपत्तियां महत्वपूर्ण इलाकों में बंगलौर शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं; उसी के मद्देनजर, निर्धारित मार्गदर्शन दर के संबंध में संपत्तियों के गतिशील बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।" एओ का उत्तर न

तो लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट है और न ही बाजार की गतिशीलता के बावजूद मान्य है, मौजूदा नियम/निर्देश निर्धारित करते हैं कि कुर्क संपत्ति अधिकतम सीमा तक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, धारा 281बी की उप-धारा (4) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि कुर्क संपत्ति को मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है ताकि ऐसी तुलना में सहायता के लिए उचित बाजार मूल्य का पता लगाया जा सके, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था और कुर्क संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। तलाशी निर्धारण 22/12/2017 को पूरा किया गया था जिसमें ₹ 7.56 करोड़ की मांग की गई थी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। मामला टीआरओ को भेजा गया था और टीआरओ ने सभी निर्धारण वर्षों के लिए 01/11/2018 को फॉर्म आईटीसीपी-1 में मांग के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद टीआरओ ने उसी संपत्ति को कुर्क कर लिया। निर्धारिती ने 09/08/2018 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो लंबित है। (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) श्री एन13 और श्रीमति एस19 के समूह जिसका निर्धारण प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली प्रभार के तहत केंद्रीय सर्कल-01, दिल्ली में निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए किया गया, के मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 22/10/2019 को निर्धारितियों के संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली 11 अचल संपत्तियों और पूरी तरह से श्रीमति एस19 के स्वामित्व वाली एक संपत्ति को कुर्क करने के लिए, आवश्यक जानकारी (अर्थात्, वैधता की अवधि, और अनुमानित कर देनदारी) दर्शाये बिना निर्धारितियों की आय में ₹ 230 करोड़ (अंतिम कुर्की के प्रस्ताव में उल्लेखित) की संभावित वृद्धि पर संभावित कर मांग को कवर करने के लिए जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से पाया कि 10 कुर्क संपत्तियों का मूल्य ₹ 5.91 करोड़ इंगित किया गया था, जो अक्टूबर 2008 और अगस्त 2015 के बीच

निर्धारितियों द्वारा उनके अधिग्रहण के दौरान खर्च की गई लागत थी। शेष दो संपत्तियों को निर्धारितियों को विरासत में मिला था और इसलिए कोई मूल्य नहीं दर्शाया गया था। चूंकि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य ₹ 69 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त था, जिसकी गणना अधिभार/उपकर/ब्याज/जुर्माने को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर की गई थी, एओ के लिए यह अनिवार्य था कि वह उचित बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए संपत्तियां मूल्यांकन अधिकारी के संज्ञान में लाए ताकि अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति द्वारा अनुमानित कर देयता का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके, जो नहीं किया गया था।

एक लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के जवाब में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्या मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ दिया गया था, एओ, केंद्रीय सर्कल-01, दिल्ली ने बिना कोई कारण बताए नकारात्मक उत्तर दिया (फरवरी 2021)।

श्रीमति एस19 के मामले में, ₹ 1.01 करोड़ की संचयी कर मांग को बढ़ाकर दिसंबर 2019 में तलाशी निर्धारण पूरा किया गया था, जो कि वसूली के लिए लंबित था क्योंकि निर्धारिती ने निर्धारण के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि, श्री एन13 के मामले में, ₹ 262.92 करोड़ की सीमा तक आय में वृद्धि करने और ₹ 562.68 करोड़ के शास्ति के एओ के प्रस्ताव के जवाब में, निर्धारिती ने निपटान के लिए एक आवेदन आईटीएससी के समक्ष धारा 245डी के तहत, दायर किया (दिसंबर 2019) जो निर्णय (जुलाई 2022) के लिए लंबित था। साथ ही, मार्च, 2021 तक, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (अक्टूबर 2019) मामले के निपटारे/कर की वसूली की तारीख तक बढ़ाए बिना ही समाप्त हो गया। मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से उत्तर और शेष कर वसूली/मामले के निपटान की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, मौजूदा तंत्र में, कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि एओ धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में अनुमानित कर देयता और/या कुर्क संपत्तियों के मूल्य को दर्ज नहीं कर रहे थे। सीमित मामलों में जहां आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी,

कुर्की का मूल्य अनुमानित कर देयता की तुलना में या तो अत्यधिक या अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित निर्धारितियों को अनुचित उत्पीड़न या अनुमानित कर देयता का अपर्याप्त कवरेज हो सकता है। साथ ही, अधिकांश मामलों में एओ ने अधिनियम में निर्धारित संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का पता नहीं लगाया। नतीजतन, राजस्व के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना दूर की कौड़ी लगती है।

सिफारिश संख्या 7:

सीबीडीटी राजस्व के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण करके संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

जवाब में, मंत्रालय ने (जुलाई 2022) कहा कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और बोर्ड के निर्देशों से बंधे हैं।

यद्यपि अधिनियम और बोर्ड के अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन एओ संगत प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं और बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुदेशों को दोहराने और किसी संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम/बोर्ड के अनुदेशों के उपबंधों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

अध्याय 5

अनंतिम कुर्की की वैधता, निरसन और निगरानी

इस अध्याय में धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर यथाचर्चित है, जिसमें संपत्ति की अनंतिम कुर्की का विस्तार या निरसन शामिल है। यह निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की प्रावधानों की निगरानी और कर-पश्चात मांग की वसूली के संदर्भ में कार्यवाही के परिणाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 297 (84.9 प्रतिशत) में, धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि या तो कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई, जो बोर्ड के निर्धारित प्रावधानों और निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, 31 मामलों (8.9 प्रतिशत) में, धारा 281बी के तहत आदेशों को धारा 281बी के तहत पिछले आदेश की समाप्ति की तारीख से दो से 166 दिनों के बीच के समय अंतराल के साथ बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि संबंधित निर्धारिती ने बीच की अवधि में कुर्क की गई संपत्ति का निपटान किया था या नहीं, जबकि कोई अनंतिम कुर्की नहीं थी।

धारा 281बी के तहत निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने की अवधि को अलग करने या धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि (जैसा कि 01/10/2014 से पहले उपलब्ध है) या निर्धारिती की अपील के दौरान निर्धारण के खिलाफ अदालत की रोक के दौरान सक्षम प्रावधानों के अभाव ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां राजस्व के हित अपील की अवधि के दौरान और अदालतों द्वारा दी गई निषेधाज्ञा/स्थगन की अवधि के दौरान या जब मामले आईटीएससी के समक्ष लंबित होते हैं, असुरक्षित रहते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने में देरी और निर्धारितियों द्वारा बीच की अवधि में संपत्तियों को अलग-

थलग करके स्थिति का लाभ उठाने का अंतर्निहित जोखिम है, जिन्हें अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही की तारीख के बाद उचित समय के भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी नहीं किए जाने से निर्धारित पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम हो सकता है, जो दुरुपयोग हेतु सुग्राह्य है।

5.1 अनंतिम कुर्की की वैधता हेतु प्रावधान

अधिनियम की धारा 281बी(2) निर्धारित करती है कि धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की वैधता उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगी। इसके तहत प्रावधान निर्धारित करता है कि धारा 281बी के तहत आदेश की अवधि, निर्धारित प्राधिकरण⁵⁸ द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि उपयुक्त माना जाता है, ताकि विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश की तारीख के बाद दो वर्ष या साठ दिन से अधिक, जो भी बाद में हो, नहीं होगी। बोर्ड ने आगे निर्देश दिया⁵⁹ (सितंबर 2004) कि जिन मामलों में निर्धारण पूरा हो गया है, यदि अनंतिम कुर्की को वसूली तक जारी नहीं रखा जा सकता है, तो उसी संपत्ति को अधिनियम की धारा 222/226 (अर्थात् नियमित कुर्की)⁶⁰ के तहत कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है।

धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तारित हैं।

5.1.1 धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि

1. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि से संबंधित प्रावधानों का **अनुपालन:** लेखापरीक्षा ने 45 मामलों में पाया कि वैधता अवधि के लिए निर्धारित मानदंडों का विधिवत अनुपालन किया गया था, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

⁵⁸ प्रधान मुख्य आयुक्त (प्रधान सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्रि.सीआईटी), प्रधान महानिदेशक (प्रधान डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्रधान डीआईटी)।

⁵⁹ सीबीडीटी निर्देश संख्या 8 दिनांक 02/09/2004।

⁶⁰ धारा 222 के तहत संपत्ति की कुर्की (नियमित): कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र और धारा 226 के तहत: वसूली के अन्य तरीके।

- i. 28 मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेश निर्धारण की तारीख तक वैध था और इन आदेशों के आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि चार मामलों में कर मांग पूरी तरह से वसूल की गई थी और 22 मामलों में, विभाग द्वारा निर्धारण पूरा करने पर कोई मांग नहीं की गई थी और शेष दो मामलों में, आईटीएटी द्वारा निर्धारण को रद्द कर दिया गया था। मामले-वार विवरण **परिशिष्ट 20** में दिए गए हैं।
- ii. 17 मामलों में, (**परिशिष्ट 21** में दिए गए विवरण) जिनमें लेखापरीक्षा की अवधि (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) के दौरान तलाशी निर्धारण लंबित थे, धारा 281बी के तहत आदेश वैध रहे और इसलिए विभाग से कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, 17 मामलों में से 12 में निर्धारण पूरा हो गया था, निर्धारण लंबित रहने के दौरान धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के विस्तार के विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इन मामलों में, निर्धारण धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि के भीतर पूरा किया गया था और कर मांग, यदि कोई था, को निर्धारित से पूरी तरह से वसूल किया गया था। इसके अलावा, उन मामलों में, जहां निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, संबंधित अनंतिम कुर्की आदेशों की वैधता अवधि बरकरार थी। इस प्रकार, सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार अनंतिम कुर्की प्रक्रिया का पालन किया गया।

2. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि का समाप्त होना: लेखापरीक्षा में पाया गया कि 297 मामलों में, एओ आदेशों की वैधता के संबंध में धारा 281बी के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि इन मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेश या तो कर की मांग, निर्धारण पूरा होने पर उठाई गई कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया था, जो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन था। जैसा कि नीचे यथाचर्चित है।

- i. **धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता निर्धारण पूरा होने से पहले समाप्त हो गई:** 87 मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई थी और लेखापरीक्षा को

राजस्व के हितों की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर इन आदेशों के विस्तार का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला।

- ii. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता निर्धारण पूरा होने के बाद लेकिन कर वसूली से पहले समाप्त हो गई: 210 मामलों में धारा 281बी के तहत आदेश निर्धारण की तारीख तक वैध रहे, लेकिन बाद में कर मांगों की पूरी वसूली करने से पहले समाप्त हो गए और इन मामलों में अनंतिम कुर्की को नियमित कुर्की में बदलने के रूप में कोई संरक्षी उपाय नहीं किया गया, जैसा कि मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा इंगित किया गया है। दो निदर्शी मामले को नीचे दिये गए हैं:

(क) श्रीमति एल5 के निर्धारण मामले में नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु में प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत आकलन किया गया, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जांच विंग द्वारा लगभग ₹ 9.67 करोड़ अनुमानित अघोषित आय की मात्रा दर्शाते हुए जारी किया गया (अक्टूबर 2019) (लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कर देयता ₹ 2.90 करोड़ है, अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए ₹ दो करोड़ मूल्य की संपत्ति, जो अपर्याप्त थी। उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश दिसंबर 2019 में ₹ 9.83 करोड़ की संचयी मांग को बढ़ाते हुए पारित किए गए थे। लेखापरीक्षा की तारीख (मार्च 2021) तक, एओ द्वारा धारा 226(3) के तहत आदेशों के जवाब में बैंकों द्वारा केवल ₹ 0.06 करोड़ के प्रेषण के बाद, ₹ 9.77 करोड़ की शेष मांग अभी भी लंबित थी (जुलाई 2022)। जबकि अनंतिम कुर्की अप्रैल 2020 में समाप्त हो गई थी, निर्धारिती का मामला ₹ 10.25 करोड़ (शास्ति सहित) की मांग की वसूली के अनुसरण में कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को भेजा गया था (मई 2020)। धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार को जारी न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2021) के जवाब में, एओ ने कहा (जून 2021) कि धारा 281बी के तहत आदेश 24/10/2019 को पारित किया गया था और छह महीने की समाप्ति से पहले निर्धारण आदेश तैयार किए गए थे। आगे निर्धारण कार्यवाही (31/12/2019) के समापन पर, संपत्ति के विवरण के साथ कर मांग की वसूली के लिए एक

विस्तृत संदर्भ टीआरओ को दिया गया था। एओ का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि टीआरओ का संदर्भ मई 2020 में धारा 281बी (अप्रैल 2020) के तहत आदेश की समाप्ति के बाद किया गया था और 99 प्रतिशत से अधिक कर मांग बकाया थी। टीआरओ ने बाद में फॉर्म इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स (आईटीसीपी)-1 में माँग नोटिस (सितंबर 2020) और निर्धारिती की दो संपत्तियों को कुर्क करने के लिए फॉर्म आईटीसीपी-16 (दिसंबर 2020) में नोटिस जारी किया, जबकि निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के पास 31/01/2020 को अपील दायर की थी, जो अभी तक लम्बित है (जुलाई 2022)।

(ख) मैसर्स डी16 समूह के संबंधित निर्धारितियों के एक तलाशी निर्धारण मामले में जिसमें 14 निर्धारिती शामिल हैं, श्री डी3, श्री यू1, श्री के9, श्रीमति जे17, मैसर्स एस18 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर4 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ए21 प्राइवेट लिमिटेड, श्री एस40, श्री जे12, श्री एच3, श्री आर11, मैसर्स आर6 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पी28 प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स एस37 प्रा.लिमिटेड, जिनका नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए निर्धारण केन्द्रीय सर्किल-31, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत किया गया, धारा 281बी के तहत आदेश नवंबर 2019 में जारी किए गए थे, जिसमें कुर्क अचल संपत्तियों के मूल्य या अनुमानित कर देयता को नहीं दर्शाया गया था। इन 14 मामलों में से, छह मामलों में दिसंबर 2019 में निर्धारण पूरा कर लिया गया था और कुल कर मांग ₹ 47.80 करोड़ का उठाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि जब कर की मांग अभी भी वसूली के लिए लंबित थी, इन छह मामलों में धारा 281बी के तहत आदेश मई 2020 में समाप्त हो गए। इसके अलावा, धारा 281बी के तहत जारी किए गए आदेशों के विस्तार के संबंध में कोई सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा इन आदेशों की वैधता का विस्तार नहीं करने और मामलों को टीआरओ को संदर्भित न करने के कारणों और साक्ष्यों का पता नहीं लगा सका।

समूह के अन्य आठ मामलों में, धारा 245सी के तहत निर्धारितियों के आवेदन आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के पास लंबित थे। इस बीच इन मामलों में धारा 281बी के तहत जारी आदेश व्यपगत हो गए थे। आईटीएससी

के समक्ष निर्धारितियों के आवेदनों की स्थिति और अनंतिम कुर्की आदेशों के गैर-विस्तार के लिए मंत्रालय/सीबीडीटी से उत्तर और विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इस प्रकार, पूर्वोक्त उदाहरण के मामलों में, संबंधित एओ यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि धारा 281बी के तहत आदेशों को चालू रखा गया था। परिणामस्वरूप, निर्धारितियों की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के प्रयास राजस्व के हित की रक्षा करने में प्रभावी साबित नहीं हुए, क्योंकि निर्धारितियों द्वारा अपनी कर देनदारियों का निर्वहन करने से पहले कथित संपत्तियों के निपटान के संभावित जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता था।

3. विस्तार आदेशों में वैधता अवधि इंगित नहीं की गई: अन्य आठ मामलों में, जहां पांच मामलों में निर्धारण पूरा हो गया था और तीन मामलों में लंबित था, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 281बी के तहत जारी विस्तार आदेशों में वैधता अवधि को नहीं दर्शाया गया था; नतीजतन, विस्तार आदेशों की वैधता की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका (*परिशिष्ट 22*)।

इस प्रकार, उक्त विस्तार आदेशों में वैधता अवधि के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या राजस्व के हित को निर्धारण पूरा होने तक या कर मांगों की पूरी वसूली तक संरक्षित किया गया।

5.1.2 धारा 281बी के तहत आदेशों के विस्तार में अंतर के कारण वैधता अवधि समाप्त हो गई

अधिनियम की धारा 281बी(2) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा और इसे निर्धारण की तारीख के बाद अधिकतम दो साल या साठ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो भी बाद में हो। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धारा 281बी के तहत मूल आदेश की वैधता अवधि समय के साथ बढ़ाई जाए, क्योंकि धारा 281बी के तहत आदेश और इसके बाद के विस्तार के बीच एक विराम की अनुमति देने से निर्धारितियों द्वारा कुर्क संपत्ति का निपटान करने का प्रयास करने का संभावित जोखिम होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मामलों में (**परिशिष्ट 23** के अनुसार), संबंधित एओ ने संपत्ति, जिसे मूल रूप से कुर्क किया गया था, के संबंध में धारा 281बी के तहत आदेश के लिए विस्तार दो से 166 दिनों के अंतराल के बाद जारी किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण अभिलेखों में नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि संबंधित निर्धारितियों ने बीच की अवधि में कुर्क संपत्ति का निपटान किया था या नहीं। निम्नलिखित पैराग्राफों में दो मामलों का वर्णन किया गया है।

(क) श्रीमति डॉ. एम10 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिनका निर्धारण नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-1(4) में किया गया था, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश (दिसंबर 2019) सात अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए जारी किया गया था (संपत्तियों के मूल्य के साथ-साथ अनुमानित कर देयता रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी)। अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार उक्त आदेश की वैधता अवधि 25/06/2020 तक थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रारंभिक आदेश की समाप्ति की तारीख से 74 दिनों के अंतराल के बाद 09/09/2020 को इसका विस्तार आदेश जारी किया गया था। विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 2021) तक, तलाशी निर्धारण अभी भी लंबित था, जबकि धारा 281बी के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश के विस्तार की स्थिति सुनिश्चित नहीं थी, क्योंकि उसमें वैधता अवधि का कोई उल्लेख नहीं था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि दो 281बी कुर्की के बीच 74 दिनों के अंतराल के मुद्दे पर महामारी की स्थिति के कारण ऐसा हुआ। इसे नियमित किया गया और सभी अचल संपत्तियों को बाद में (यानी 09/09/2020 से) अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के तहत लाया गया। आदेश के मुख्य भाग में धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि का उल्लेख नहीं करने के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता इस धारा की उप-

धारा 2 द्वारा शासित है। मंत्रालय ने आगे कहा कि संपत्तियां अभी भी 281बी कुर्की के अंतर्गत हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने तलाशी निर्धारणों को पूरा करने पर रोक लगा दी थी। अधिनियम की धारा 153ए के तहत तलाशी निर्धारण अभी निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए लंबित हैं।

इस मामले में अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

(ख) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(4) चेन्नई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारित श्री वी22 के एक तलाशी निर्धारण मामले में, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए जारी (12/03/2019) किया गया था। न्यायिक रजिस्ट्रार, अंबात्तूर को उक्त आदेश को अधिसूचित करते हुए, एओ, केंद्रीय सर्किल-2(4) चेन्नई ने सूचित किया कि निर्धारिती को अगले आदेश तक किसी भी तरह से संपत्ति को स्थानांतरित करने या प्रभारी करने से निषिद्ध /प्रतिबंधित किया जाएगा। 281बी प्रस्ताव (फरवरी 2019) ने अघोषित आय की मात्रा ₹ 17.29 करोड़ और उस पर संभावित कर ₹ 8.65 करोड़ निर्धारित किया। आदेश 11/09/2019 तक छह महीने के लिए वैध था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 26/02/2020 को एक विस्तार आदेश जारी किया गया था, यानी प्रारंभिक आदेश की समाप्ति की तारीख से 166 दिनों के अंतराल के बाद। विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस बीच, ₹ 12.40 करोड़ की संचयी कर मांग बढ़ाकर 03/02/2020 को तलाशी निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के समक्ष निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी। लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 2021) तक धारा 281बी के तहत जारी आदेश पहले ही समाप्त हो चुका था और मांग अभी भी वसूली के लिए लंबित थी। इस बीच, एओ ने वसूली की निर्धारित प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ को मामला भेजा (जनवरी 2021)।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि इस मामले में 12/03/2019 को अनंतिम कुर्की की गई थी। चूंकि निर्धारण अधिकारी संवेदनशील मामलों को संभाल रहे थे और काम के भारी दबाव के

कारण, धारा 281बी के तहत आदेश को 166 दिनों के अंतराल के बाद बढ़ा दिया गया था। निर्धारण 03/02/2020 को पूरा किया गया, जिससे कुल ₹ 14.67 करोड़ की मांग उठाई गई। निर्धारण पूरा होने के बाद जनवरी 2021 में मामले को कर वसूली के लिए टीआरओ को रेफर कर दिया गया। संबंधित अधिकारी को भविष्य में और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

इस संबंध में टीआरओ द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा (सितंबर 2022) में प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेश की समाप्ति की तारीख और उसी आदेश के विस्तार की तारीख के बीच समय अंतराल की अनुमति देने का मतलब है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को निर्धारिती के विवेक पर निहित रूप से जारी किया गया है और निर्धारिती द्वारा उक्त को निपटाने का संभावित जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता। नतीजतन, ऐसे मामले उक्त समय अंतराल के दौरान असुरक्षित रह सकते हैं, जो वैधता अवधि के संबंध में धारा 281बी से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

5.1.3 न्यायालयों या निपटान आयोग के समक्ष लंबित मामलों के दौरान धारा 281बी के तहत जारी आदेश की वैधता

धारा 281बी(2) के प्रावधानों में एक दूसरा और तीसरा परंतुक (सितंबर 2014 तक) शामिल था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि को उस अवधि के दौरान समय सीमा की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा जब (क) अधिनियम की धारा 245 के तहत निपटान⁶¹ के लिए निर्धारिती का आवेदन आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष लंबित हो और (ख) निर्धारण / पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाही पर किसी भी अदालत के एक आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगा दी गई हो। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा 01/10/2014 से इन परंतुकों को हटा दिया गया था।

इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारण के बाद की अवधि का उल्लेख नहीं है जिसमें निर्धारिती ने निर्धारण आदेशों के प्रति अपील को प्राथमिकता दी है या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारण अधिकारी से मांग

⁶¹ यह धारा 245 सी के तहत निपटान के लिए निर्धारिती द्वारा आईटीएससी के समक्ष किए गए आवेदन की तिथि और अधिनियम की धारा 245 डी (1) के तहत उसके प्रति जारी आदेश की तिथि के बीच की अवधि है।

पर रोक प्राप्त की है और परिणामस्वरूप इन अवधियों के दौरान, निर्धारण अधिकारी की गई कर मांगों की वसूली को लागू करने में सक्षम नहीं होगा।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मामलों में संबंधित निर्धारितीओं ने अधिनियम की धारा 245सी के तहत निपटान के लिए आवेदन फाइल किया था जो आईटीएससी के समक्ष लंबित था और अन्य सात मामलों में क्षेत्राधिकार न्यायालय ने निर्धारण कार्यवाही के प्रति निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश दिया था जो लेखापरीक्षा⁶² की तिथि(ओं) तक लंबित था और धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता इस अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी (**परिशिष्ट 24**)। इन मामलों में आईटीएससी/अपील के परिणाम की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से प्रतीक्षित था। तीन निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

(क) निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा में किया गया था, 20/12/2017 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें अनुमानित कर देयता को इंगित किए बिना चल संपत्ति अर्थात् ₹ 15.67 करोड़ के मूल्य वाली बैंक में सावधि जमा जो दिसम्बर 2017 में परिपक्व होने वाला था, को कुर्क किया गया था। इस आदेश को बैंक प्राधिकरण को अधिसूचित नहीं किया गया था। उपरोक्त आदेश अवधि को जून 2018 में निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल, पणजी द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे भी बैंक प्राधिकरण को अधिसूचित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गोवा में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने तलाशी निर्धारण पर रोक लगा दी थी और बाद में, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारण को रद्द कर दिया, जिसके प्रति विभाग ने उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी को प्राथमिकता दी है जो लंबित है (जुलाई 2022)। न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण निर्धारण लंबित होने के दौरान, धारा 281बी के तहत विस्तारित अनंतिम कुर्की आदेश को दिसंबर 2018 में समाप्त होने दी गई थी। धारा 281बी के तहत आदेश के आगे विस्तार की स्थिति और

⁶² दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच।

अदालत द्वारा दी गई स्थगन अवधि के दौरान इसकी वैधता अवधि के संचालन के बारे में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल, पणजी ने कहा (जून 2021) कि धारा 148 के तहत नि. व. 2011-12 से 2013-14 के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी और इन कार्यवाहियों के आधार पर अनंतिम कुर्की की गई थी। गोवा में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई धारा 148 कार्यवाही को बाद में रद्द कर दिया गया है। इसके बाद, निर्धारिती ने उसी अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) फाइल की है, जो निर्णय के लिए लंबित है (जुलाई 2022)। हालांकि, उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट नहीं था। इसके अलावा, चूंकि अनंतिम कुर्की आदेश दिसंबर 2018 में समाप्त हो गया था और अभिलेख पर पाए गए आदेश के किसी आगामी विस्तार के बिना इस अवधि के दौरान राजस्व का हित असुरक्षित प्रतीत होता है।

(ख) ए47 समूह के संबंधित निर्धारितियों श्री वाई3, श्री आर20, श्रीमति के7, श्री सी10, श्री एस45 और श्रीमति एम15 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के अधीन केन्द्रीय सर्किल-1(1), अहमदाबाद में नि.व. 2007-08 से 2013-14 तक के लिए किया गया, धारा 281बी के तहत नवीनतम आदेश जून 2018 में जारी किए गए थे, जिसमें निर्धारितियों की अनुमानित कर देनदारियों का उल्लेख नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि निर्धारण कार्यवाही पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और धारा 281बी के तहत आदेश दिसंबर 2018 में समाप्त हो गए थे। इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेशों को वैध रखने में निर्धारण अधिकारी की ओर से चूक के साथ सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण पूरा करने की अनुमति दिए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाली कर मांगें असुरक्षित रहेंगी।

(ग) निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए श्री ए16 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि प्रभार के अधीन केन्द्रीय सर्किल, अर्णकुलम किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम रूप से कुर्क की गई (₹ 82 करोड़ मूल्य) की 34 अचल संपत्तियों में

से प्रत्येक के ऋणभार/प्रकृति का पता लगाया था। इनमें से 14 संपत्तियों को जागीर (₹ 17.53 करोड़ मूल्य) और शेष 20 संपत्तियों (मूल्य ₹ 64.47 करोड़) को बैंक ऋण के प्रति देनदार बनाया गया था। तत्काल मामले में, सक्षम निर्देशों की अनुपस्थिति के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कुर्की से पहले संपत्ति की देनदारी की स्थिति का पता लगाया। धारा 281बी के तहत आदेश 06/08/2018 को दो और विस्तारों के साथ जारी किया गया था जो 05/02/2020 तक वैध थे। तलाशी निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ था (फरवरी 2021), क्योंकि मामला आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी)⁶³ के पास लंबित है, लेकिन धारा 281बी के तहत आदेश आगे बढ़ाए बिना समाप्त हो गया।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए (जुलाई 2022) कहा कि "धारा 245डी के तहत निर्धारण लंबित है क्योंकि निर्धारिती का आवेदन माननीय आईटीएससी द्वारा स्वीकार किया गया है। धारा 281बी(2) के परंतुक के अनुसार, प्रत्येक अनंतिम कुर्की 6 महीने के बाद प्रभावी नहीं होगी और जिसे पीसीआईटी के अनुमोदन से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश की तिथि के दो वर्ष या 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। जब आदेश 04/02/2020 तक अस्तित्व में था, अधिनियम की धारा 153 ए के तहत निर्धारण कार्यवाही के लंबित होने के दौरान, निर्धारिती ने आईटीएससी के समक्ष धारा 245 सी के तहत आवेदन फाइल किया और निर्धारिती के 30/12/2019 के आवेदन को आईटीएससी के 13/01/2020 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। आईटीएससी को विशिष्ट शक्तियां देने वाली धारा 245डीडी, 245एफ और 245एच के प्रावधानों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही बंद होने पर ही निर्धारण अधिकारी को अधिकार क्षेत्र मिलता है। अन्यथा, निर्धारण अधिकारी एक कार्यात्मक अधिकारी नहीं रहता है। इसलिए, इस मामले में निर्धारण अधिकारी अनंतिम कुर्की को आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि निर्धारण अधिकारी के पास उस तिथि को निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया

⁶³ आईटीएससी का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 245 बी के तहत किया जाता है, ताकि धारा 245 सी के तहत एक आवेदन के माध्यम से निर्धारिती द्वारा दायर निर्धारण मामले का निपटान किया जा सके।

था जिस तिथि को अनंतिम कुर्की समाप्त हो गई थी अर्थात् 05/02/2020 क्योंकि निपटान आयोग ने 13/01/2020 को निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं हुई है और इसलिए आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

अधिनियम में सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण, अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि तत्काल मामले में फरवरी 2020 में समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, आईटीएससी से निर्णय के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों के निरंतर संरक्षण के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

दिनांक 01-10-2014 से परंतुकों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की वैधता आयकर निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने के दौरान या न्यायालयों द्वारा निर्धारण कार्यवाही पर दी गई निषेधाज्ञा/स्थगन की अवधि के दौरान व्यपगत हो गई, जिसके लिए राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम में वर्तमान में कोई सक्षम प्रावधान मौजूद नहीं है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान पर विचार किया जा सकता है कि अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि अपीलों के लंबित होने, आईटीएससी के फैसले या निर्धारण के प्रति अदालत के स्थगन / निषेधाज्ञा से प्रभावित न हो।

(ii) इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन 63 मामलों में निर्धारण पूरे हो गए थे, निर्धारितियों ने निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल की थी और धारा 281बी के अंतर्गत संबंधित आदेशों की वैधता अवधि अपील लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई थी (**परिशिष्ट 25** के अनुसार आयुक्तालय-वार विवरण)।

चूंकि अधिनियम के मौजूदा प्रावधान अनंतिम कुर्की की वैधता के मामले को संबोधित नहीं करते हैं यदि निर्धारिती निर्धारण के बाद की अवधि में निर्धारण आदेशों के प्रति अपील को वरीयता देते हैं या निर्धारिती एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारण अधिकारी से मांग पर रोक प्राप्त करते हैं। निर्धारण अधिकारी धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता समाप्त होने के कारण उठाई गई कर मांगों की वसूली सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होंगे।

5.1.4 धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करना और उस पर प्रारंभिक आदेश जारी करना

धारा 281बी के प्रावधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं जिसके भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जाने हैं, जहां निर्धारण अधिकारी का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक है। संयोग से, अधिनियम की धारा 132 (9ए) जब्त की गई सामग्री (जैसे, लेखा पुस्तकें और / या अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण, आदि) को निर्धारण अधिकारी को सौंपने के लिए तलाशी कार्यवाही⁶⁴ की अंतिम तिथि से साठ दिनों की समय सीमा निर्धारित करती है, जिसके पास तलाशी लिए गए व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग के अभिलेखों से 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 237 मामलों के संबंध में तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए गए समय के संबंध में जानकारी एकत्र की गई। शेष 113 मामलों में, तलाशी की तिथि और/या धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) तलाशी की तिथि से धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि तक का समय अंतराल 208 दिनों और 1220 दिनों के बीच था (आयुक्तालय-वार विवरण **परिशिष्ट 26** द्वारा)। लेखापरीक्षा तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने की तिथि तक ऐसे समय अंतराल में भारी समय अंतराल और भिन्नता के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

(ii) लेखापरीक्षा में यह भी कहा गया है कि 275 मामलों⁶⁵ में से 67 (24.4 प्रतिशत) मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण की तिथि से 0 से 15 दिनों के पहले जारी किए गए थे, जबकि अन्य 52 मामलों (18.9 प्रतिशत) में, अनंतिम कुर्की के लिए प्रारंभिक आदेश निर्धारण की तिथि से 16 से 60 दिनों के पहले जारी किए गए थे। इस प्रकार, निर्धारित समय सीमा के अभाव में, निर्धारण

⁶⁴ धारा 132 (1) के प्रावधानों के अनुसार जांच अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य।

⁶⁵ 291 निर्धारण मामलों में से 16 मामलों में लेखापरीक्षा के पास धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि के बारे में जानकारी नहीं थी।

अधिकारी ने निर्धारण की तिथि से दो महीने पहले धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किए, हालांकि संबंधित तलाशी बहुत पहले की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तलाशी मामलों में, निर्धारण को अंतिम रूप देने से कुछ समय पहले विचार के बाद अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए होंगे।

(iii) तीन⁶⁶ मामलों में निर्धारितियों ने संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क किए जाने से पहले ही अपनी कुछ संपत्तियों का निपटान कर दिया था, जिससे पता चला कि निर्धारण अधिकारी द्वारा देरी से कार्रवाई ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने को निरर्थक बना दिया।

एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है।

श्री टी1 के केंद्रीय सर्किल-1(3), बंगलुरु में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2019-20 के लिए प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बंगलुरु प्रभार के तहत किए गए तलाशी निर्धारण मामले में, निर्धारण अधिकारी ने 15/07/2019 को धारा 281बी के तहत छह अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2020) अनंतिम कुर्की के अभिलेख से देखा कि एक पारिवारिक करार विलेख 12/07/2019 को निष्पादित किया गया था, अर्थात् धारा 281बी के तहत जारी आदेश की तिथि से तीन दिन पहले, जिसके माध्यम से निर्धारितियों ने अनंतिम रूप से कुर्क की गई दो अचल संपत्तियों (जुलाई 2019) के संबंध में अपना अधिकार और हित जारी किया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि हालांकि यह जानकारी निर्धारण अधिकारी को प्रारंभिक आदेश की वैधता के दौरान अगस्त 2019 में सब-रजिस्ट्रार ऑफिसर (एसआरओ) से मिली थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और क्रमशः जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में चार बार समान संपत्तियों की अनंतिम कुर्की बढ़ा दी। इससे धारा 281बी के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जिससे राजस्व का हित असुरक्षित रह गया।

⁶⁶ श्री टी.1- केन्द्रीय सर्कल -1(3), बंगलुरु, जी1 - केन्द्रीय सर्कल - 1(3), चेन्नई और मैसर्स आर25 लिमिटेड - केन्द्रीय सर्कल -1(4), अहमदाबाद।

लेखापरीक्षा में आगे देखा कि निर्धारण जुलाई 2021 में पूरा हो गया था, जिसमें ₹ 91.83 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी, जिसके प्रति निर्धारिती ने 30/04/2022 को अपील को प्राथमिकता दी, जो लंबित थी (जुलाई 2022)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल - 1(3), बेंगलुरु ने उत्तर दिया (जनवरी 2020 और जुलाई 2021), कि "संपत्तियों की सूची और उनके निर्धारण को कुर्की प्रस्तावों में लगाया गया है, कुर्की का इरादा निर्धारिती की मौजूदा संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार बनाना है। निर्धारिती रियल एस्टेट के व्यवसाय में है और उसने अपनी कुछ संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखा और बेचा है, जो पंजीकरण और लेनदेन के विभिन्न चरणों में हैं, तदनुसार, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए तत्काल आधार पर ज्ञात संपत्तियों पर प्राथमिक या दूसरा ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास किया गया है।" यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह पहले से अलग-थलग संपत्तियों की कुर्की के मामले के साथ-साथ इस कारण से भी विशिष्ट नहीं है कि इस तरह की कुर्की कानूनी रूप से वैध नहीं होगी, जिससे अनंतिम कुर्की का इच्छित उद्देश्य विफल हो जाएगा।

लेखापरीक्षा की राय है कि जांच विंग से जब्त सामग्री (जैसे, लेखा पुस्तकें और/या अन्य दस्तावेज, धन, सर्राफा, आभूषण, आदि) प्राप्त करने के बाद निर्धारण अधिकारी के लिए राय बनाने और धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने के लिए एक उचित समय सीमा तय करना आवश्यक है। एक तरफ यह राजस्व के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ, ऐसी समय सीमा नहीं होने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम आ जाता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है।

इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेशों में निरंतरता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण, राजस्व का हित अंतरिम अवधि(ओं) के लिए असुरक्षित रहा, जब अनंतिम कुर्की आदेश समाप्त हो गया था या लागू नहीं था। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के प्रावधानों के अभाव में धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने में देरी का अंतर्निहित जोखिम होता है, जिससे निर्धारिती(यों) को अपनी संपत्तियों का निपटान करने का अनुचित अवसर मिलता है ताकि भविष्य की

कर मांगों की वसूली प्रक्रिया को रोका जा सके और इसके परिणामस्वरूप चिरस्थायी परिणाम भी होते हैं, लेकिन निर्धारिती पर अनिश्चितकालीन जोखिम आ जाता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

सिफारिश संख्या 8:

सीबीडीटी कर सकता है:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन को लागू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक कर निर्धारण पर कर मांग पूरी तरह से वसूल नहीं हो जाती, तब तक मामले निरंतर संरक्षित रहें।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बाध्य हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

(ii) निपटान आयोग / न्यायालय के स्थगन अथवा निर्धारण के विरुद्ध निषेधाज्ञा या निर्धारण के विरुद्ध अपील के मामले में लंबित मामलों की अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि को बाहर रखने के उपाय शुरू करने पर विचार करें।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कहा कि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक पूर्वव्यापी उपाय है। चूंकि, यह उपाय करदाताओं के लिए कठोर है, इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता केवल 6 महीने है (अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)। इसलिए, अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता से सुझाव में उल्लिखित अवधियों को बाहर रखने से निर्धारितियों को गंभीर शिकायतें होंगी क्योंकि कर मांग

जिसके प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। इसलिए, यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना है जैसा कि बोर्ड के अनुदेश संख्या 1884/1991 दिनांक 07/06/1991 में कहा गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त प्रावधान अक्टूबर 2014 से पहले से ही लागू थे। करदाताओं के लिए कठोर हुए बिना राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को विवेकपूर्ण ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(iii) एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करें जिसके अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जाएं, विशेषकर तलाशी से संबंधित मामलों में।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कुछ मामलों में कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की का सहारा लेने का इरादा है। इसे कर वसूली की सामान्य विधि के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की आवश्यकता है या नहीं, इसका पता अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जाना है। चूंकि, जिस मांग के प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया जाना है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, इसलिए इस तरह की कुर्की के लिए समय सीमा निर्धारित करना निर्धारितियों के लिए हानिकारक होगा और इसके परिणामस्वरूप शिकायतें होंगी।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने में समय पर कार्रवाई, विशेष रूप से तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारिती को संपत्ति के निपटान का प्रयास करके मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने से रोकने और राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए थे कि तलाशी की तिथि और प्रारंभिक अनंतिम कुर्की आदेश की तिथि के बीच काफी अंतर होने के कारण, संबंधित निर्धारिती अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि 43.3 प्रतिशत मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण पूरा होने से दो महीने पहले जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा संपत्ति का

निपटान करने और कर वसूली प्रक्रिया को रोकने का जोखिम व्याप्त था। इसके अलावा, समय सीमा निर्धारित नहीं करने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम रहता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है। इसलिए, सीबीडीटी अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार राजस्व के हितों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विवेकपूर्ण रूप से एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

5.2 अनंतिम कुर्की पर विशिष्ट टिप्पणी शामिल करने के लिए संवीक्षा निर्धारण की समीक्षा

बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ सितम्बर, 2004⁶⁷ के अनुदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि संवीक्षा निर्धारणों की समीक्षा करते समय, निर्धारित प्राधिकारी⁶⁸ धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के पहलू पर एक विशिष्ट टिप्पणी करेगा। इसके बाद, बोर्ड ने नवम्बर, 2008⁶⁹ के अनुदेशों के तहत निर्धारण क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के निर्धारण कार्य की समीक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। तदनुसार, बोर्ड ने अपने पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किए जा रहे निर्धारण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने और प्रत्येक तिमाही के लिए प्रति निर्धारण अधिकारी कम से कम तीन मामलों के चयन पर विशिष्ट अवलोकन करने के लिए प्र.एसआईटी को समीक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 291 मामलों में संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था। लेखापरीक्षा ने संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) द्वारा समीक्षा किए गए निर्धारण मामलों से संबंधित जानकारी और धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के पहलू पर की गई टिप्पणियों से संबंधित जानकारी मांगी। विभाग ने केवल 177 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किए हैं। आयुक्तालय-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 09 में दिया गया है:

⁶⁷ 2004 की बोर्ड की अनुदेश सं.8 दिनांक 02 सितम्बर, 2004।

⁶⁸ प्रधान मुख्य आयुक्त (प्र सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्र सीआईटी), प्रधान महानिदेशक (प्र डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्र डीआईटी)।

⁶⁹ अनुदेश सं.15/2008 दिनांक 04 नवम्बर, 2008।

तालिका संख्या 09: प्र.सीआईटी द्वारा किए गए निर्धारण की समीक्षा का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी की संख्या)	कुल मामले जिनमें संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था	की संख्या जिनमें निर्धारण अधिकारी ने विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर दिया	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) द्वारा समीक्षा के अधीन मामलों की संख्या (कॉलम 3 के मामलों में से)	उन मामलों की संख्या जिनमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) ने 281 बी प्रक्रिया पर टिप्पणी की (कॉलम 4 के मामलों में से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (03)	07	07	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)	30	30	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)	27	27	02	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)	24	24	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	07	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	06	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	09	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	01	01	01
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	31	09	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	25	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (02)	05	02	01	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	27	22	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)	25	25	02	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम (01)	05	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (05)	25	19	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	03	03	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	08	08	0	0
कुल	291	177	06	01

1. जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, संबंधित प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) द्वारा चार केंद्रीय आयुक्तालयों से संबंधित केवल छह मामलों की समीक्षा की गई थी। इन छह मामलों में से पांच में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि निर्धारित प्राधिकारी ने उस पर अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। शेष एक मामले में, जिसमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय-4) मुंबई ने धारा 281 बी के तहत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया पर टिप्पणी की थी, हालांकि, बार-बार अनुरोध (जुलाई 2022) के बावजूद लेखापरीक्षा को टिप्पणियां उपलब्ध नहीं कराई गईं।

शेष 114 मामलों में, जहां विभाग ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि बोर्ड के अनुदेशों के अनुपालन में संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) द्वारा अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की समीक्षा की गई थी या नहीं।

इस प्रकार, जांच निर्धारण की समीक्षा के दौरान अनंतिम कुर्की के पहलुओं पर टिप्पणी करने के मामले पर सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश काफी हद तक अधूरे रहे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

सिफारिश सं. 9:

सीबीडीटी इस संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।

5.3 जांच विंग की मूल्यांकन प्रतिवेदन में खामियां

सीबीडीटी ने सितम्बर, 2004 के अनुदेशों⁷⁰ के तहत कहा है कि तलाशी और जब्ती के मामलों में समूह निर्धारण के तहत भारी मांग की जाती है और इसकी वसूली कठिन और समय लेने वाली होती है। सीबीडीटी ने आगे कहा कि केंद्रीय प्रभारों में निर्धारण अधिकारियों के लिए धारा 281 बी के प्रावधानों को लागू करने की संभावना तलाशना बेहद महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करते समय, डीडीआईटी (जाँच)/एडीआईटी (जाँच) को इस धारा के तहत संलग्न किए जा सकने वाले निर्धारितियों की संपत्ति की पहचान करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और मूल्यांकन प्रतिवेदन में ही इसका विशिष्ट उल्लेख करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 133 मामलों (350 लेखापरीक्षित मामलों में से) जिनमें निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों का निष्कर्ष उपलब्ध कराया, जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची केवल नौ मामलों में साझा की गई थी (इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1 (ii))

⁷⁰ सीबीडीटी अनुदेश सं.8 दिनांक 02/09/2004

को देखें)। लेखापरीक्षा शेष मामलों में जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची की पूर्णता की पुष्टि नहीं कर सकी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक मामले में मूल्यांकन प्रतिवेदन में निहित सूचना के आधार पर फ्लैट की अनंतिम कुर्की की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति कुर्क की गई जो कुर्की के समय निर्धारिती की नहीं थी। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

श्री वी18 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-1(3), अहमदाबाद में किया गया था, के लिए निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत दो अचल संपत्तियों अर्थात् गांधी नगर के एक अपार्टमेंट में (मूल्य नहीं दर्शाया गया) फ्लैट संख्या 303 और 304 को जब्त करने का आदेश जारी किया था (22/02/2018)। इसके बाद, निर्धारिती ने सूचित किया (मार्च 2018) कि वह कभी भी फ्लैट संख्या 304 का मालिक नहीं रहा था और दूसरा फ्लैट (संख्या 303) तलाशी की तिथि (06/02/2017) से बहुत पहले ही बेच दिया गया था (अप्रैल 2015)। निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (07/05/2018) कि उप-रजिस्ट्रार, गांधीनगर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, फ्लैट संख्या 304 वास्तव में निर्धारिती का था और उक्त संपत्ति को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारिती द्वारा गिरवी भी रखा गया था।

निर्धारण अधिकारी ने आगे बताया कि दूसरा फ्लैट वास्तव में अप्रैल 2015 में निर्धारिती द्वारा एक अलग क्षेत्राधिकार के तहत निर्धारण किए गए तीसरे पक्ष को बेच दिया गया था। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत फ्लैट संख्या 303 की कुर्की को रद्द करके और फ्लैट संख्या 304 की कुर्की जारी रखने के लिए आदेश में संशोधन का प्रस्ताव दिया। प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद ने रेंज-प्रमुख से कारण मांगे (25/05/2018) कि फ्लैट संख्या 303 को कुर्क करने की सिफारिश क्यों की गई थी और उसी दिन फ्लैट संख्या 303 की अनंतिम कुर्की को रद्द करने और फ्लैट संख्या 304 की अनंतिम कुर्की जारी रखने के लिए मंजूरी भी दी गई थी। निर्धारण अधिकारी ने रेंज-प्रमुख के माध्यम से एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत की (12/06/2018), जिसमें कहा गया था कि संबंधित समूह मामलों की मूल्यांकन

प्रतिवेदन में निहित जानकारी के अनुसार फ्लैट संख्या 303 को निर्धारिती से संबंधित बताया गया था और इस तथ्य को बंधक विलेख की प्रति से भी प्रमाणित किया गया था जिसे निर्धारिती ने एक बैंकिंग संस्थान के साथ दर्ज किया था (28/08/2014) और अभिलेख पर इन सामग्री के आधार पर, उक्त संपत्ति के लिए धारा 281बी के तहत आदेश जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि चूंकि बंधक विलेख और धारा 281बी के तहत आदेश के बीच लगभग चार वर्ष का अंतर था, इसलिए निर्धारण अधिकारी उस संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति को सत्यापित कर सकता था, जिसे कुर्क करने पर विचार किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, फ्लैट संख्या 304 की अनंतिम कुर्की को जारी रखने के लिए 25/05/2018 को धारा 281बी के तहत एक नया आदेश जारी किया गया था। हालांकि, वैधता अवधि पहले के आदेश की तिथि अर्थात् 22/02/2018 से छह महीने बताई गई थी। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत एक अन्य अचल संपत्ति (12/01/2019 तक वैध) को कुर्क करने के लिए एक और आदेश (13/07/2018) जारी किया, जिसे संबंधित उप-रजिस्ट्रार से पूर्व-सत्यापित किया गया था और निर्धारिती के कब्जे में पाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि तलाशी निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 341.51 करोड़ की संचयी कर मांग उठाई गई थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह बताया गया था कि मामले को बाद में फिर से खोल दिया गया था और 10/02/2022 को धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण आदेश पारित किया गया था और मांग को संशोधित करके ₹ 397.5 करोड़ कर दिया गया था जो जुलाई 2022 तक बकाया था। इसके प्रति निर्धारिती की अपील लंबित है (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

5.4 अनंतिम कुर्की की वैधता के दौरान कार्रवाई

धारा 281बी के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश को संबंधित प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है, जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी और सीईआरएसएआई शामिल होते हैं ताकि राजस्व के हितों को सुरक्षित किया जा सके और निर्धारितियों को कुर्क की गई संपत्ति का निपटान करने का प्रयास करने से

रोका जा सके और यह पुष्टि भी की जा सके कि संपत्ति का मालिकाना हक निर्धारिती के नाम पर है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने उप रजिस्ट्रार को धारा 281बी के तहत आदेश अधिसूचित किए जाने के बाद भी संपत्ति का निपटान किया था। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

श्री ए5 के नि.व. 2015-16 से 2017-18 के लिए तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण केंद्रीय सर्किल-1(2), चेन्नई में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत किया गया, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 281बी के तहत ₹ 19.50 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति 11 अचल संपत्तियों (कृषि भूमि, फ्लैट आदि) जिनका कुल मूल्य ₹ 2.68 करोड़ था, को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। धारा 281बी के तहत आदेश को उसी तिथि को विलनूर (पुडुचेरी), सलेम पश्चिम (सलेम), कोडमबक्कम (चेन्नई), चेंगलपट्टूर, गुंटूर और कांचीपुरम क्षेत्राधिकारों के उप-रजिस्ट्रार अधिकारियों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें अनंतिम कुर्की के तथ्य पर ध्यान देने और संबंधित रजिस्टर में आयकर विभाग पर ऋणभार बनाने के लिए प्रविष्टि करने का अनुरोध किया गया था। स्वतंत्र सत्यापन⁷¹ पर लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2021) कि आठ दिन बाद निर्धारिती ने एक संपत्ति (सलेम जिला) बेच दी और निर्धारण अधिकारी को कुर्क संपत्ति की बिक्री के बारे में बताया नहीं गया था। इसके बाद, इन तथ्यों की पुष्टि किए बिना, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत आदेश का विस्तार जारी किया (मई 2018), जिससे कुर्की निरर्थक हो गई क्योंकि कुर्क की गई संपत्ति अब निर्धारिती के कब्जे में नहीं थी। इस प्रकार, विस्तार के माध्यम से इसे कुर्क करने की निरंतरता ने निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मामले को इस हद तक असुरक्षित बना दिया।

मंत्रालय ने मामले को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि "ग्यारह संपत्तियों में से, निर्धारिती ने 281बी कुर्की आदेश संबंधित उप रजिस्ट्रार को भेजे जाने से पहले ही सलेम की संपत्ति को अपनी पत्नी श्रीमति ए49 को हस्तांतरित कर दिया था। निर्धारिती द्वारा इसकी सूचना

⁷¹ तमिलनाडु सरकार के पंजीकरण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से, "tnreginet"।

निर्धारण अधिकारी को नहीं दी गई थी। इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत ग्यारह संपत्तियों पर कुर्की का नवीकरण किया गया था। हालांकि, टीआरओ, सलेम द्वारा 19/04/2018 को श्रीमति ए49 के बकाया के प्रति सलेम की संपत्ति कुर्क की गई थी। अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153सी के तहत 28/12/2018 को नियमित निर्धारण आदेश पूर्ण किया गया था, जिसमें निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के संबंध में क्रमशः ₹ 14.88 करोड़, ₹ 36.24 करोड़ और ₹ 7.87 करोड़ की मांग की गई थी। इसके बाद, आईटीए संख्या 392, 393 और 394/18-19 में दिनांक 30/09/2019 के सीआईटी (ए) के पहले अपीलीय आदेश को प्रभावी कर दिया गया था और निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निवल देय मांग को घटाकर शून्य कर दिया गया। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए बकाया मांग केवल ₹ 2.48 लाख थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने सेलम जिले में स्थित संपत्ति को 13/12/2017 को अर्थात् धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (05/12/2017) जारी होने की तिथि से आठ दिनों की अवधि के भीतर बेच दिया था, न कि संबंधित उप रजिस्ट्रार को 281बी कुर्की आदेश भेजे जाने से पहले। इसके अलावा, चूंकि उप-रजिस्ट्रार उक्त संपत्ति का निपटान करने से निर्धारिती को रोकने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे, लेखापरीक्षा इस मामले में संबंधित एसआरओ के प्रति आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सका।

सिफारिश सं.10:

सीबीडीटी, दंडात्मक दृष्टिकोण से जांच करने, कुर्की आदेश जारी होने के बाद स्वामित्व में बदलाव, पंजीकरण अधिकारियों की किसी भी भूमिका सहित इसके परिणामों से बचने के लिए, पर विचार कर सकता है।

5.5 कुर्क की गई संपत्ति का अनियमित निरसन

धारा 281बी(3) के अनुसार, जहां निर्धारिती उप-धारा (1) के तहत एक अनुसूचित बैंक से गारंटी प्रस्तुत करता है जिनका मूल्य अनंतिम कुर्क संपत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम ना हो वहाँ निर्धारण अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा ऐसी कुर्की को रद्द कर देगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना धारा 281बी के तहत आदेश को रद्द कर दिया और काफी कम मूल्य की एक और संपत्ति अनंतिम कुर्क किया जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

मैसर्स आर25 लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण नि.व. 2013-14 से 2019-20 के लिए केन्द्रीय सर्कल-1(4), अहमदाबाद में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के तहत किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत अचल संपत्तियों (57,596 वर्ग मीटर) जिसका अनुमानित मूल्य ₹ 18.95 करोड़⁷² था, को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया (05/12/2019)। इसके बाद निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी को सूचित किया (दिसंबर 2019) कि कुर्क की गई संपत्ति का 35,398 वर्ग मीटर (61 प्रतिशत) नवंबर 2019 में ही बेच दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद को सूचित किया (10/12/2019) कि उक्त संपत्ति पहले से ही अधिनियम की धारा 132(9बी) के तहत अनंतिम कुर्की के अधीन थी, जिसके दौरान निर्धारिती ने अधिनियम⁷³ की धारा 281 के तहत आवश्यक संपत्ति का निपटान करने से पहले निर्धारण अधिकारी से अनुमति लिए बिना संपत्ति का हिस्सा बेच दिया था और निर्धारण अधिकारी ने बिक्री को अमान्य माना था। हालांकि, बिक्री लेनदेन को रद्द करने के लिए निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने उस संपत्ति की कुर्की को पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की, जो अभी भी आंशिक रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी सिफारिश के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया था।

⁷² 57,596 वर्ग मीटर की संपूर्ण भूमि का मूल्य 35,398 वर्ग मीटर भूमि की बिक्री पर प्राप्त ₹3,291.14 प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित किया गया है।

⁷³ धारा 281(1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, निर्धारिती निर्धारण अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी संपत्ति का प्रभार नहीं बनाएगा या अन्यथा निपटान नहीं करेगा, ऐसा नहीं करने पर उक्त लेनदेन शून्य हो जाएगा।

हालांकि, अतिरिक्त सीआईटी (केन्द्रीय), रेंज -1, अहमदाबाद ने धारा 281बी के तहत संपत्ति के शेष हिस्से (22,198 वर्ग मीटर) के लिए आदेश जारी रखने की सिफारिश की (10/12/2019), जो अभी भी निर्धारिती के स्वामित्व में था, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद ने धारा 281बी के तहत आदेश को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (13/12/2019) और निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13/12/2019 के एक निरसन आदेश द्वारा कुर्क संपत्ति के संपूर्ण क्षेत्र को मुक्त कर दिया था। उसी दिन, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत ₹1.47 करोड़ की एक अन्य संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक नया आदेश जारी किया, जो अनुमानित कर देयता (₹ 8.16 करोड़)⁷⁴ को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो तलाशी के दौरान पाई गई ₹ 27.20 करोड़ की बेहिसाबी आय/नकदी के निर्धारण पर अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन धारा 281बी के तहत आदेश बिना किसी विस्तार के पहले ही समाप्त हो चुका था (जून 2020)।

इस प्रकार, संपत्ति के बिक्री लेनदेन को शून्य करने और उच्च मूल्य (₹ 11.65 करोड़) की संपत्ति को रद्द करने और कम मूल्य (₹ 1.47 करोड़) की संपत्ति जिसका वैधता निर्धारण पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो गया था, की कुर्की को लागू करने में उचित सावधानी बरतने की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व के हितों का संरक्षण कम/ संरक्षण नहीं हुआ। मंत्रालय/सीबीडीटी से उत्तर और निर्धारण कार्यवाही की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

5.6 अनंतिम कुर्की के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता वाले मामलें

'आयकर विभाग द्वारा धारा 281बी के तहत निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की' विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमें अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की निगरानी से संबंधित कुछ मामलों का पता चला, जिन पर आयकर विभाग ध्यान केंद्रित कर सकता है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों

⁷⁴ ₹ 27.20 करोड़ की बेहिसाबी आय पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर (अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) पर गणना की गई।

को प्राप्त करने के लिए प्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। इन मामलों को संक्षेप में नीचे इंगित किया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:


- (i) लेखापरीक्षित अधिकांश मामलों में, अनंतिम कुर्की आदेशों या आदेश टिप्पणियों में आवश्यक जानकारी जैसे वैधता अवधि, अनुमानित कर देयता, कुर्क संपत्ति का मूल्य आदि का अभाव था और इसी तरह, अधिकांश मामलों में, अधिसूचित प्राधिकारियों को विशिष्ट निर्देशों की कमी थी जो निर्धारिती के साथ-साथ अधिसूचित प्राधिकारियों को आदेशों का पालन करने की सुविधा प्रदान करेगा;
- (ii) कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत जारी आदेशों में एकरूपता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी प्रक्रिया की अप्रभावी निगरानी होगी;
- (iii) लेखापरीक्षित मामलों में से 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में, अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी की दर्ज राय, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थी;
- (iv) उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित निर्धारिती के कब्जे में उपलब्ध सभी संपत्तियों के विवरण का पता लगाने/दर्ज करने के विषय में निर्धारण अधिकारी द्वारा सीबीडीटी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पर्याप्तता के संबंध में संपत्ति का अपर्याप्त चयन हुआ;
- (v) कुछ मामलों में, अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों के चयन में कमियां थीं;
- (vi) लेखापरीक्षित लगभग 85 प्रतिशत मामले, धारा 281बी के वैधता प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे, अर्थात्, आदेश या तो निर्धारण कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या संबंधित संवीक्षा निर्धारण के पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गए थे।

(पैरा 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 4.1 से 4.4 और 5.1)

इसलिए, धारा 281बी के तहत आदेश, जिसमें सभी अपेक्षित जानकारी और आदेशों में एकरूपता शामिल है, न केवल अनंतिम कुर्की की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त निगरानी में भी सुविधा प्रदान करेगा और स्थिरता के साथ-साथ पारदर्शिता भी लाएगा।


इसके अलावा, सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना है कि राय बनाने के लिए बताए गए कारण उचित, विशिष्ट और विधिवत हों ताकि निर्धारिती को अनावश्यक मुकदमेबाजी/उत्पीड़न से बचाया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम/अनुदेशों में निर्धारित धारा 281बी के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इसके निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 फरवरी 2023


(मोनिका वर्मा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 मार्च 2023


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(अध्याय – 1 का संदर्भ लें)

अधिनियम/नियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सार

धारा/ नियम	विषय-वस्तु/सार
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी	
उप-धारा(1)	जहां किसी आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या निर्धारण से बच गई किसी आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कर निर्धारण अधिकारी की राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक, के पूर्व अनुमोदन से, लिखित रूप में आदेश द्वारा, दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए तरीके से निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकता है।
उप-धारा(2)	इस प्रकार की अनंतिम कुर्की की अवधि के लिए <u>छह महीने</u> की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसे निर्धारण के समापन के बाद अधिकतम दो साल या साठ दिनों ⁷⁵ , जो भी बाद में हो, की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उप-धारा(3) ⁷⁶	यदि निर्धारिती बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है जिसका मूल्य संपत्ति के एफएमवी से कम न हो, तो निर्धारण अधिकारी (नि.व.) द्वारा लिखित रूप में अनंतिम कुर्की रद्द की जा सकती है।
उप-धारा(4)	निर्धारण अधिकारी अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति को एफएमवी निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है, जो संदर्भ प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
उप-धारा(5)	जिन मामलों में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया जाता है, उनमें बैंक गारंटी प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर निरसन आदेश पारित किया जाना चाहिए और अन्य मामलों में 15 दिनों के भीतर।
उप-धारा(6)	बैंक गारंटी को पूरे या आंशिक कर की मांग की वसूली के लिए लागू किया जा सकता है, यदि निर्धारिती मांग नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर इसका भुगतान करने में विफल रहता है।
उप-धारा(7)	बैंक गारंटी उन मामलों में लागू की जाएगी जहां निर्धारिती मौजूदा बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने में विफल रहता है या इसकी समाप्ति से 15 दिनों के भीतर नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
उप-धारा(8)	बैंक गारंटी को लागू करके वसूली गई राशि को निर्धारिती द्वारा देय मौजूदा मांग के साथ समायोजित किया जाएगा और शेष राशि प्र. सीआईटी के पीडी खाते में जमा की जाएगी।
उप-धारा(9)	बैंक गारंटी जारी की जा सकती है, जहां निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

⁷⁵ वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा सम्मिलित, दिनांक 01/10/2014 से लागू।

⁷⁶ वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 281बी की उप-धारा (3) से (9) सम्मिलित किए गए, दिनांक 01.06.2016 से लागू।

धारा/ नियम	विषय-वस्तु/सार
आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची (लागू नियम)	
नियम 1 (डी)	परिभाषाएँ: "चल संपत्ति" में फसलों की खेती शामिल हैं।
नियम 10	कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति
नियम 12	संतुष्टि पर कुर्की को हटाना (अर्थात्, लागत के साथ देय राशि का भुगतान और कुर्की के परिणामस्वरूप सभी प्रभार और व्यय)।
नियम 25	कुर्की के अंतर्गत कृषि उपज से संबंधित प्रावधान
नियम 26	ऋण और शेरों आदि की कुर्की।
नियम 27	डिक्री की कुर्की
नियम 28	चल संपत्ति में हिस्सा
नियम 30	परक्राम्य यंत्र की कुर्की
नियम 31	न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की
नियम 32	साझेदारी संपत्ति की कुर्की।
नियम 48	अचल संपत्ति की कुर्की
अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान	
धारा 132 (1) / (4) / (9बी)	आयकर विभाग की जांच शाखा के अधिकृत अधिकारी को आय छिपाने की संभावना के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारितियों के एक विशेष समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाने, निर्धारिती के बयान दर्ज करने और छह महीने तक की अवधि के लिए निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने का अधिकार देता है।
धारा 245 सी	निर्धारिती को लंबित निर्धारण मामलों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति देता है।
धारा 153ए/153 सी के साथ पठित धारा 143(3)	तलाशी और जब्ती मामलों में संवीक्षा निर्धारण।

परिशिष्ट 2

(अध्याय 1 का संदर्भ लें)

अनंतिम कुर्की से संबंधित मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों का सार

क्र. सं.	परिपत्र/ अनुदेश	विषय-वस्तु
1	परिपत्र सं. 175 दिनांक 14/08/1975	कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत नई धारा 281बी सम्मिलित की गई।
2	परिपत्र सं. 179 दिनांक 30/09/1975	आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 281बी (संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 74 के अनुसार) से संबंधित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जो दिनांक 01/10/1975 से लागू हुई।
3	अनुदेश सं. 1884 दिनांक 07/06/1991	बोर्ड चाहता है कि निर्धारण अधिकारियों को हमेशा उपरोक्त धारा के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए और सभी उपयुक्त मामलों में अनंतिम कुर्की करनी चाहिए।
4	अनुदेश सं. 8 दिनांक 02/09/2004	उच्च मांग वाले मामलों में मांग की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम: (क) मौद्रिक सीमाएं (महानगर और गैर-महानगर); (ख) धारा 222/226 के अंतर्गत अनंतिम कुर्की को नियमित कुर्की में परिवर्तित करना; (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा नोट की जाने वाली परिसंपत्तियों का विवरण (और तलाशी और जब्ती के मामलों में जांच विंग अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्टों में भी); (घ) संवीक्षा मामलों की आवधिक समीक्षा में प्र.सीआईटी द्वारा अनंतिम कुर्की पर टिप्पणी करना।
5	अनुदेश एफ. सं. 404/22/2004- आईटीसीसी, दिनांक 5/11/2004.	02/09/2004 की अनुदेश संख्या 8 का स्पष्टीकरण - धारा 281बी के प्रावधानों का संदर्भ केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जहां परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता के कारण वसूली मुश्किल होने की संभावना है। अन्य मामलों में, असाधारण परिस्थितियों में भी ऐसा ही करना चाहिए।
6	परिपत्र सं. 01 दिनांक 21/01/2015.	वित्त अधिनियम, 2014 के प्रावधानों की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - धारा 281बी(2) के अंतर्गत परंतुक में संशोधन - अनंतिम कुर्की की अवधि को निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख के बाद अधिकतम दो वर्ष या साठ दिनों, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाया जाना।
7	परिपत्र सं. 03 दिनांक 20/01/2017.	01/06/2016 से वित्त अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - धारा 281बी के अंतर्गत उप-धारा (3) से (9) को सम्मिलित करना - (क) अनंतिम कुर्की को रद्द करने के बदले बैंक गारंटी का प्रावधान, कुर्क संपत्ति का उचित बाजार मूल्य

क्र. सं. परिपत्र/ अनुदेश	विषय-वस्तु
	निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ, कर मांग के भुगतान में चूक के मामलों में बीजी लागू करना, बीजी का नवीनीकरण न करना या नए सिरे से जमा न करना और बीजी जारी करना; (ख) धारा 281बी(1) के अंतर्गत केवल धारा 132(5) के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के लिए धारा 281बी की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण नहीं देना ।
<p>8 प्र. सीसीआईटी को आयकर निदेशालय (वसूली एवं टीडीएस) से पत्र दिनांक 06/09/2017</p>	<p>सरफेसी अधिनियम, 2002 में परिवर्तन (अगस्त 2016 में संशोधित) - भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ उनके द्वारा जारी किसी भी संपत्ति का कोई आदेश या कुर्की (सरफेसी अधिनियम की धारा 26 बी (4) के अंतर्गत) दर्ज करना अनिवार्य है।</p>

परिशिष्ट 3

(अध्याय 1 का संदर्भ लें)

अनंतिम कुर्की से संबंधित मामलों के कानून/न्यायिक निर्णय का सार

क्र. सं.	निर्णय विधि की सं.	प्राधिकार	न्यायिक निर्णय का सार
1	डुओ मीडोज (पी) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी	कर्नाटक उच्च न्यायालय	अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश निर्धारण के आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं हुआ है (कानून के विपरीत)।
2	शिवानन्द मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसीआईटी कंपनी सर्कल-4(2), कॉयम्बटूर	मद्रास उच्च न्यायालय (10/03/2020)	आदेश में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त आदेश केवल छह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। जब ऐसी स्थिति है, तो इस न्यायालय की राय है कि इस रिट याचिका में निर्णय के लिए अभी के लिए कुछ भी शेष नहीं है।
3	सारथी मजुमदार बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य	कलकत्ता उच्च न्यायालय (27/04/2015)	याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी के पास याचिकाकर्ता की आय का निर्धारण पूरा करने पर मांग उठाने के साथ-साथ अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने का उचित अधिकार था। वास्तव में, संबंधित अधिकारी की सराहना की जानी चाहिए कि उसने मांग पूरी की जाने तक राजस्व के हितों की रक्षा के लिए सही कदम उठाया। हालांकि, इस आदेश के बावजूद, यह याचिका दायर करने वाले निर्धारित के ऊपर होगा कि वह बैंक को मांगे गए भुगतान को शामिल करने वाले चेक का भुगतान करने की अनुमति देने के सीमित उद्देश्य के लिए संबंधित आयकर अधिकारी से संपर्क करे।
4	वोडाफोन आईडिया लिमिटेड बनाम डीसीआईटी, सीपीसी	बॉम्बे उच्च न्यायालय (03/09/2019)	धारा 281बी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा होने से पहले ही किसी निर्धारित की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देती है। इस प्रकार ये शक्तियां निर्णय से पहले कुर्की की प्रकृति की हैं। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग उचित कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए। ऐसी शक्तियों का उपयोग केवल धारा में उपयोग किए गए वाक्यांशों को दोहराकर और ऐसे आदेश पारित करने वाले

क्र. सं.	निर्णय विधि की प्राधिकार सं.	न्यायिक निर्णय का सार
		अधिकारियों की राय दर्ज कर के कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट थे, इसलिए ऐसा करना आवश्यक था, नहीं किया जा सकता।
5	सी रामासुब्रामनियम बनाम डीसीआईटी	एनसीएलटी, एकल न्यायपीठ, चेन्नई (02/07/2019)
		छह महीने की समय अवधि समाप्त हो गई है। निर्धारिती/कॉरपोरेट देनदार परिसमापन के अधीन है। इस प्रकार, कुर्की आदेश को बढ़ाया नहीं जा सकता।
6	डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन बनाम अपर सीआईटी	दिल्ली उच्च न्यायालय (31/07/2019)
		मंत्रालय/सीबीडीटी के दिनांक 30 सितंबर, 1975 के परिपत्र सं.179 में अधिनियम की धारा 281बी को शामिल करने का उद्देश्य निर्धारित करते हुए निम्न को स्पष्ट किया गया था- "यह प्रावधान उन मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए किया गया है जहां जांच के कारण मांग बढ़ाने में समय लगने की संभावना है और आशंका है कि निर्धारिती उस मांग के अंतिम संग्रहण को अवरुद्ध कर सकता है। इस आदेश में जांच पूरी होने में समय लगने की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी ओर, जैसा कि मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीआईटी (पूर्व) में समझाया गया है कि एक बार निर्धारण पूरा हो जाने के बाद, अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत आदेश को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। यह इस व्याख्या का समर्थन करता है कि यह केवल तब तक है जब तक कि निर्धारण आदेश पारित करके यह वास्तविक मांग सृजित नहीं की जाती है कि अनंतिम कुर्की आदेश परिचालन में रहेगा।
7	अबुल कलाम बनाम एसीआईटी सर्कल 8(1), कोलकाता एवं अन्य	कलकत्ता उच्च न्यायालय (27/01/2020)
		वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ₹ 74.5 करोड़ की कर योग्यता एक विवादास्पद मामला है। आयकर अधिकारी ने पहले धारा 28 (iv) के अंतर्गत राशि वसूलकर और उसके बाद, धारा 28 (ii) (ए) के अंतर्गत राशि वसूलकर गोल पोस्ट को बदल दिया। ऐसी स्थिति में जहां अधिकारी स्वयं कर योग्यता के बारे में निश्चित नहीं है, धारा 281बी जैसे प्रबल प्रावधान का उपयोग मान्य नहीं है। इसके अलावा, कुर्की नोटिस

क्र. सं.	निर्णय विधि की सं.	प्राधिकार	न्यायिक निर्णय का सार
			में कोई कारण नहीं बताया गया है। श्री त्रिवेदी का यह निवेदन कि कर की राशि बड़ी है और इसलिए अनंतिम कुर्की की गई है, यह एक पर्याप्त कारण नहीं है और इस न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है। यदि उपरोक्त कारण को स्वीकार कर लिया जाता है तो उच्च मांगों के सभी मामलों में, अनंतिम कुर्की मानक बन जाएगी। मैं तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, और इसलिए, कुर्की आदेश को रद्द कर के अलग कर दिया जाता है।
8	सीआईटी बनाम टी.सेंधिल कुमार मद्रुरै न्यायपीठ	मद्रास उच्च न्यायालय- मद्रुरै न्यायपीठ	अधिनियम की धारा 220 से 232 के अंतर्गत निहित प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXIII के प्रावधानों से अलग हैं, जो धारा 281 से 298 में 'विविध' से संबंधित है। विविध शीर्षक के अंतर्गत अध्याय XXIII (28/03/2019) के प्रावधान अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। इसलिए, सम्मानीय विद्वान सिंगे न्यायाधीश ने कहते हुए गलती की है कि अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की भी अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत मांग के लिए नोटिस दिए बिना नहीं की जा सकती है। इस सीमा तक, अपीलकर्ता/राजस्व के विद्वान वकील की दलील स्वीकार की जानी चाहिए और अपील के अंतर्गत आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
9	जेएसआर इंफ्रा डेवेलपर्स बनाम एसीआईटी	मद्रास उच्च न्यायालय (06/08/2019)	इस न्यायालय की माननीय संपूर्ण न्यायपीठ के आदेश पर विचार करते हुए इस न्यायालय को राजस्व वकील द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि माननीय संपूर्ण न्यायपीठ का आदेश आयकर विभाग के उस संपत्ति को कुर्क करने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाता है जिसे पहले ही प्रतिभूतिकृत किया जा चुका है यदि आयकर विभाग पहले से ही प्रतिभूतिकृत संपत्ति को कुर्क करने का विकल्प चुनता है। कुर्की के बाद आयकर विभाग द्वारा कुर्की से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह इस तरह के प्रतिभूतिकरण और उसके अंतर्गत लेनदार के अधीन होता है।

क्र. सं.	निर्णय विधि की प्राधिकार सं.	न्यायिक निर्णय का सार
10	केएसआईआईडीसी कर्नाटक उच्च न्यायालय की दूसरी अनुसूची के नियम 93 की ओर इंगित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उक्त अनुसूची में कुछ भी अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर कर पहला प्रभार है, वह आयकर अधिनियम के ऐसे किसी भी प्रावधान का उल्लेख करने में असमर्थ है जिसके अंतर्गत आयकर देय को निर्धारितियों की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 281 का संदर्भ भी निर्धारितियों की परिसंपत्तियों पर आयकर विभाग के पक्ष में एक पूर्व प्रभार के निर्माण को स्थापित करने की दिशा में नहीं है, क्योंकि धारा के अंतर्गत जो विचार किया गया है, वह निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान हस्तांतरण के कुछ संव्यवहार के शून्य होने के संबंध में है।	

परिशिष्ट 4क

(पैरा 2.5 का संदर्भ लें)

ऐसे मामलों की सूची जहाँ धारा 281बी के अंतर्गत आदेश प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम (पैन)	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार]
1	श्री एस51	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1, भुवनेश्वर]
2	श्री एस52	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1, भुवनेश्वर]
3	श्रीमति बी16	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1, भुवनेश्वर]
4	मैसर्स ई1	2015-16	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल 6(1), मुंबई]

परिशिष्ट 4ख

(पैरा 2.5 का संदर्भ लें)

उन मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी

प्र.सीआईटी का क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की सं.	समीक्षा अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की सं.	धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की सं. जिनमें लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी:
1	2	3	4
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	04	11	09
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	04	30	30
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली	06	41	29
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल	02	26	26
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	03	07	05
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, कोलकाता	01	06	06

प्र.सीआईटी का क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की सं.	समीक्षा अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की सं.	धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की सं. जिनमें लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी:
1	2	3	4
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, मुंबई	04	09	09
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई	05	11	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई	04	16	16
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई	06	34	01
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई	04	34	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची	02	07	04
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	30	09
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	07	25	00
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम	01	05	05
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	05	33	04
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान	01	03	03
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	02	22	16
कुल	71	350	217

परिशिष्ट 5

(पैरा 3.2.1(i) का संदर्भ लें)

प्र.सीआईटी के विवरण जहां धारा 281बी आदेशों में प्र.सीआईटी की अनुमोदन तिथि / आदेश संख्या शामिल थी

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की सं.	जारी किए गए 281बी आदेशों की कुल सं.	प्र.सीआईटी की अनुमोदन तिथि / आदेश संख्या शामिल करने वाले 281बी आदेशों की सं.
1	2	3	4
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	4	11	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	4	30	30
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली	6	41	36
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल	2	26	26
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	3	7	1
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, कोलकाता	1	6	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, मुंबई	4	9	8
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई	5	11	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई	4	16	10
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई	6	34	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई	4	34	29
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची	2	7	1
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बंगलुरु	10	30	27
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	7	25	18
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम	1	5	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	5	33	33
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान	1	3	3
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	2	22	22
कुल	71	350	300

परिशिष्ट 6क

[पैरा 3.2.1(ii) का संदर्भ लें]

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जिसमें दिनांक और/ या आदेश संख्या के संदर्भ में प्र.सीआईटी का अनुमोदन दर्ज नहीं किया गया है

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)
(i) तीन मामले जहां प्र.सीआईटी के अनुमोदन का संदर्भ 281बी आदेश(ओं) में इंगित नहीं किया गया था।			
1	मैसर्स बी8 लिमिटेड	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)
2	मैसर्स बी7	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)
3	मैसर्स एस32	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)
(ii) 47 मामले जहां 281बी आदेशों में बिना विवरण अर्थात आदेश सं / ऐसे अनुमोदन की तारीख दिये केवल प्र.सीआईटी के अनुमोदन का संदर्भ उपलब्ध था			
4	श्रीमति वी2	2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)
5	मैसर्स बी16 प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)
6	श्री वी22	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई)
7	श्री सी1	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई)
8	मैसर्स ए35 प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)
9	श्रीमति आर24	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)

क्र. सं.	निर्धारित का नाम	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)
10	श्रीमति आर23	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)
11	श्री ए18	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)
12	श्री एन10	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)
13	श्री ए44	2009-10 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 28, दिल्ली)
14	श्री पी2	2011-12 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)
15	श्री पी1	2011-12 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)
16	श्री ए1	2010-11 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)
17	मैसर्स जे15 प्राइवेट लिमिटेड	2010-11 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)
18	श्री ए16	2010-11 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)
19	श्री जे13	2010-11 से 2014-15	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)
20	श्री बी13	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता)
21	श्री एन9	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता)
22	श्रीमति एन16	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)
23	श्री ए39	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता)
24	मैसर्स एस49 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-1(1), कोलकाता)
25	श्री आर10	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-1(1), कोलकाता)
26	मैसर्स ए15 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
27	श्री एम8	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
28	श्री पी23	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
29	मैसर्स सी14 प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
30	श्री पी11	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
31	मैसर्स एस47 प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता)
32	श्री एच9	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-7(2), मुंबई)
33	श्री एन8	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 7(2), मुंबई)
34	श्री के14	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 7(2), मुंबई)
35	श्री आर7	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-7 (2), मुंबई)

क्र. सं.	निर्धारित का नाम	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)
36	मैसर्स सी13 लिमिटेड	2014-15	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 1(2), मुंबई)
37	श्री जे9	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 8(2), मुंबई)
38	श्री डी7	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 7(2), मुंबई)
39	श्रीमति एस9	2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर)
40	श्री एस36	2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर)
41	श्री बी2	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 2(3), बेंगलुरु)
42	श्री टी1	2013-14 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु)
43	श्रीमति एल5	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 2(2), बेंगलुरु)
44	मैसर्स टी11 प्राइवेट लिमिटेड,	2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल - 1(2), हैदराबाद)
45	मैसर्स वी7 प्राइवेट लिमिटेड,	2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल-1(4), हैदराबाद)
46	मैसर्स वी23 लिमिटेड	2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)
47	मैसर्स जी6	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल - 3(3), हैदराबाद)
48	श्री ए14	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल- 3(4), हैदराबाद)
49	श्री जे11	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल- 3(4), हैदराबाद)
50	श्री वी24	2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल- 3(4), हैदराबाद)

परिशिष्ट 6ख

(पैरा 3.2.1(i) देखें)

असंगतता के साथ पीसीआइटी के विवरण, जहां धारा 281बी के सभी आदेशों में प्र. सीआइटी अनुमोदन तिथि/आदेश संख्या शामिल नहीं थी

प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र	निर्धारण अधिकारियों की कुल संख्या	असंगतता के साथ निर्धारण अधिकारी प्रभार	चर्चा किए गए निर्धारण अधिकारी की समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी आदेशों की समीक्षा	प्र.सीआइटी अनुमोदन आदेश संख्या/तिथि शामिल है	प्र.सीआइटी अनुमोदन आदेश संख्या/तिथि शामिल नहीं है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई	04	केन्द्रीय सर्किल-2(2), चेन्नई	5	3	2
		केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई	5	2	3
प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	केन्द्रीय सर्कल - 2(3), बेंगलुरु	2	1	1
		केन्द्रीय सर्कल - 1(3), बेंगलुरु	5	4	1
		केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बेंगलुरु	3	2	1
प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) कोच्चि	02	केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम	5	1	4
प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	07	केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद	2	1	1

परिशिष्ट 7

[पैरा 3.2.1(iii) देखें]

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में निहित पर्याप्त जानकारी को उजागर करने वाले मामले

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष	प्र. सीआइटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की तिथि	वर्णन
1	श्रीमति एन15, और श्री एस31/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्किल-20, दिल्ली)	18/01/2018 (विस्तारण आदेश)	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन (सक्षम प्राधिकारी की पत्र संख्या और तिथि), ₹ 6.59 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात 17/06/2019 तक का विवरण प्रदान किया गया था।
2	श्री आर19/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 3, मुंबई [केन्द्रीय सर्किल - 6(4), मुंबई]	01/11/2018	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 15.07 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात 08/05/2019 तक का संदर्भ दिया गया था।
3	श्री एस25/ नि.व. 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्किल - 2(2), बेंगलुरु]	30/11/2017	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 0.09 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात 01/12/2017 तक का संदर्भ दिया गया था।

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष	प्र. सीआइटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की तिथि	वर्णन
4	श्री जी3/ नि.व. 2013-14 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्किल - 2(1), बेंगलुरु]	11/06/2019	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 17.00 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात 26/07/2019 तक का संदर्भ दिया गया था।
5	श्रीमति एस42/ नि.व. 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्किल - 2(2), बेंगलुरु]	24/11/2017	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 40 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात 23/05/2018 तक का संदर्भ दिया गया था।

परिशिष्ट 8

(पैरा 3.2.2(ii) देखें)

अनंतिम कुर्की आदेश जिसमें संपत्ति का मूल्य दर्ज किया गया

क्रम. सं.	निर्धारित का नाम	ब्लॉक निर्धारण वर्ष	प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	श्रीमति एन15	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, दिल्ली	केन्द्रीय सर्किल- दिल्ली	20, 6.59
2	श्री एस31	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, दिल्ली	केन्द्रीय सर्किल- दिल्ली	20, 0.79
3	श्री एम14	2013-14 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद	63.48
4	श्री ए14	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद	0.29
5	श्री जे11	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद	0.25
6	श्री वी24	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद	1.84
7	मैसर्स ए8 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	2.77
8	मैसर्स एल1 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	0.52
9	श्रीमति एम4	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	4.57
10	मैसर्स पी12 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	0.02
11	श्री एस24	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	0.09
12	श्री एस10	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	1.75
13	श्री ए23	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	3.66
14	मैसर्स एल8	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल	केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर	

क्रम. सं.	निर्धारिती का नाम	ब्लॉक निर्धारण वर्ष	प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)
15	श्री पी7	2010-11 से 2016-17	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(4), मुंबई	1.75
16	श्रीमति एम11	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	6.34
17	श्रीमति एच8	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	2.65
18	श्री आर19	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 3, मुंबई	केन्द्रीय सर्किल 6(4), मुंबई	15.07
19	श्रीमति एस43	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	0.04
20	मैसर्स ई लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	63.29
21	मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	9.20
22	मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 8(1), मुंबई	422.80
23	मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई	केन्द्रीय सर्कल 2(2), मुंबई	2.15
24	श्री के12	2011-12 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2 (1), चेन्नई	101.50
25	श्री सी3	2012-13 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2 (1), चेन्नई	052
26	श्री बी2	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(3), बैंगलुरु	2.89
27	श्री एस25	2010-11 से 2016-17	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बैंगलुरु	0.09
28	श्री जी3	2013-14 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(1), बैंगलुरु	17.00
29	श्री एस41	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(4), बैंगलुरु	0.62
30	श्रीमति एल5	2012-13 से 2018-19	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बैंगलुरु	2.00

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम	ब्लॉक निर्धारण वर्ष	प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)
31	श्रीमति एस42	2010-11, 2012-13 & 2014-15 से 2016-17	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बेंगलुरु	40.00
32	श्री ए16	2012-13 से 2017-18	प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), कोच्चि	केन्द्रीय सर्कल-1, एर्नाकुलम	82.00

परिशिष्ट 9

(पैरा 3.2.2 देखें)

धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश का सुझाया गया प्रारूप

आयकर सहायक आयुक्त/ उपायुक्त, सर्किल का कार्यालय
कार्यालय का पता: _____
ईमेल आईडी: _____; संपर्क _____

फाइल संख्या _____ दिनांक: _____

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के अंतर्गत कार्यवाही।

निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम:

सेवा में,

निर्धारिती का नाम: _____;

पता: _____;

निर्धारण वर्ष: _____;

पैन: _____;

विषय: _____ (निर्धारिती नाम और पैन) के मामले में आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की - निर्धारण वर्ष _____

संदर्भ: प्र.सीआईटी (_____); जापन फाइल सं. _____

दिनांक: _____

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के अंतर्गत आदेश

1. **प्रस्तावना:** जैसा कि तलाशी/सर्वेक्षण कार्यवाही/आय के रिटर्न का सत्यापन/अन्य स्रोतों से सत्यापन के दौरान देखा गया है जैसे कि _____

[निर्धारिती के मामले में लंबित निर्धारण कार्यवाही के प्रकार का संक्षिप्त विवरण और मामले में अनंतिम कुर्की कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार बनाने वाली सामग्री/साक्ष्य का विवरण]

2. इस मामले में अनंतिम कुर्की किन विशिष्ट कारणों से शुरू की गई है **[प्राधिकरण:** मंत्रालय/सीबीडीटी के 2004 के निर्देश संख्या 8, तिथि 2 सितंबर, 2004 (फ.सं.404/22/2004-आईटीसीसी के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1))।

3. अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति का प्रकार और संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

[प्राधिकरण: मंत्रालय/सीबीडीटी के फ.सं.404/22/2004-आईटीसीसी, दिनांक 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1)]।

क्रमसं.	संपत्ति का नाम	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (जैसे, स्थान, पहचान संख्या और तिथि, आदि)	निर्धारिती के स्वामित्व की सीमा (सत्यापन का स्रोत)	संपत्ति का मूल्य (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बुक मूल्य/उचित मूल्य)

4. निर्धारण पूरा होने पर अनुमानित कर देयता उत्पन्न होने की संभावना है: ___

[प्राधिकरण: मंत्रालय/सीबीडीटी के एफ.एन.404/22/2004-आईटीसीसी, तिथि 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1)]। (नोट: यह केवल एक सांकेतिक अनुमान है।

5. आदेश की वैधता अवधि: यह आदेश ___ (प्रारंभ तिथि) से ___ (समाप्ति तिथि) तक या निर्धारण पूरा होने के साठ दिन बाद, जो भी बाद में हो, के लिए मान्य है

[प्राधिकरण: मंत्रालय/सीबीडीटी के एफ.एन.404/22/2004-आईटीसीसी, तिथि 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम के परंतुक के साथ पठित धारा 281बी(2)]।

यह आदेश ऊपर बताई गई अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा। उचित कारणों और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ अवधि बढ़ाई जा सकती है।

यह आदेश दिया जाता है कि आपको अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक किसी भी तरह से उपर्युक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने या प्रभारित करने से प्रतिबंधित और अभिनिषेध किया जाता है और सभी व्यक्तियों को इस तरह के हस्तांतरण या प्रभार के अंतर्गत कोई भी लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी(3) के संदर्भ में, आपके पास उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प है जिसका मूल्य अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम राशि का न हो। इसकी प्राप्ति पर, अधोहस्ताक्षरी, लिखित आदेश द्वारा, कुर्की को रद्द कर देगा।

7. यह आदेश प्रधान आयकर आयुक्त के अनुमोदन मिलने के पश्चात फाइल संख्या _____ में जापन संख्या _दिनांक_ के माध्यम से पारित किया गया है।

कृपया इस आदेश की पावती स्वीकार करें।

भवदीय,

(निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम)

प्रतिलिपि:

1) प्रधान आयकर आयुक्त, _____;

2) संयुक्त/अतिरिक्त आयकर आयुक्त, _____;

3) संबंधित राजस्व प्राधिकरण- (उस प्राधिकरण का नाम जिसे यह आदेश अधिसूचित किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को अब कुर्क संपत्ति अर्थात् _____ के विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करें।

- निर्धारण पूरा होने के बाद कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने के संबंध में मांग की सूचना आपको आगे की कार्रवाई या निदेश के साथ तत्काल दी जाएगी ताकि आपके द्वारा धारित या आपके कार्यालय में पंजीकृत उपरोक्त व्यक्ति के नाम पर कुर्क संपत्ति में से निर्धारिती के प्रति उठाई गई कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने की मांग को समाप्त किया जा सके।
- कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद निर्धारिती को किसी देयता का निर्वहन करते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारण अधिकारी के रूप में मेरे प्रति उत्तरदायी होंगे, जिस सीमा तक देयता का निर्वहन किया गया है, या पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित निर्धारिती के प्रति कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने के लिए निर्धारिती की देयता की सीमा तक, जो भी कम हो।

4) भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) - कृपया अनंतिम कुर्की को नोट करने और आयकर विभाग के प्रति सुरक्षा हित को अपने अभिलेखों में दर्ज करने का अनुरोध करें [प्राधिकरण: फा.सं.1(380)/डीआईटी(आर)/सरफेसी/17-18 दिनांक 06 सितंबर, 2017 में मंत्रालय /सीबीडीटी के आयकर निदेशालय (वसूली और टीडीएस) का निर्देश।

(निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम)

दिनांक:

परिशिष्ट 10

(पैरा 3.3.1 देखें)

संवीक्षा निर्धारण मामलों की तुलना में धारा 281बी मामलों का विवरण (वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20)

प्र.सीआईटी अधिकार क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी की संख्या	संवीक्षा निर्धारण मामलों की कुल संख्या	संख्या समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी के अंतर्गत आदेश
1	2	3	4
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, दिल्ली	04	5,157	11
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-2, दिल्ली	04	5,450	30
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-3, दिल्ली	06	8,014	41
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल	02	12,607	26
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, कोलकाता	03	10,541	7
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 2, कोलकाता	01	9,359	6
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, मुंबई	04	1,094	9
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-3, मुंबई	05	3,855	12
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई	04	3,280	16
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, चेन्नई	06	2,786	34
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 2, चेन्नई	04	3,420	34
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), कोच्चि	02	2,373	7
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बंगलुरु	10	6,848	30
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद	07	3,505	25
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), विशाखापत्तनम	02	1,001	8
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), अहमदाबाद	05	4,097	33
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), राजस्थान	01	9,955	3
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), चंडीगढ़	02	1,579	22
कुल	72*	94,921	354**

* इसमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम के 2 निर्धारण अधिकारी शामिल हैं, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

** पैरा 2.5 (अर्थात् परिशिष्ट 4क) में उल्लिखित 04 प्रस्तुत नहीं किए गए मामले शामिल हैं।

परिशिष्ट 11

[पैरा 3.3.2 (i) देखें]

281बी मामलों का विवरण जहां निर्धारण अधिकारी ने बोर्ड द्वारा निर्धारित कारणों के लिए "मांग की वसूली मुश्किल हो रही है" की राय दी थी

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम / निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			<u>अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)</u>	
1	श्रीमति एल5/ नि.व. 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु - (केन्द्रीय सर्किल - 2(2), मंगलुरु)	अक्टूबर 2017 2.90	निर्धारिती ने कहा कि वह ₹ 2.90 करोड़ की कर देयता का भुगतान करने में असमर्थ थी। जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (फरवरी 2021) कि ₹ 10.32 करोड़ की मांग पर 31/12/2019 को तलाशी निर्धारण पूरा किया गया था। ₹ 0.40 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें शेष ₹ 9.92 करोड़ बकाया रह गए (फरवरी 2021)। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
2	श्रीमति एस9/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम	दिसंबर 2018 5.74	निर्धारण अधिकारी ने दर्ज किया कि 'इस बात की पूरी संभावना है कि निर्धारण पूरा होने पर निर्धारिती मांग के भुगतान में सहयोग नहीं करेगा।'
3	श्री एस36/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर)	दिसंबर 2018 30.35	जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (दिसंबर 2020) कि तलाशी निर्धारण 27/12/2017 को ₹ 36.09 करोड़ की संचयी मांग उठाकर पूरा किया गया था। दोनों निर्धारितीयों से ₹ 10.98 करोड़ की वसूली की गई है, जिससे ₹ 25.11 करोड़ की राशि बकाया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
				अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)
				वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
4	मैसर्स बी8 लिमिटेड / नि.व. 2011-12 से 2016-17		नवंबर 2017 10.49	निर्धारण अधिकारी ने दर्ज किया कि 'इस बात की पूरी संभावना है कि निर्धारण पूरा होने पर निर्धारिती मांग के भुगतान में सहयोग नहीं करेगा'।
5	मैसर्स नि.व. 2011-12 से 2016-17	बी7/ प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)	नवंबर 2017 4.40	जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (दिसंबर 2020), तलाशी निर्धारण 30/11/2017 को ₹ 14.89 करोड़ की संचयी मांग उठाकर पूरा किया गया था, जिसके प्रति लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2020) तक दोनों निर्धारितीयों से कोई कर वसूली नहीं की गई थी। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
6	श्री एम5/ नि.व. 2010-11 से 2016-17			निर्धारण अधिकारी ने कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य का उल्लेख किए बिना संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज, निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है"।
7	श्रीमति पी19/ नि.व. 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल-8(1), मुंबई]	नवंबर और दिसंबर 2017 11.65	
8	श्री वी12/ नि.व. 2010-11 से 2016-17			जैसा कि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर है, ₹ 22.14 करोड़ की कर मांग उठाकर निर्धारण (दिसंबर 2017) पूरा किया गया था, जो पूर्णतः

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	बकाया थी। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
9	श्री पी7/ नि.व. 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल- 8(4)]	दिसंबर 2017 30.00	निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.75 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारितियों द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारितियों द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।" लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर, 2017 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 34.80 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
10	श्रीमति एम11/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))	अगस्त 2018 1.45	निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 1.45 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 6.35 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 4.86 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"
				लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 0.98 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
11	श्री एच8/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8 (1))	अगस्त 2018 1.48	निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 1.48 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 2.65 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 4.93 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"
				लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 1.21 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
12	श्रीमति एस43/ नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))	अगस्त 2018 1.15	निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.04 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि 'निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।'। लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 0.81 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
13	मैसर्स ई प्राइवेट लिमिटेड /नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))	अक्टूबर 2018 और नवंबर 2018 13.88	निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 13.88 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 63.29 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 46.29 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) की तिथि तक, दिसंबर 2018 में निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 85.20 करोड़ की मांग की गई थी, जिसमें से निर्धारिती द्वारा केवल ₹ 0.20 करोड़ का भुगतान किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
14	मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड /नि.व. 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8 (1))	अगस्त 2018 52.80	निर्धारण अधिकारी ने ₹ 9.21 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है"। लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, दिसंबर 2018 में निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 38.73 करोड़ की मांग हुई थी, जिसमें से निर्धारिती द्वारा केवल ₹ 13.62 करोड़ का भुगतान किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
15	मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड /नि.व.	प्र सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))	अगस्त 2018 और अक्टूबर 2018	निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 3.61 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
	2011-12 से 2017-18		3.61	<p>₹ 422.80 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 12.02 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"</p> <p>लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 6.40 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।</p>
16	श्री जे9 /2010-11 से 2016-17	प्र सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-8(2))	दिसंबर 2017 60.0	<p>निर्धारण अधिकारी ने कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य का उल्लेख किए बिना संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारितियों द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारितियों द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"</p> <p>लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर, ₹ 81.83 करोड़ की कर मांग करके निर्धारण पूरा किया गया था (दिसंबर 2017), जिसके प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 5.41</p>

क्रम.सं.	निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि	निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण
			अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	करोड़ का भुगतान किया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

परिशिष्ट 12

[पैरा 3.3.2 (ii) देखें]

धारा 281बी मामलों का विवरण जो राय बनाने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न प्रकार के कारणों को दर्शाता है

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारी की संख्या	धारा 281बी के तहत जारी आदेशों की संख्या	281बी मामलों की संख्या जिनमें "राय बनाने" के कारण निम्न थे			
			केवल मानक कारण	मानक कारणों के अलावा कारण	मांग की मुश्किल वसूली	परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	04	11	11	0	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	04	30	24	06	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)3, दिल्ली	06	41	35	06	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल	02	26	11	15	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	03	07	0	07	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता	01	06	0	06	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई	04	09	04	05	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई	05	11	01	10	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई	04	16	05	0	0	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई	06	34	23	10	01	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई	04	34	32	02	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि	02	07	04	03	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	30	08	15	07	0

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार अधिकारी की संख्या	निर्धारण धारा 281बी के तहत जारी आदेशों की संख्या	281बी मामलों की संख्या जिनमें "राय बनाने" के कारण निम्न थे				
		केवल मानक कारण	मानक कारणों के अलावा कारण	मांग की मुश्किल वसूली	परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	07	25	0	25	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम	01	05	01	0	04	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) अहमदाबाद	05	33	30	03	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान	01	03	03	0	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	02	22	16	06	0	0
कुल	71	350	208**	119	12	11

**इसमें प्र.सीआईटी. (केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल-1 (3), बेंगलुरु के 02 मामले (अर्थात् श्री वी1 और मैसर्स सी16 प्राइवेट लिमिटेड) शामिल हैं, जहां 281बी प्रस्तावों में केवल मानक कारण दर्ज किए गए थे, लेकिन पैरा में चर्चा के अनुसार एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में निर्धारण अधिकारी द्वारा "अतिरिक्त कारण" बताए गए थे।

परिशिष्ट 13

[पैरा 3.3.2 (ii)] देखें]

**"राय बनाने" पर लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश और उसके प्रति निर्धारण
अधिकारी का उत्तर**

क्र. सं.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश	धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया	निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश
1	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), अहमदाबाद		33 में से 29 मामले	निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि अनंतिम कुर्की राजस्व के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। 4 मामलों में कोई उत्तर नहीं मिला।
2	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई	"परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता के कारण या किसी असाधारण परिस्थितियों में वसूली कठिन होने की उचित संभावना" के बारे में राय किसी भी प्रस्ताव में नहीं बनाई गई है। यह मंत्रालय/सीबीडीटी के दिनांक 05/11/2004 के अनुदेशों का उल्लंघन था।	11 में से 02 मामले	एक विशिष्ट प्रश्न के लिए श्री आर7 के मामले में, निर्धारण अधिकारी से प्राप्त उत्तर है कि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है और पर्याप्त मांग उठाए जाने की संभावना है, तो निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकारी प्र.सीआईटी के अनुमोदन के बाद धारा 281बी को लागू कर सकता है।" श्री एम5 के मामले में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने कहा, 'अधिनियम की धारा 281बी विवेकाधिकार देती है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निर्धारित से संबंधित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करना आवश्यक है।' अन्य मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।
3	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु		29 (सभी मामले)	<u>मसौदा रिपोर्ट पर प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) का दिनांक 06/07/2021 का उत्तर:</u> अभ्युक्तियों को देखने

क्र. सं.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश	धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया	निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश
----------	--------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------

पर यह समझा गया कि लेखापरीक्षा की राय में, पर्याप्त मांग और राजस्व के हितों की रक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण कार्यवाही धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के कारणों की पर्याप्तता नहीं है। निर्धारण अधिकारी ने अपने प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि निर्धारण कार्यवाही लंबित है और निर्धारण पूरा होने पर अधिक मांग करने की संभावना है। तलाशी और जब्ती कार्यवाही के दौरान पाए गए तथ्यों और सबूतों के कारण ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं।

4 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1 और 2, कोलकाता

13 में से 06 मामले

6 मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि "उचित संभावना के बारे में राय निर्धारण पूरा होने पर अधिक मांग करने की संभावनाओं का पता करने के कारण पहले ही स्थापित की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा 5 मामलों (जैन समूह) में किए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि "निर्धारिती अनुपालन नहीं कर रहा था और अधिक मांग उत्पन्न होने की उम्मीद को देखते हुए, वसूली करना मुश्किल होगा।"

अन्य मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

क्र. सं.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश	धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया	निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश
5	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद		25 (सभी मामले)	निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद ने कार्यवाही से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद मंजूरी दे दी है।
6	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), चंडीगढ़		22 (सभी मामले)	धारा 281बी मामलों के तहत सभी आदेशों में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने "वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना" के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि धारा 281बी के तहत आदेश सभी मामलों में तलाशी कार्यवाही के दौरान पाई गई अघोषित आय के कारण "पर्याप्त कर मांग उत्पन्न होने की संभावना" के कारणों से शुरू किया गया था।
कुल			113	

परिशिष्ट 14

(पैरा 3.3.2 देखें)

असाधारण परिस्थितियों की सुझाई गई सांकेतिक सूची जो निर्धारण अधिकारी को अनंतिम कुर्की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक राय बनाने में सक्षम बना सकती है

क्र.सं.	असाधारण परिस्थितियों की सुझाई गई सूची
1	निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों पर निर्धारिती की गैर/खराब प्रतिक्रिया के संकेत
2	ऐसे मामले जिनमें निर्धारिती ने पहले पूरे किए गए पिछले निर्धारणों में की गई मांग का भुगतान नहीं किया है
3	यदि निर्धारिती ने पहले पूरे किए गए पिछले निर्धारण के प्रति निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की है, लेकिन विभाग के पक्ष में अपील का फैसला होने की संभावना बहुत अधिक है।
4	अखबार की रिपोर्ट/तीसरे पक्ष के स्रोत जैसे बहुत मजबूत साक्ष्य हैं कि निर्धारिती अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने की योजना बना रहा है
5	यदि निर्धारिती "गैर जिम्मेदार" ऑपरेटर, आदतन अपराधी है
6	पिछले निर्धारण के मामले कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) के माध्यम से पहले से ही वसूली कार्यवाही के अधीन हैं
7	निर्धारिती का पता नहीं चल पाया
8	विशेष अदालत (प्रतिभूति अधिनियम, 1992 से संबंधित अपराधों का परीक्षण) के तहत अधिसूचित व्यक्ति
9	निर्धारिती का मामला आईबीसी-2016 के तहत एनसीएलटी के समक्ष लंबित है
10	कंपनी का परिसमापन
11	बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्ति
12	संपत्तियों की कुर्की के विरुद्ध अपील लंबित
13	अधिनियम/नियमों में कहीं भी परिभाषित कोई अन्य असाधारण परिस्थितियां

नोट: ऊपर सुझाई गई इन असाधारण परिस्थितियों में से कुछ केंद्रीय कार्य योजना-1 (सीएपी-1) विवरण के खंड 9 से तैयार की गई हैं जो निर्धारित आवृत्ति पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

परिशिष्ट 15

[पैरा 4.2(i) देखें]

अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति रखने वाले निर्धारितियों की सूची

क्र.सं.	निर्धारित का नाम /नि.व	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]	अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार	अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/ मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में)
1	श्री ओ / 2002-03 से 2008-09 तक	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अचल कोच्चि [केन्द्रीय सर्कल- 2, एर्नाकुलम]		उप-पंजीयन द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार आवासीय भूखंडों, वाणिज्यिक भूखंडों, तटीय बेल्ट और परतिभूमि सहित कुल 124 संपत्तियां (अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों को छोड़कर)	5.34/ पता लगाने योग्य नहीं
2	श्री पी7/ 2010-11 से 2015-16	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल - 8 (4), मुंबई]		बैलेंस शीट के अनुसार कृषि भूमि, फ्लैट, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश	2.17/ 24.72
3	श्री एम5 / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 8 (1), मुंबई)		बैलेंस शीट के अनुसार कार, शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश, एफडी और सीडी	6.30/ 3.25
4	मैसर्स ई लिमिटेड / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 8(1), मुंबई)		बैलेंस शीट के अनुसार कंप्यूटर को छोड़कर भूमि, भवन, वाहन और फर्नीचर	13.89/ 61.83

क्र.सं.	निर्धारित नाम /नि.व	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]	अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार	अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/ मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में)
5	श्रीमति पी19/ 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 8(1), मुंबई)	दोनों	बैलेंस शीट के अनुसार एफडी, शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश, कार	5.36/ 3.27
6	मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल - 8(1), मुंबई]	दोनों	बैलेंस शीट (नि.व. 2017-18) के अनुसार भूमि, फर्नीचर और फिक्स्चर, वाहन और कार्यालय उपकरण (कंप्यूटर को छोड़कर)	52.80/ 89.26
7	मैसर्स ए41 लिमिटेड, बेंगलुरु / 2010-11 से 2016-17 तक	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-1(3), बेंगलुरु]	दोनों	भूमि, फैक्टरी भवन, संयंत्र और उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर, मोटर और माल वाहन, कंप्यूटर और विद्युत प्रतिष्ठान	40.00/ 38.30
8	श्री वी1 / 2011-12 से 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-1(3), बेंगलुरु]	दोनों	कॉफी एस्टेट भूमि और भवन, आभूषण आदि, पुरातात्विक और पेंटिंग संग्रह आदि, वाहन और नौकाएं आदि, शेयर और प्रतिभूतियां (मैसर्स एम18 लिमिटेड और मैसर्स सी16 लिमिटेड के शेयरों को छोड़कर)	447.44/ 105.67
9	मैसर्स सी16 लिमिटेड / 2011-12 से	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु]	दोनों	बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण	188.70/ 1,753.92

क्र.सं.	निर्धारित नाम /नि.व	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]	अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार	अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/ मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में)
	2018-19			(₹ 5.15 करोड़), इक्विटी और शेयर पूंजी (मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयरों को छोड़कर)	
10	श्री एस25 / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), बेंगलुरु]	दोनों	भूमि और आभूषण (तलाशी के दौरान निर्धारित द्वाारा स्वैच्छिक स्वीकृति के अनुसार)	0.99/ 0.32 (केवल आभूषण)
11	श्री बी2 / 2012-13 से 2017-18 और 2018-19	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(3), बेंगलुरु]	दोनों	कृषि भूमि, स्थल और आवासीय भवन, वाहन	5.26/ 1.15 (केवल वाहन)
12	श्री डी1 / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(3), बेंगलुरु]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30.00/ अनुपलब्ध
13	श्री एम12 / 2012-13 से 2017-18 और 2018-19	प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	अचल	भूमि और घर	8.42/ 0.86
14	श्रीमति एस23/ 2010-11 से 2015-16	प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	दोनों	बैलेंस शीट के अनुसार भूमि, संपत्ति और वाहन	1.30/ 2.31
15	श्री ए12 / 2010-11 से 2015-16	प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.18/ अनुपलब्ध
16	श्री एम3 / 2010-11 से 2016-17	प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	दोनों	भूमि और भवन, फर्नीचर और फिक्स्चर, संयंत्र और मशीनरी	1.76/ 0.94
17	श्री एस5 / 2010-11 से 2016-17	प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.29/ अनुपलब्ध

क्र.सं.	निर्धारिता का नाम /नि.व	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]	अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार	अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/ मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में)
18	श्रीमति एस26 / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), दोनों बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]	दोनों	बैलेंस शीट के अनुसार संपत्तियां और भवन, वाहन आदि	1.40/ 0.82
19	मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]	दोनों	फ्रीहोल्ड भूमि, भवन, वाहन और कार्यालय उपकरण	लागू नहीं/ 89.47
20	मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]	अचल	बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी	151.42/ 51.63
21	मैसर्स एस7 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]	अचल	बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी	31.13/ 311.70
22	श्री एस15 / 2008-09 से 2018-19 तक	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, हुबली]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.02/ अनुपलब्ध
23	मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2013-14	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]	दोनों	बैलेंस शीट के अनुसार अचल संपत्ति	26.91/ 123.71
24	श्री सी12 / 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]	अचल	भूमि और संपत्ति	2.00/ 0.50
25	श्री एच1 / 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1(2), बेंगलुरु]	दोनों	मामलों के विवरण के अनुसार कृषि और गैर कृषि भूमि, कार, आभूषण आदि	3.75/ 16.03
26	श्रीमति एल5/ 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -2(2), बेंगलुरु]	अचल	फ्लैट	2.90/ 4.96

क्र.सं.	निर्धारित नाम /नि.व	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]	अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार	अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/ मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में)
27	श्रीमति एस42/ 2014-15	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), बेंगलुरु]	अचल	संपत्ति, घर और अपार्टमेंट	4.74/ अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
28	श्री जी3 / 2013-14 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -2(1), बेंगलुरु]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	31.41/ अनुपलब्ध
29	मैसर्स एम7 ट्रस्ट / 2009-10 से 2015-16	प्र.सी.आई.टी.(केन्द्रीय), दोनों बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-1(4), अहमदाबाद]		बैलेंस शीट के अनुसार शेयर और म्युचुअल फंड, चल और अचल संपत्तियां	अनुपलब्ध/ 0.99
30	श्री पी13/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), अहमदाबाद]	अनुपलब्ध	वाहन (कार और मोटर बाइक)	अनुपलब्ध/ 0.89
31	श्री वी3 / 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई [केन्द्रीय सर्कल-1 (1), चेन्नई]	अनुपलब्ध	सावधि जमा	1.82/ 5.77

परिशिष्ट 16

(पैरा 4.2(ii) देखें)

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जिसमें बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था

क्र. सं.	निर्धारिता का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
1	श्री ए38/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 6(2), मुंबई)	7.50	0.70 (एफडी), और बैंक खाते (क्रेडिट बैलेंस इंगित नहीं किया गया है)	मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने नहीं किया गया है	योग्य नहीं
2	श्री डी12/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 6(2), मुंबई)	11.56	0.06 (एफडी), और बैंक खाते (क्रेडिट बैलेंस इंगित नहीं किया गया है)	मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने नहीं किया गया है	योग्य नहीं
3	श्रीमति एस9/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल -2, भुवनेश्वर)	0.48	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के उत्तर में बैंक प्रबंधक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 0.50 करोड़ रुपये का पुनर्ग्रहणाधिकार।	0	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
4	श्री एस36/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल -2, भुवनेश्वर)	17.82	धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के उत्तर में बैंक प्रबंधकों में से दो द्वारा उत्तर के रूप में 0.06 करोड़ रुपये का मूल्य इंगित नहीं किया गया है।	0	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
5	मैसर्स बी8 लिमिटेड/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)	5.70	मूल्य इंगित नहीं किया गया है	मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने नहीं किया गया	योग्य नहीं

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
6	मैसर्स बी7/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर)	4.03 मूल्य इंगित नहीं किया गया			0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
7	मैसर्स एस32/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल -2, भुवनेश्वर)	इंगित नहीं मूल्य इंगित नहीं किया गया			मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया नहीं गया
8	श्री पी10/ 2010-11 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, दिल्ली, (केन्द्रीय सर्कल -20, दिल्ली)	453.37 मूल्य इंगित नहीं किया गया			मूल्य इंगित धारा 33 के अंतर्गत नहीं किया तलाशी के दौरान गया निर्धारिती के बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में से एक को लगभग 20 साल पहले 4 करोड़ रुपये के मूल्य पर खरीदा गया था। हां, निर्धारिती के नाम पर उपलब्ध अन्य संपत्तियों (कुर्क नहीं की गई) का विवरण निम्नानुसार है: आनंदराम डेरी, नई दिल्ली में एक प्लॉट 10 साल पहले ₹ 50,000 में खरीदा गया था।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
						इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा में एक प्लॉट 8 साल पहले ₹ 2.5 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया था। घिंटोरनी में लगभग 106 एकड़ का खेत, लगभग 20 साल पहले ₹ 50,000 में खरीदा गया था। देहरादून में फ्लैट ₹ 50 लाख में खरीदा गया, 3 साल पहले खरीदा गया। राजस्थान के सुजानगढ़ में पैतृक घर का मूल्य लगभग ₹ 1 करोड़ है। टांगरा में भूमि। पांच कारें - एक ऑडी कार ₹ 0.55 करोड़ की कीमत पर खरीदी गई। 7 कंपनियों में अंशधारिता

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
9	श्री एस13/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (केन्द्रीय सर्कल- 2, चंडीगढ़)	38.34	मूल्य इंगित नहीं किया गया	मूल्य इंगित नहीं किया गया	मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया गया
10	श्री एस4/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (केन्द्रीय सर्कल- 2, चंडीगढ़)	4.73	मूल्य इंगित नहीं किया गया	मूल्य इंगित नहीं किया गया	मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया गया
11	श्री आर1/ 2010-11	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बैंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल - 1(3), बैंगलुरु)	8.0	3.90	14.69	पीए प्रस्ताव के अनुसार, अभिनिश्चित करने योग्य नहीं; (7 स्थानों) पर कुल 19 साइटें और एक अन्य साइट में 30 फ्लैट कुर्क किए गए थे; 1. ₹ 5.69 करोड़ की दो संपत्तियों का संचयी मूल्य 2. 30 लाख रुपये मूल्य के 30 फ्लैट, संचयी मूल्य 9 करोड़ रुपये। 3. शेष संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं था।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
12	श्री के18/ 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 2(1), कोलकाता)	1.36	इंगित नहीं किया गया	0.58	31 मार्च 2019 तक ₹ 22 करोड़ के संचयी मूल्य वाली कई अचल संपत्तियां
13	श्रीमति बी13/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), कोलकाता)	0.65	इंगित नहीं किया गया	0.32	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
14	श्रीमति एन16/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), कोलकाता)	0.87	इंगित नहीं किया गया		अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
15	श्री एन9/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), कोलकाता)	1.19	इंगित नहीं किया गया	3.85	स्वीकृति के बाद चार में से केवल दो संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
16	श्री ए39/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), कोलकाता)	2.06	0.01	उपलब्ध नहीं	एक अचल संपत्ति को है कुर्क करने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में इसे कुर्क नहीं किया गया था।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
17	मैसर्स एस49 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं
18	श्री आर10/ 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं ₹ 0.18 करोड़ की अचल किया गया संपत्ति या भवन	
19	मैसर्स ए15 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
20	श्री एम8/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
21	श्री पी23/ 2011-12 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
22	मैसर्स सी14 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	0	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
23	श्री पी11/ 2011-12 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	0	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
24	मैसर्स एस47 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया	0	अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
25	मैसर्स एम7/ 2009-10 से 2015-16	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल -1(4), अहमदाबाद)	इंगित नहीं किया गया	0.58	0	हाँ 1. तलाशी के दौरान शेयर और म्यूचुअल फंड का खुलासा 2. बैलेंस शीट के अनुसार ₹ 78.75 लाख की चल संपत्ति, और 3. ₹ 20.35 लाख की अचल संपत्ति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य		क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)
				चल (करोड़ में)	अचल (करोड़ में)	
26	श्री वी3/ 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), चेन्नई)	20.40	इंगित नहीं किया गया		0 हाँ, ₹ 5.77 करोड़ के मूल्य की सावधि जमा
27	श्री आर17/ 2012-13 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2 (1), चेन्नई)	इंगित नहीं किया गया	इंगित नहीं किया गया		इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं
28	श्री सी1/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई)	1.68	इंगित नहीं किया गया		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
29	मैसर्स ए6 प्राइवेट लिमिटेड 2015-16 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-3(1), चेन्नई)	83.50	इंगित नहीं किया गया		मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया नहीं गया.
30	श्री वि17/ 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 3(3), चेन्नई)	1.68	इंगित नहीं किया गया		इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं
31	मैसर्स एस48 प्राइवेट लिमिटेड/ 2012-13 से 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2 (4), चेन्नई)	54.96	9.32		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं
32	मैसर्स एन12/ 2018-19	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2 (4), चेन्नई)	81.02	7.57		0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं

परिशिष्ट 17

[पैरा 4.3(i) देखें]

उन मामलों का विवरण जहां कुर्क की गई संपत्ति निर्धारिती की नहीं थी

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/ नि.व.	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई
1	मैसर्स ई लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) - 4, मुंबई (केंद्रीय सर्कल - 8(1), मुंबई)	निर्धारिती द्वारा 20/11/2018 को प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, सात अचल संपत्तियों में से दो (₹ 13.89 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के प्रति कुल ₹ 63.29 करोड़ रुपये की समग्र राशि) जिन्हें 05/11/2018 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, उनका निपटान धारा 153 ए के अंतर्गत दिनांक 07/11/2017 को जारी नोटिस के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा पहले ही कर दिया गया था। एक अन्य संपत्ति जिसे अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, वह एक अन्य कंपनी से संबंधित थी और इसका स्वामित्व निर्धारिती के पास नहीं था। अधिनियम की धारा 281 के अंतर्गत 29/11/2018 को इन तीन संपत्तियों की बिक्री को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। साथ ही, धारा 281बी के अंतर्गत 18/03/2019 को कुर्क की गई उन संपत्तियों को जारी करने के लिए एक निरसन आदेश जारी किया गया था, जिनका स्वामित्व निर्धारिती के पास नहीं था, जबकि शेष संपत्तियों की अनंतिम कुर्की जारी रही। लेखापरीक्षा (जनवरी, 2021) की तारीख तक, ₹ 85.20 करोड़ रुपये की कर मांग के साथ निर्धारण (27/12/2018) पूर्ण किया गया, और शेष कर ₹ 85.00 करोड़ रुपये (जनवरी 2021) बकाया था। लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
2	श्री पी7/ 2010-11 से 2016-17	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) - 4, मुंबई (केंद्रीय सर्कल - 8(4), मुंबई)	लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत दिनांक 11/12/2017 के आदेश से निर्धारिती के इतर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित संपत्ति को कुर्क किया गया था। यह तथ्य एओ के संज्ञान में तभी आया जब संपत्ति के वास्तविक स्वामी ने (दिनांक 21/12/2017 के पत्र के माध्यम से) एओ को सूचित किया। परिणामतः, धारा 281बी के अंतर्गत एक संशोधित आदेश (27/12/2017) निर्धारिती की सही संपत्ति (₹ 2.17 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के मुकाबले ₹ 1.75 करोड़) को कुर्क

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/ नि.व.	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई
			करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तारीख तक, निर्धारण ₹ 34.80 करोड़ रुपये की कर मांग के साथ पूर्ण किया गया (दिसंबर 2017) और पूरी कर मांग बकाया (दिसंबर 2020) थी। लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
3	श्रीमति एम10/ 2012-2013 से 2018-2019	प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई (केंद्रीय सर्कल - 1(4), चेन्नई)	धारा 281बी के अंतर्गत एओ द्वारा 26/12/2019 को ₹ 2.18 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए सात संपत्तियों (मूल्य इंगित नहीं किया गया) को कुर्क करके एक आदेश जारी किया गया था। इसे 09/09/2020 को विस्तारित किया गया था। 25/09/2020 को, एओ को एक व्यक्ति से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि कुर्क की गई संपत्तियों में से एक जुलाई 2005 में ही निर्धारिती द्वारा उन्हें बेची जा चुकी है। एओ ने अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और दिनांक 28/09/2020 के आदेश के माध्यम से संपत्ति की कुर्की हटा दी। शेष छह संपत्तियों की कुर्की जारी रही। चूंकि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) तक निर्धारण पूर्ण नहीं हुआ (फरवरी 2021)। लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से निर्धारण की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
4	श्री एस5/ 2010-11 से 2016-17	प्र.सीआईटी बेंगलुरु (केंद्रीय सर्कल- 1 मंगलुरु)	नि.व. 2016-17 के लिए पूंजीगत लाभ की निर्धारिती की गणना के सत्यापन पर लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) ने पाया कि धारा 281बी के अंतर्गत दिनांक 18/12/2017 के आदेश में कुर्क संपत्ति (अभिलेख में मूल्य उपलब्ध नहीं) और 18/06/2018 को विस्तारित संपत्ति निर्धारिती द्वारा 23/03/2016 को अर्थात् धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की तारीख से बहुत पहले ही बेची जा चुकी थी। अनुमानित कर देनदारी ₹ 0.29 करोड़ थी। एओ से उत्तर की तिथि (जनवरी 2021) तक कोई और कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार राजस्व के हितों की रक्षा का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान मामले में विफल हो गया था। लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण ₹ 0.03 करोड़ रुपये की कर मांग (29/12/2017) के साथ पूर्ण किया गया, जिसकी वसूली (फरवरी, 2021) लंबित थी। एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (जून 2021) हेतु, एओ के उत्तर के साथ-साथ बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/ नि.व.	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)	विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई
5	श्रीमति एस42/ 2010-11, 2012-13 और 2014-15 से 2016-17	प्र. सीआईटी बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल- 2(2), बेंगलुरु)	निर्धारिती के अंतिम लेखों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2021) पाया कि ₹ 4.74 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के प्रति गलत पहचान के कारण 24/11/2017 के आदेश पर अनंतिम कुर्की के लिए एक गलत संपत्ति (₹ 40.00 करोड़ रुपये मूल्य) का चयन किया गया था। एओ द्वारा आगे कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा (फरवरी, 2021) तिथि तक, ₹ 22.39 करोड़ रुपये की संवर्धित कर मांग के साथ निर्धारण पूर्ण किया गया (दिसंबर 2017) और ₹ 21.48 करोड़ रुपये का शेष कर (फरवरी, 2021) बकाया था। निर्धारिती की परिसंपत्तियों की संशोधित सूची के साथ मामले को वसूली के लिए टीआरओ को भेज दिया गया है। लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर (जून 21) में, एओ ने उत्तर दिया कि कानून में यह पता लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि संपत्ति ग्रहणाधिकार में है या नहीं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व के हितों की रक्षा करने का इच्छित उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
6	श्रीमति जी1/ 2015-16	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-1(3), चेन्नई)	निर्धारण अधिकारी ने 24/12/2018 में धारा 281बी के तहत ₹ 10.42 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के विरुद्ध दो अचल संपत्तियां (मूल्य इंगित नहीं) कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने की तिथि से बहुत पहले 05/04/2018 को संपत्ति बेची गई थी, यह साबित करते हुए कि निर्धारण अधिकारी द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का कोई पूर्व-सत्यापन नहीं किया गया था। धारा 281बी के तहत आदेश के तहत की गई कुर्की को बाद में 05/11/2019 को हटा लिया गया क्योंकि यह निर्धारिती के नाम पर नहीं थी। इस प्रकार संपत्ति की अनंतिम कुर्की का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान मामले में विफल हो गया। जैसा कि यह लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि पर है, निर्धारण पूरा हो गया था (31/12/2018) जिससे ₹ 20.97 करोड़ की कर मांग हुई। ₹ 20.97 करोड़ की शेष कर मांग अभी भी बकाया है (फरवरी 2021) और मामला वसूली के लिए टीआरओ को भेजा गया था। लेखापरीक्षा (जून 2021) में इसे इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी के उत्तर के साथ-साथ बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

परिशिष्ट 18

[पैरा 4.3(ii) देखें]

उन मामलों का विवरण जो पूर्णतः/आंशिक रूप से ऋण-भारग्रस्त

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	ऋण-भार की स्थिति अनुमानित कर देयता/संपत्ति मूल्य (₹ करोड़ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण
1	श्रीमति एस9/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल भुवनेश्वर)	पूर्ण 0.54/ उपलब्ध नहीं	निर्धारिती के दो बैंक खातों को कुर्क करने के लिए धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (दिसंबर 2018)। धारा 281बी के तहत प्राप्त आदेश के जवाब में, अधिसूचित अधिकारियों में से एक (अर्थात, बैंक प्रबंधक) ने एओ को सूचित किया (24/12/2018) कि संलग्न खाता पहले से ही यह कहते हुए पूर्व-ऋणभारग्रस्त था कि "पहले से ही बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार है" धारा 281बी के तहत आदेश की प्राप्ति की तिथि के अनुसार ₹ 0.50 करोड़ की मूल राशि के साथ। यह लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) में बताया गया था। लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तारीख तक, ₹ 5.74 करोड़ की मांग करते हुए मूल्यांकन (27/12/2018) पूरा किया गया था, जिसमें से निर्धारिती ने ₹ 0.46 करोड़ का भुगतान किया था, ₹ 5.28 करोड़ का बकाया कर छोड़कर। कर वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
2	श्री वी1/ 2011-12 और 2012-13 से 2018-19	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बैंगलुरु	आंशिक 447.44 / 576.03	जैसा कि पैरा 3.3.2 (ii) और 4.2 (i) क्रमशः अध्याय 3 और 4 में चर्चा की गई थी, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2019 को जारी किया गया था। निर्धारिती ने स्वेच्छा से (जनवरी 2019) निर्धारण अधिकारी को मैसर्स एम18 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति अर्थात 52.70 लाख इक्विटी शेयरों की स्थिति के बारे में सूचित किया, जो पहले से ही

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)	ऋण-भार की स्थिति	मामले का संक्षिप्त विवरण
		(केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु)		बैंकों से लिए गए संस्थागत ऋणों के विरुद्ध ग्रहणाधिकार में थे। अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक दो संपत्तियों पर विचार किया। इसके बजाय, उसने धारा 281बी (फरवरी 2019) के तहत पहले के आदेश को रद्द करके धारा 281बी के तहत एक नया आदेश जारी किया (फरवरी 2019) और निर्धारिती के इक्विटी शेयरों (2.05 करोड़ इक्विटी शेयरों) को उसकी अपनी कंपनी अर्थात् मैसर्स के स्वामित्व में कुर्की किया। मैसर्स सी16 लिमिटेड ने 281बी प्रस्तावों (फरवरी 2019) की टिप्पणियों में, निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी किए जाने के बाद ही भार की स्थिति का तथ्य उनके संज्ञान में आया।
3	मैसर्स सी16 लिमिटेड/ 2011-12 और 2012-13 से 2018-19	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु)	पूर्ण (मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयर)	धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 24/01/2019 को जारी किया गया था। निर्धारिती ने स्वेच्छा से (जनवरी 2019) निर्धारण अधिकारी को मैसर्स एम18 लिमिटेड के 22.20 लाख इक्विटी शेयरों की अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति के भार की स्थिति के बारे में सूचित किया, जो पहले से ही बैंकों से लिए गए संस्थागत ऋणों के विरुद्ध ग्रहणाधिकार में थे। 281बी प्रस्तावों (फरवरी 2019) की टिप्पणियों में, निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही भार की स्थिति का तथ्य उनके संज्ञान में आया। साथ ही, लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयरों को जारी करने के लिए एक निरसन आदेश (फरवरी 2019) जारी किए जाने के बाद धारा 281बी के तहत वैकल्पिक संपत्ति कुर्क करने के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रारंभिक कुर्की आदेश के निरसन के बाद मामला असुरक्षित रहा, जिसने 281बी प्रावधानों के प्राथमिक उद्देश्य को विफल कर दिया। निरसन के बाद धारा 281बी के तहत नया आदेश जारी न करने के संबंध में एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) का उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2022) था। जैसा कि यह लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि पर है, निर्धारण (दिसंबर 2019) में पूरा किया गया था, जिससे ₹ 6.21 करोड़ की संचयी कर मांग हुई, जिसके विरुद्ध की कर वसूली हुई। ₹ 6.20 करोड़ बकाया कर को छोड़ते हुए ₹ 0.01 करोड़ बनाया

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)	ऋण-भार की स्थिति	मामले का संक्षिप्त विवरण
				गया था, जो वसूली के साथ पूरी तरह से बकाया था, क्योंकि निर्धारण अपील के अधीन थे। अपील कार्यवाही की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
4	श्री जे2 / 2015-16	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), चेन्नई)	पूर्ण 1.49 / उपलब्ध नहीं	अचल संपत्ति की कुर्की के लिए धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी (दिसंबर 2018) किया गया था। धारा 281बी के तहत आदेश को जून और दिसंबर 2019 में आगे बढ़ाया गया था। अभिलेख से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्ति पहले से ऋण-भारग्रस्त थी, जो धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में आई थी। लेखापरीक्षा (मार्च 2021) की तिथि तक, ₹ 1.49 करोड़ की मांग करते हुए निर्धारण (28/12/2017) पूरा किया गया था, जिसमें से निर्धारिती ने ₹ 0.29 करोड़ का भुगतान किया था, ₹ 1.19 करोड़ का बकाया कर छोड़कर। अपील कार्यवाही की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।
5	श्री वी18 / 2011-12 से 2017-18	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्किल-1(3), अहमदाबाद)	आंशिक (संपत्तियों में से एक बैंक ऋण के विरुद्ध पूर्व-बंधक थी) उपलब्ध नहीं / उपलब्ध नहीं	जैसा कि पैरा 4.3 (i) के तहत पहले चर्चा की गई थी, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (22/02/2018) गांधीनगर में एक अपार्टमेंट में दो अचल संपत्तियां, फ्लैट संख्या 303 और 304 कुर्की करने के लिए (मूल्य इंगित नहीं किया गया)। निर्धारण अधिकारी ने बताया (07/05/2018) कि सब-रजिस्ट्रार, गांधीनगर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, कि फ्लैट नंबर 304 वास्तव में निर्धारिती का था और उक्त संपत्ति भी बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारिती द्वारा गिरवी रखी गई थी लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपत्ति के अनंतिम रूप से कुर्की होने के बाद ही निर्धारण अधिकारी द्वारा ऋणग्रस्तता प्रतिमाओं का सत्यापन किया गया था। जैसा कि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर है, दिसंबर 2018 में खोज निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 341.51 करोड़ की संचयी कर मांग बढ़ गई थी। इसके बाद, मामला फिर से खोला गया और दिनांक 10/02/2022 को धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण आदेश पारित किया गया और मांग को संशोधित कर ₹ 397.5 करोड़ कर दिया गया और अपील वर्तमान में (जुलाई 2022) लंबित है।

परिशिष्ट 19क

[पैरा 4.4.1(i) देखें]

उन मामलों का विवरण जहां अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य अधिक पाया गया

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व	निर्धारण अधिकारी प्रभार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमानित कर देयता पर कुर्की संपत्ति मूल्य का प्रतिशत	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, OGE, 263 आदेश का निवल आदि) (जनवरी-मार्च 2021) (₹ करोड़ में)	नियमित कर भुगतान (जनवरी- मार्च 2021) (₹ करोड़ में)
प्रधान आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल), बेंगलुरु									
1	श्री ए12 / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु	0.18	अचल	5.83	3264.8	29/12/2017	0.14	0.02
2	श्रीमति एस42 /2010-11, 2012-13 और 2014-15 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल- 2(2), बेंगलुरु	4.74	अचल	40.00	843.9	22/12/2017	22.39	0.14
3	श्री आर1 /2010-11	केन्द्रीय सर्किल- 1(3), बेंगलुरु	8.00	दोनों	18.59	232.4	31/12/2017	10.68	0
4	श्रीमति एस23 / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्कल - 1, मंगलुरु	1.30	अचल	2.80	214.8	29/12/2017	0.60	0.16
5	मैसर्स ए41 लिमिटेड/ 2013-14 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल- 1(3), बेंगलुरु	40.00	अचल	81.42	203.6	29/12/2017	50.91	16.85

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व	निर्धारण अधिकारी प्रभार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमानित कर देयता पर कुर्की संपत्ति मूल्य का प्रतिशत	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, OGE, 263 आदेश का निवल आदि) (जनवरी-मार्च 2021) (₹ करोड़ में)	नियमित कर भुगतान (जनवरी- मार्च 2021) (₹ करोड़ में)
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, मुंबई									
6	मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12	केन्द्रीय सर्किल- 2(2), मुंबई	0.65 अचल		2.15	333.3	22/12/2018	0	0
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-3, मुंबई									
7	श्रीमति एन17/ 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल- 5(1), मुंबई	3.73 अचल		8.85	237.3	29/12/2017	6.31	0
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई									
8	मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल- 8(1), मुंबई	3.61 अचल		422.81	11723.9	21/12/2018	6.41	0
9	मैसर्स ई लिमिटेड /2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल- 8(1), मुंबई	13.88 अचल		63.29	455.7	27/12/2018	85.20	0.20
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद									
10	श्री जे11/ 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल- 3(4), हैदराबाद	0.05 चल		0.30	651.9	28/12/2019	0.03	0.11
11	श्री वी24/ 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल- 3(4), हैदराबाद	0.10 चल		0.25	239.5	28/12/2019	0	0
12	जी6/ 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल - 3(3), हैदराबाद	2.94 अचल		60.09	2,043.87	12/12/2019	35.76	0.60

क्र.सं.	निर्धारित का नाम /नि.व	निर्धारण अधिकारी प्रभार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमानित कर देयता पर कुर्की संपत्ति मूल्य का प्रतिशत	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, OGE, 263 आदेश का निवल आदि) (जनवरी-मार्च 2021) (₹ करोड़ में)	नियमित कर भुगतान (जनवरी- मार्च 2021) (₹ करोड़ में)
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई									
13	श्री के12 /2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल- 2(1), चेन्नई	2.08	दोनों	207.55	9,980.20	22/01/2019	2.65	0
प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि									
14	श्री ओ/ 2002-03 से 2008-09	केन्द्रीय सर्किल - 2(2), एर्नाकुलम	5.34	अचल	21.15	396.07	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित
प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली									
15	श्री एन15/ 2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल- 20, दिल्ली	2.70	अचल	6.59	244.07	30/12/2018	56.17	0.60
16	श्री एस31/2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल- 20, दिल्ली					30/12/2018	53.59	0.46
प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली									
17	मैसर्स डी2 लिमिटेड / 2012-13	केन्द्रीय सर्किल- 27, दिल्ली	2.29	अचल	21.28	928.4	29/12/2019	2.79	0.51
प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई									
18	मैसर्स एस39/ 2015-16	सर्किल -1(1), चेन्नई	3.78	अचल	10.83	286.6	29/12/2017	0	0

परिशिष्ट 19ख

[पैरा 4.4.1(ii) देखें]

उन मामलों का विवरण जहां अपर्याप्त संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु										
1	श्री एस15 / 2008-09 से 2018-19	केन्द्रीय सर्कल, हुबली	2.02	अचल	1.51	75.1	01/12/2019	1.80	0.27	2.29
2	श्री जी3 / 2013-14 से 2018-19	सीसी-2(1), बंगलुरु	31.41	चल	22.75	72.4	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	31.20
3	श्रीमति एल5 / 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल-2(2), बंगलुरु	2.90	अचल	2.00	68.9	31/12/2019	10.32	0.40	7.57
4	श्री पी8 / 2015-16 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल	- 3.07	चल	2.76	89.9	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं
5	श्रीमति आर29/ 2015-16 से 2018-19	सर्किल 1(2), बंगलुरु		चल						

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
6	मैसर्स एम1 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्कल -2, मंगलुरु	5.82	अचल	3.81	65.5	31/12/2019	5.45	0	निश्चित नहीं
7	मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2011-12	केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा	24.31	चल	15.67	63.7	मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण पर रोक लगा दी गई है	मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण पर रोक लगा दी गई है	मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण पर रोक लगा दी गई है	123.71
8	श्री बी2 /2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल-2(3), बेंगलुरु	5.26	अचल	2.89	54.9	27/12/2019	6.50	0	9.40
9	श्री एम12 /2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु	8.42	अचल	2.72	32.4	26/12/2019	30.97	0.09	3.59

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
10	श्री एस41 /2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल-2(4), बेंगलुरु	2.99	अचल	0.62	20.6	31/12/2019	4.58	0.12	नहीं
11	श्री एस25/2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु	0.99	अचल	0.09	9.1	22/12/2017	7.57	0	0.09
12	मैसर्स एस7 प्राइवेट लिमिटेड/ 2008-09 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल - पणजी, गोवा	31.13	चल	2.88	9.2	18/06/2021	0	0	55.78
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, दिल्ली										
13	श्री एन13 / 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल-01, दिल्ली	81.42	अचल	5.91	7.3	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं
14	श्रीमति एस19/ 2012-13 से 2018-19			अचल			25/12/2019	1.01	0	

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-3, मुंबई										
15	मैसर्स ए42 प्राइवेट लिमिटेड / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-5(1), मुंबई	1.28	अचल	0.66	51.5	29/12/2017	2.14	0	निश्चित नहीं
16	मैसर्स एच लिमिटेड / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-5(1), मुंबई	4.81	अचल	2.12	44.0	29/12/2017	11.90	0	निश्चित नहीं
17	श्री आर19 / 2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल-6(4), मुंबई	47.64	चल	15.07	31.6	28/12/2018	93.84	20.72	24.07
18	मैसर्स वी10 लिमिटेड / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-5(1), मुंबई	0.60	अचल	0.18	29.9	29/12/2017	1.58	0	निश्चित नहीं
19	मैसर्स एस14 प्राइवेट लिमिटेड /2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-5(1), मुंबई	1.15	अचल	0.26	22.5	29/12/2017	2.32	0	निश्चित नहीं

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
20	श्री ए38/ 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-6(2), मुंबई	7.50	दोनों	0.70	9.4	29/12/2017	11.16	0.94	निश्चित नहीं
21	श्री एन18 /2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-5(1), मुंबई	22.48	अचल	1.86	8.3	29/12/2017	30.41	0	निश्चित नहीं
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई										
22	श्रीमति एम11 / 2011- 12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई	14.58	अचल	6.35	43.5	14/12/2018	2.48	0	निश्चित नहीं
23	मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई	52.80	अचल	9.20	17.4	19/12/2018	38.73	13.62	343.95
24	श्री पी7 / 2010-11 से 2016-17	केन्द्रीय सर्किल-8(4), मुंबई	30	अचल	1.75	5.8	29/12/2017	34.80	0	25.21

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
25	श्रीमति एस48 / 2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई	1.15	अचल	0.04	3.6	10/12/2018	0.81	0	नहीं
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद										
26	मैसर्स वी23 लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18	केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद	85.77	अचल	75.00	87.4	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं
27	श्री एम14/ 2013-14 से 2018-19	केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद	3.49	चल	0.79	22.6	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	नहीं
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई										
28	मैसर्स एस48 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	केन्द्रीय से सर्कल - 2(1), चेन्नई	54.96	चल	9.32	17.0	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
29	मैसर्स एन12 / 2010-11 से 2018-19	केन्द्रीय सर्कल - 2(1), चेन्नई	81.02	चल	7.57	9.3	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं
30	श्री सी3 / 2012-13 से 2017-18	केन्द्रीय सर्कल - 2(1), चेन्नई	108.45	अचल	0.53	0.5	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निर्धारण लंबित	निश्चित नहीं
प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल										
31	मैसर्स ए8 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर	5.71	अचल	4.62	80.8	26/12/2018	1.99	0.30	निश्चित नहीं
32	मैसर्स एल1 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18							16.75	3.16	निश्चित नहीं

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति का प्रकार (चल/अचल/दोनों)	कुर्की संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	कुर्की संपत्ति अनुमानित कर देयता का प्रतिशत है? (प्रतिशत)	निर्धारण की तिथि	संचयी कर मांग में वृद्धि (154, ओजीई, 263 आदेश का निवल आदि) (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया नियमित कर (₹ करोड़ में)	क्या अभिलेख में अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं? (यदि हां, तो सभी संपत्तियों का मूल्य ₹ करोड़ में)
33	श्रीमति एम4 /2011-12 से 2017-18	केन्द्रीय सर्कल-1,	3.01	अचल	2.28	75.8	05/12/2018	0	0	निश्चित नहीं
34	श्री ए23/ 2011-12 से 2017-18	सर्कल-1, रायपुर					07/03/2019	0.10	0.10	निश्चित नहीं
प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, चेन्नई										
35	श्री पी17 /2015-16 से 2017-18	केन्द्रीय सर्कल - 2(1), चेन्नई	8.42	अचल	2.72	34.0	28/12/2018	7.08	0	निश्चित नहीं

परिशिष्ट 19ग

(पैरा संख्या 4.4.2 देखें)

281बी मामलों का विवरण जिसमें कुर्क संपत्ति को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी (वीओ) को भेजा गया था, का विवरण उचित बाजार मूल्य

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम / नि.व	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख	धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख	वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब ^(नोट-1) दिनों की संख्या)	अनुमानित कर देयता	कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार)	एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार)	धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ
			वीओ की रिपोर्ट की तारीख	कुर्क संपत्ति का प्रकार	(₹ करोड़ में)				
1	श्री ए18/ 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -26, दिल्ली)	0812/2017 30/08/2018	06/03/2018 अचल	235	उपलब्ध नहीं है	6.00	7.96	पहले
2	श्री ए17/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली)	15/11/2018 18/03/2019	29/11/2019 अचल	112	उपलब्ध नहीं है	1.05	1.87	पहले
3	श्री ए24/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली)	15/11/2018 18/03/2019	29/11/2019 अचल	112	उपलब्ध नहीं है			पहले
4	श्री वी16/ 2012-13 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -32, दिल्ली)	04/11/2019 उपलब्ध नहीं है	09/10/2019 अचल	लागू नहीं	उपलब्ध नहीं है	0.27	उपलब्ध नहीं है	बाद में

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम / नि.व	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख	धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख	वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब ^(नोट-1) दिनों की संख्या)	अनुमानित कर देयता	कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार)	एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार)	धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ
			वीओ की रिपोर्ट की तारीख	कुर्क संपत्ति का प्रकार	(₹ करोड़ में)				
5	श्री आर16/ 2012-13 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -32, दिल्ली)	04/11/2019 उपलब्ध नहीं है	09/10/2019 अचल	लागू नहीं	उपलब्ध नहीं है	1.09	उपलब्ध नहीं है	बाद में
6	श्री डी1 / 2010-11 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -2 (3), बेंगलुरु)	13/12/2017 उपलब्ध नहीं है	24/10/2018 दोनों	लागू नहीं	30.00	0.61	उपलब्ध नहीं है	पहले
7	श्री एस15 / 2008-09 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल, हुबली)	13/12/2019 20/01/2020	05/12/2019 अचल	09	2.02	0.19 (भाग)	0.21	बाद में
8	श्रीमति एस23 / 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु)	उपलब्ध नहीं है 17/03/2016 एवं 18/03/2016	18/06/2018 अचल	पता लगाने योग्य नहीं	1.30	2.80	6.32	पहले

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम / नि.व	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख	धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख	वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब ^(नोट-1) दिनों की संख्या)	अनुमानित कर देयता	कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार)	एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार)	धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ
			वीओ की रिपोर्ट की तारीख	कुर्क संपत्ति का प्रकार		(₹ करोड़ में)			
9	श्री ए12/ 2010-11 से 2016-17		उपलब्ध नहीं है 17/03/2016 एवं 18/03/2016	18/06/2018 अचल	पता लगाने योग्य नहीं	0.18	5.83		पहले
10	श्रीमति पी6/ 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	05/04/2017 31/08/2017	27/09/2017 अचल	119	2.14 (₹ 7.12 करोड़ अघोषित आय का 30%)	6.19	8.60	पहले
11	श्री पी2 / 2011-12 से 2014-15	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)	11/10/2017 22/12/2017	28/12/2017 अचल	42	उपलब्ध नहीं है	0.36 (भाग)		पहले

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम / नि.व	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख	धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख	वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब ^(नोट-1) दिनों की संख्या)	अनुमानित कर देयता	कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार)	एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार)	धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ
			वीओ की रिपोर्ट की तारीख	कुर्क संपत्ति का प्रकार	(₹ करोड़ में)				
12	जी6 / 2012-13 से 2018-19 ^(नोट-2)	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल-3(3), हैदराबाद)	28/11/2019 30/11/2019	18/05/2018 अचल	कोई देरी नहीं	2.94 (₹ 9.80 करोड़ अघोषित आय का 30%)	39.65	63.70	बाद में

नोट-1: निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भ की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा को शामिल नहीं करता है;

नोट-2: धारा 133 (6) के तहत किए गए निर्धारण अधिकारी (नवंबर 2019) संदर्भ को कुर्क की गई अचल संपत्तियों की बाजार दरों को निर्धारित करने के लिए क्षेत्राधिकार उप-रजिस्ट्रार अधिकारी को दिया गया था

परिशिष्ट 20

[पैरा 5.1.1(1)(i) देखें]

धारा 281बी आदेश जो कोई बकाया मांग नहीं होने के कारण नहीं बढ़ाए गए थे

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	281बी आदेश तब तक वैध	मूल्यांकन की तारीख	संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में)	कर वसूली गई (करोड़ में) ⁷⁷
1	मैसर्स डी15 / 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 5(2), मुंबई)	24/06/2019	26/12/2018	0.27	0.27
2	मैसर्स सी13 लिमिटेड/ 2014-15	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 1(2), मुंबई)	25/01/2018	11/01/2018 (निरसन आदेश 25-01-2018 को जारी किया गया)	86.58	86.58
3	मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 2(2), मुंबई)	23/04/2019	22/12/2018	0	0
4	श्री एम6 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-17, दिल्ली)	11/05/2019	15/12/2018	0	0
5	श्री ए37 /2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली)	20/02/2019	27/12/2018	0	0

⁷⁷ जहां संचयी कर मांग 'शून्य' है और फिर भी इसके प्रति कर वसूली की गई, कर वसूली पर ध्यान नहीं दिया गया और कॉलम '0' दर्शाया गया। जहां संचयी कर मांग कुछ मूल्य दिखाता है किन्तु कर वसूली मांग से अधिक है, कर देय कॉलम को उठाई गयी मांग तक रोका गया।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	281बी आदेश तब तक वैध	मूल्यांकन की तारीख	संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में)	कर वसूली गई (करोड़ में) ⁷⁷
6	श्री ए22 /2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली)	20/02/2019	27/12/2018	0	0
7	मैसर्स आई1 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली)	03/11/2020	25/12/2019	0	0
8	श्री ए10 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली)	03/11/2020	25/12/2019	0	0
9	श्री वाई2 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-30, दिल्ली)	24/05/2020	19/12/2019	0	0
10	श्री एल6 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-30, दिल्ली)	24/05/2020	23/12/2019	0	0
11	श्री पी14 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	17/03/2019	27/12/2018	0	0
12	मैसर्स सी11 / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	17/03/2019	30/12/2018	0	0

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	281बी आदेश तब तक वैध	मूल्यांकन की तारीख	संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में)	कर वसूली गई (करोड़ में) ⁷⁷
13	मैसर्स के13 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	28/10/2019	17/12/2018	0	0
14	श्री ए36/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	17/03/2019	27/12/2018	0	0
15	श्रीमति एम4/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)	17/03/2019	05/12/2018	0	0
16	श्री एस24/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)	17/03/2019	28/12/2018	0	0
17	श्री एस10/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)	17/03/2019	28/12/2018	0	0
18	श्रीमति ए31/2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)	17/03/2019	28/12/2018	0	0
19	श्री ए23/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)	17/03/2019	07/03/2019	0.10	0.10
20	मैसर्स एस39/ 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई)	28/05/2020	29/12/2017	0	0

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	281बी आदेश तब तक वैध	मूल्यांकन की तारीख	संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में)	कर वसूली गई (करोड़ में) ⁷⁷
21	मैसर्स टी6 ट्रस्ट/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -2(3), चेन्नई)	19/04/2020	25/02/2019	0	0
22	मैसर्स ए7 प्राइवेट लिमिटेड /2013-14 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -2(3), चेन्नई)	05/02/2019	27/12/2018	0	0
23	श्री ए1 /2010-11 से 2014-15	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि, (केन्द्रीय सर्कल -2, एर्नाकुलम)	27/06/2018	29/12/2017	59.87	59.87
24	श्रीमति पी26 /2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली)	29/11/2019	27/12/2019	0	0
25	श्री एन8 /2012-13 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल -7(2), मुंबई)	25/06/2020	28/12/2019	0	0
26	मैसर्स एम1 प्राइवेट लिमिटेड / 2015-16 और 2016-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-2, मंगलुरु)	03/06/2019	31/12/2018	0	0

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम / नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	281बी आदेश तब तक वैध	मूल्यांकन की तारीख	संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में)	कर वसूली गई (करोड़ में) ⁷⁷
27	श्री ए40 /2009-10 से 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	20/03/2018	26/12/2017	आईटीएटी द्वारा खारिज किए गए आकलन	0
28	श्री डी5 /2009-10 से 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	20/03/2018	26/12/2017	आईटीएटी द्वारा खारिज किए गए आकलन	0

परिशिष्ट 21

[पैरा 5.1.1(1)(ii) देखें]

धारा 281बी आदेश जो ऑडिट की तारीख (दिसंबर 2020 से मार्च 2021) के अनुसार मान्य थे

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	281बी आदेश तब तक वैध
ऐसे मामले जिनमें आकलन लंबित थे।					
1	श्री ओ	2002-03 से 2008-09	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्चि	केन्द्रीय सर्कल- 2 एर्नाकुलम	31/05/2021
2	श्री एम14	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल - 2(3) हैदराबाद	18/07/2021
3	मैसर्स वी23 लिमिटेड	2012-13 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल - 2(3) हैदराबाद	30/06/2021
4	श्री ए27	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
5	श्रीमति ए28	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
6	श्री ए29	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
7	श्री ए30	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
8	श्रीमति एम16	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
9	श्रीमति पी18	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद	19/04/2021
10	मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड	2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - पणजी, गोवा	08/04/2021

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार	281बी आदेश तब तक वैध
11	मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड	2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - पणजी, गोवा	08/04/2021
12	मैसर्स एस7 प्राइवेट लिमिटेड	2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	केन्द्रीय सर्कल - पणजी, गोवा	08/04/2021
13	श्री टी4	2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई	24/03/2021
14	मैसर्स एस48 प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई	24/03/2021
15	मैसर्स आर21	2010-11 to 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई	24/03/2021
16	मैसर्स एन12	2010-11 to 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई	24/03/2021
17	एस38 ट्रस्ट	2011-12 to 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई	केन्द्रीय सर्कल - 2(3) चेन्नई	25/04/2021

परिशिष्ट 22

[पैरा 5.1.1(3) देखें]

धारा 281बी मामलों का विवरण जिसमें वैधता अवधि संबंधित रिकॉर्ड में उल्लिखित नहीं है।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/ नि.व.	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख	अनुमानित कर देयता	आकलन पर उठी कर मांग
				मूल्यांकन की तारीख	कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य
(₹ करोड़ में)					
1	श्रीमति जे1/ 2012-13 से 2018-19	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-1(4), चेन्नई)	26/12/2019	2.87	3.95
			30/12/2019	उपलब्ध नहीं है	3.95
2	श्रीमति एम10 / 2012-13 से 2018-19	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-1(4), चेन्नई)	09/09/2020	2.18	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ
			मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ	उपलब्ध नहीं है	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ
3	श्री सी3 / 2012-13 से 2017-18	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई)	25/09/2019	108.45	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ
			मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ	0.53	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ
4	श्री आर17/ 2012-13 से 2017-18	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई)	20/09/2019	उपलब्ध नहीं है	3.00
			30/12/2019	उपलब्ध नहीं है	3.00
5	श्री आर3 / 2017-18	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(3), चेन्नई)	20/12/2018	7.67	7.67
			11/12/2020	उपलब्ध नहीं है	7.49
6	श्री जे4/ 2011-12 से 2017-18	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई)	05/04/2018	506.82	21.35
			06/02/2020	उपलब्ध नहीं है	21.35
7	श्री वी22/ 2011-12 से 2017-18	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई)	26/02/2020	8.65	12.40
			03/02/2020	उपलब्ध नहीं है	12.40
8	मैसर्स ए6 प्राइवेट लिमिटेड / 2015-16 से 2018-19	प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल -3(1), चेन्नई)	14/12/2020	83.50	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ
			मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ	उपलब्ध नहीं है	मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ

** मंत्रालय/सीबीडीटी से मौजूदा स्थिति का इंतजार (अक्टूबर 2022) किया जा रहा था।

परिशिष्ट 23

(पैरा देखें 5.1.2)

धारा 281बी के तहत आदेश के लिए विस्तार आदेश जारी करने में देरी

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम /नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के तहत आदेश तक मान्य है	धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख	समय अंतराल (दिनों में)
1	श्री ए37 / 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -19, दिल्ली)	29/04/2018	20/08/2018	110
2	मैसर्स डबल्यू1 प्रा. लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -19, दिल्ली)	18/03/2020	04/05/2020	46
3	श्री ए27 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद)	18/08/2020	20/10/2020	62
4	श्रीमति ए28 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद)	05/09/2020	20/10/2020	45
5	श्री ए29 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद)	18/08/2020	20/10/2020	62
6	श्री ए30 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद)	18/08/2020	20/10/2020	62
7	श्रीमति पी18 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद)	18/08/2020	20/10/2020	62
8	श्री टी1 / 2013-14 से 2018-19	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु)	06/07/2020	10/07/2020	2
9	श्रीमति एस23 / 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)	07/06/2018	18/06/2018	11

क्रम सं	निर्धारिती का नाम /नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है	धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख	समय अंतराल (दिनों में)
10	श्री ए12 / 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)	07/06/2018	18/06/2018	11
11	श्री एस5 / 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)	07/06/2018	18/06/2018	11
12	मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)	08/09/2020	09/10/2020	30
13	मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)	08/09/2020	09/10/2020	30
14	मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)	19/06/2018	27/06/2018	8
15	श्री वी14/ 2010-11 से 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल ग्वालियर)	31/10/2017	04/12/2017	34
16	श्री बी9/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(3) अहमदाबाद)	21/08/2018	21/12/2018	122
17	श्री डी10/ 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(3) अहमदाबाद)	14/07/2018	21/12/2018	160
18	मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई)	12/08/2019	22/08/2019	10

क्रम सं	निर्धारिती का नाम /नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है	धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख	समय अंतराल (दिनों में)
19	श्री वी३ / 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई)	14/09/2019	17/09/2019	2
20	श्री पी17 / 2015-16 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(2), चेन्नई)	22/11/2017	28/11/2017	6
21	श्री जे३ / 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
22	श्री टी३ / 2016-17	प्रधान सीआईटी केन्द्रीय -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	3
23	श्री ए४ /2014-15	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
24	श्री ए४ / 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
25	श्री जे२ / 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
26	श्री टी२ / 2015-16	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
27	श्री टी२/ 2016-17	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)	12/06/2020	15/06/2020	2
28	श्रीमति एम१०/ 2012-2013 से 2018-2019	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(4), चेन्नई)	25/06/2020	09/09/2020	74
29	श्री सी३ / 2012-13 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई)	21/07/2018	28/09/2018	67

क्रम सं	निर्धारिती का नाम /नि.व.	प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)	धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है	धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख	समय अंतराल (दिनों में)
30	श्री जे5 / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी केन्द्रीय -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2(3) चेन्नई)	31/08/2019	20/12/2019	111
31	श्री वी22 / 2011-12 से 2017-18	प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(4) चेन्नई)	11/09/2019	26/02/2020	166

परिशिष्ट 24

[पैरा 5.1.3(i) देखें]

ऐसे मामले जिनमें आईटी निपटान आयोग के समक्ष करदाताओं के आवेदन लंबित होने के कारण निर्धारण पूरा नहीं हो पाता है या न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई है।

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम /नि. व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार	जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया	अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में)
क) जिन मामलों में निर्धारिती का आवेदन निपटान आयोग में लंबित है।				
1	श्री एन13/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-01, दिल्ली)	21/04/2020	81.42 (पूरे समूह के लिए)
2	श्री एस11 / 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	28/10/2019	2.17 (पूरे समूह के लिए)
3	श्री आर13 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)	28/10/2019	
4	मैसर्स जे15 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)	12/02/2020	नहीं
5	श्री ए16/ 2012-13 से 2017-18	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)	03/02/2020	नहीं
6	मैसर्स एस38 ट्रस्ट / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), चेन्नई)	25/04/2021	170.00
7	मैसर्स बी15 लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 3(1), चेन्नई)	08/01/2021	40.00

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम /नि. व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार	जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया	अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में)
8	श्री वाई1/ 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
9	श्री एल7/ 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
10	श्री एस46/ 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
11	श्री पी27 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
12	श्रीमति एस44 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
13	श्री बी11/ 2011-12 से 2017-18)	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली)	11/05/2019	नहीं
14	श्री एस40/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
15	श्री डी3/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
16	श्री यू1/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं

क्र. सं.	निर्धारित का नाम /नि. व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार	जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया	अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में)
17	श्री के9 / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
18	श्रीमति जे17/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
19	मैसर्स एस18 प्राइवेट लिमिटेड/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
20	मैसर्स आर4 प्राइवेट लिमिटेड/ 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
21	मैसर्स ए21 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली)	10/05/2020	नहीं
22	मैसर्स एम9 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	10/12/2019	नहीं
23	श्री आर15/ 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	12/03/2019	नहीं
24	श्रीमति यू2 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	12/03/2019	नहीं
25	श्रीमति डी13 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	12/03/2019	नहीं

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम /नि. व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार	जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया	अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में)
26	श्रीमति एस30 / 2011-12 से 2017-18	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	12/03/2019	नहीं
27	श्री एस27 / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	31/01/2020	नहीं
28	श्री ए46 / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	28/01/2020	नहीं
29	श्री एस17 / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	31/01/2020	नहीं
30	श्री के11 / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	31/01/2020	नहीं
31	मैसर्स जी4 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)	31/01/2020	नहीं
ऐसे मामले जिनमें निर्धारिती के आवेदन पर न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी जाती है ।				
32	मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2011-12	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, बेंगलुरु केन्द्रीय सर्कल, पीएएन'एजेआई, जीओए	31/12/2018	24.31
33	श्री वाई3 / 2007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम /नि. व.	प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार	जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया	अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में)
34	श्री आर20 / 2एफ007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं
35	श्रीमति के7 / 2007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं
36	श्री सी10 / 2007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं
37	श्री एस45 / 2007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं
38	श्रीमति एम15 / 2007-08 से 2013-14	प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)	17/12/2018	नहीं

परिशिष्ट 25

[पैरा 5.1.3(ii) देखें]

धारा 281बी मामलों की संख्या का विवरण जिसमें निर्धारण पूर्ण हो गया था और करदाताओं ने इसके प्रति अपील फाइल की है और धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई थी।

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	एओ की संख्या	समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या	धारा 281बी मामलों के तहत आदेश की संख्या, जिनमें मूल्यांकन पूरा हो गया	281बी मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान वैधता समाप्त हो गई थी
1	2	3	4	5
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल	02	26	24	01
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	03	07	07	06
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता	01	06	06	06
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई	06	34	31	17
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई	04	34	25	05
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची	02	07	04	04
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	30	22	13
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	05	33	22	11
कुल	33	177	140	63

परिशिष्ट 26

(पैरा 5.1.4 देखें)

धारा 281बी के तहत तलाशी की तिथि और प्रारंभिक आदेश की तिथि के बीच समय अंतराल के साथ धारा 281बी आदेश मामलों का विवरण

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	समीक्षा अवधि के दौरान एसएन 281बी जारी किए गए आदेश की संख्या	खोज की तारीख और प्रारंभिक 281बी आदेश की तारीख के बीच समय अंतराल के बारे में जानकारी रखने वाले 281बी मामलों की संख्या	समय अंतराल की सीमा (दिनों में)
1	2	3	4
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (04)	11	08	561-782
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)	30	28	426-824
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)	41	26	686-1,220
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)	26	26	444-771
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	07	06	708-1,046
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	06	06	742
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	09	07	649-1,023
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	10	513-961
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	16	239-1,220
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	34	10	239-944
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	34	03	291-868
प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), कोच्ची (02)	07	07	208-1,129
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	30	28	253-956
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)	25	25	232-899
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम (01)	05	05	434-937
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) अहमदाबाद (05)	33	23	307-1,120
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	03	03	876-879
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	22	0	--
कुल (71)	350	237	208-1,220

संक्षिप्त रूप	
संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961
एओ	निर्धारण अधिकारी
नि.व.	निर्धारण वर्ष
बीजी	बैंक गारंटी
बोर्ड/सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीएआरएसएआई	भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री
सीजीएसटी अधिनियम	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
सीजीएसटी नियमावली	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (सिस्टम्स)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
ईसी	ऋणभार प्रमाण पत्र - राज्य सरकार के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के तहत उप-रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा जारी किया गया
एफएमवि	उचित बाजार मूल्य (एक संपत्ति का)
वि.व.	वित्तीय वर्ष
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आई.टी.डी./विभाग	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीएससी	आयकर निपटान आयोग
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
ओजीई	आदेश को कार्यान्वित करना
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्र.सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)/केन्द्रीय आयुक्तालय	प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)
प्र.डीजीआईटी	प्रधान आयकर महानिदेशक
आर.डब्लू.एस.	धारा के साथ पठित
नियमावली	आयकर नियमावली, 1962
एसएआरएफईएसआई अधिनियम	वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
एसएससीए	विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
विओ	मूल्यांकन अधिकारी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in